# अनुक्रमणिका


| क्र.सं. | विषय सूची | पेज नं. |
|---|---|---|
| 1. | ग्राहक सेवा | 01 |
| 2. | कंडक्टर/टीटीई/टीसी की ड्यूटी | 02—08 |
| 3. | यात्री सुविधाएँ | 09—13 |
| 4. | संसद सदस्यों के लिये उपलब्ध रेल यात्रा तथा अन्य सुविधाएँ | 14—17 |
| 5. | विभिन्न मनी वेल्यू बुक्स | 18—34 |
| 6. | अनरिजर्वड टिकटिंग सिस्टम (UTS) | 35 |
| 7. | कूपन वैलीडेटिंग मशीन | 36—37 |
| 8. | आरक्षण की नई स्कीमें, बिना टिकट यात्रा के कारण व विभिन्न प्रकार के जाँच | 38—52 |
| 9. | रियायतें | 53—54 |
| 10. | ब्रेकजर्नी (यात्रा विराम) | 55—56 |
| 11. | धन वापसी नियम | 57—63 |
| 12. | भारतीय रेल अधिनियम — 1989 | 64—70 |
| 13. | अनियमित यात्राएँ | 71—75 |
| 14. | लगेज | 76—81 |
| 15. | विभिन्न स्टेशनों के बीच गाड़ियों के अनुसार दूरियाँ | 82—90 |
| 16. | रेल दुर्घटना के समय वाणिज्य कर्मचारियों की ड्यूटी | 91—94 |

# 1 ग्राहक सेवा

भारतीय रेल संसार में एकल प्रबन्ध के अधीन दूसरी सबसे बडी रेलवे नेटवर्क है तथा आत्मनिर्भरता एवं प्रशासन की संरचना करने में इसने उल्लेखनीय सफलता पाई है। देश की अर्थव्यवस्था में रेलों की भूमिका में वृद्धि होने से ग्राहक का संतो-ा, ग्राहक सेवा तथा जनसम्पर्क महत्वपूर्ण हो गये हैं। अतः सभी रेल कर्मचारी निम्नलिखित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देकर ग्राहकों को सन्तुष्ट करने का हृदय प्रयास करें।

- ⇨ ग्राहक हमेशा सही होता है
- ⇨ शि-टाचार
- ⇨ अपने ग्राहकों को समझिये
- ⇨ रेलवे के वि-ाय में जानकारी रखिये
- ⇨ सभी यात्रियों के साथ समान व्यवहार करें
- ⇨ व्यवहार कुशल बनें
- ⇨ कभी झल्लाएं नहीं
- ⇨ विलम्ब क्षोभ पैदा करता है
- ⇨ खंडन न करें
- ⇨ तर्क वितर्क आपको कहाँ ले जाते हैं ?
- ⇨ आलोचना न करें
- ⇨ हमेशा मुस्कराइयें
- ⇨ टेलीफोन पर शि-टाचार
- ⇨ नये रेल कर्मचारियों के साथ सहयोग कीजिये
- ⇨ जनसम्पर्क
- ⇨ टीम वर्क
- ⇨ स्वयं को ग्राहक के स्थान पर रखकर देखियें
- ⇨ जनता की साख प्राप्त कीजिए
- ⇨ नियमों को समझियें

# 2 कंडक्टर / टीटीई / टीसी की ड्यूटी

## क्या करें ?

- ☑ ड्यूटी पर निर्धारित समय पर आयें।
- ☑ ड्यूटी पर आते समय सही एवं साफ सुथरी युनीफार्म पहने एवं नाम पट्ट लगाकर आयें।
- ☑ ड्यूटी पर आते ही अपना व्यक्तिगत केश पंजिका में अंकों एवं शब्दों में दर्ज करें।
- ☑ ड्यूटी पर मौजूद कोई भी कोच अटेन्डेंट या टीटीई आरक्षण चार्ट समय पर लेना सुनिश्चित करें।
- ☑ आरक्षण चार्ट बोर्ड पर एवं गाड़ी पर जहाँ जरुरी हो वहाँ पर चिपकाएँ।
- ☑ कोच अटेन्डेंट / टीटी रेक के स्टेशन पर आते ही तुरंत कोच के बाहर खड़े हो ताकि यात्रियों को गाइड किया जा सके।
- ☑ अनचाहे व्यक्तियों को तुरंत कोच से बाहर करें।
- ☑ ड्यूटी पर मौजूद अटेन्डेंट/चल टिकट परीक्षक प्रत्येक हॉल्ट पर रिजर्व कोच के बाहर खड़े हो ताकि रोड़ साइड से चढ़ने वाले यात्रियों को मार्गदर्शन दे सके तथा बर्थ के बारे में जानकारी देकर उन्हें नियंत्रित कर सके।
- ☑ प्रत्येक व्यात्रियों के सामान के साइज, भार एवं अन्य मसले जिनसे यात्रियों को परेशानी हो सकती है जैसे कुत्ते, पेराम्बूलेटर, बड़े साइज के बक्से, टीवी आदि के संबंध में जाँच ले एवं तय कर लें कि उन्हें रेलवे नियमों के तहत ही ले जाया जा रहा है।
- ☑ स्टेशन पर गाड़ियों की साफ सफाई सुनिश्चित करें।
- ☑ गाड़ियों के स्टेशन पर रुकने के दौरान उनके कोच एवं शौचालयों की सफाई करने वाले सफाई वाले नियमित रूप से आते है, यह तय कर लें।
- ☑ यात्रियों द्वारा अनुरोध किये जाने पर उनके स्टेशनों पर उनको जगा / उठा दे।

☑ महिला कम्पार्टमेंट के सभी डोर बोल्ट, खिड़कियों की चिटखनी एवं साइड डोर के थ्रो–ओवर लैचेस सही ढ़ंग से काम करने की हालत में है, देखें।

☑ यह भी जाँच ले कि गाड़ी की यात्रा के दौरान कोच के ऊपर की पानी की टेंकों को समय समय पर भरा जा रहा है।

☑ भाड़ा/अधिभार/आरक्षण/सुपरफास्ट आदि संबंधित चार्ज जो देय है उनकी वसूली करें।

☑ सुनिश्चित करें कि सभी यात्रियों से चाय, नाश्ता एवं खाने का आर्डर लिया गया है उनको समय पर खाना दिया जा रहा है।

☑ जो प्रतीक्षा सूची वाले यात्री आरक्षित डिब्बे में यात्रा करते हुए पाये जाये उनके पीएनआर नम्बर नोट कर लें एवं टिकट पर भी इस संबंध में पृष्ठांकन कर दें तथा उचित कार्यवाही करें।

☑ जो बर्थ खाली पाई जाये उन्हें आएसी यात्रियों को तथा उसके पश्चात ही अन्य प्रतीक्षा सूची यात्रियों को आवंटित करें।

**क्या न करें ?**

☒ ड्यूटी पर किसी भी प्रकार का धुम्रपान एवं नशा न करें।

☒ गैर लाइसेंसधारी पोर्टरों या अनचाहें व्यक्तियों को कोच के अंदर बिलकुल न आने दे।

☒ कोच एवं स्टेशन परिसर में धुम्रपान एवं अन्य नशीले पदार्थों का उपयोग न करने दे।

☒ ग्राहको को कभी गुमराह न करें।

☒ कभी भी उदासीन, कठोर या असहयोग पूर्ण न बनें।

☒ यात्रियों द्वारा कम्पार्टमेंट/शौचालयों की सफाई संबंधी सुझाव आने पर उन्हें मना न करें।

☒ कोच या कम्पार्टमेंट में यदि कोई यात्री कुछ गैर कानूनी काम या उपद्रव कर रहा हो तो इसके प्रति उदसीन न रहें।

☒ कोच के कोरिडोर या अन्य स्थानों पर भीड़ इकट्ठी न होने दें।

☒ उच्च श्रेणी के कोच के फर्श पर किसी यात्री के परिचारक या अन्य किसी को लेटने की अनुमति न दें।

- ☒ चाहे जो भी हो स्वयं व अपने स्टाफ को किसी भी आधार पर ज्यादा पैसे चार्ज न करने दें।
- ☒ स्टेशन परिसर में या स्टेशन पर गाड़ियों में अनाधिकृत होकर या वैंडरों को घुसने न दें।
- ☒ महिला डिब्बों / केबिनों में पुरुषों को प्रवेश न करने दें।
- ☒ स्टेशन परिसर में यहाँ वहाँ गाय व अन्य जानवरों को घूमने ने दें।
- ☒ लाइसेंसधारी पोर्टरों को ग्राहकों से अधिक भाड़ा वसूलने या दुर्व्यवहार न करने दें।
- ☒ प्लेटफार्म पर खड़ी गाड़ियों में वैंडरों को ज्यादा भीड़ न करने दें।
- ☒ महिला प्रतीक्षालयों में पुरुषों या 12 साल से अधिक उम्र वाले लड़कों को प्रवेश न करने दें।
- ☒ किसी क्षेत्र में ग्राहक सेवा या रेलवे की छवि अच्छी करने के लिए अपने नये विचार या सुझाव अपने अधिकारियों को बताने में संकोच नहीं करें।

## टिकटों पर जालसाजी रोकन के लिए टिकिट संग्राहक व टिकिट निरीक्षक द्वारा टिकट जाँच के दौरान ध्यान देने योग्य बातें

- ▣ **EFT/BPT**
  - ⇨ EFT/BPT या लोकल या फोरेन की जिस स्टेशन द्वारा बनाई जा रही है उसके बांयें और ऊपर उस रेलवे का नाम प्रिन्ट होना चाहिये।
  - ⇨ यात्रियों की संख्या अनुसार किराये की गणना सही की गई है यह जाँचना चाहिये।
  - ⇨ EFT/BPT जारी करने वाले कार्यालय की गोल सील लगी होनी चाहिये।
  - ⇨ EFT/BPT बनाते समय डबल साइडेड कार्बन का प्रयोग होना चाहिये।
  - ⇨ यात्री के पास जाँच के दौरान देखना चाहिये कि ये प्राइवेट तौर पर छापी गई तो जारी नहीं की गई है।
  - ⇨ EFT/BPT पर हेचिंग मार्क / वाटर मार्क होना चाहिये।
  - ⇨ रियायती वाउचर पर बनाई गई EFT/BPT टिकिट पर किराये की गणना वाउचर के अनुसार की गई है यह भी देखना चाहिये।

- ⇨ महत्वपूर्ण स्टेशनों द्वारा जारी ईएफटी/बीपीटी की सीरीज का ज्ञान रखें।

## ▣ प्लेटफार्म टिकिट

टीसी/टीटीई द्वारा टिकिट संग्रह करते समय टिकिट नम्बर व समय अवश्यक चेक करना चाहिये ताकि टिकिट के दुबारा प्रयोग को रोका जा सके और उन व्यक्तियों पर भी नजर रखनी चाहिये जो गाड़ी से आने वाले यात्रियों को प्लेटफार्म टिकट पकड़ाकर इस टिकट का गलत प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हों।

## ▣ बुकिंग खिड़की द्वारा जारी की गई कार्ड टिकट

- ⇨ एक ही टिकिट बार–बार प्रयोग में नहीं लाया जाए इसलिये निपर का प्रयोग करें।
- ⇨ टिकिट एन.आई.टी. करने के बजाय दोबारा बेची तो नहीं जा रही है।
- ⇨ टिकिटों की तारीख में हेराफेरी तो नहीं की गई है।
- ⇨ प्राइवेट तौर पर छापी गई टिकिट तो यात्रियों के पास नहीं है।
- ⇨ टिकिट पर टिकिट नम्बर व अन्य विवरण रेलवे द्वारा जारी किये गये अन्य टिकिट जैसे पूरे व सही है, यह चैक करना चाहिये।

## ▣ यूटीएस टिकिट

- ⇨ रेण्डम नम्बर एक वर्ण एवं चार अंकों में होना चाहिये, चेक करें।
- ⇨ किराया व अन्य प्रविष्टियाँ टिकिटों पर हाथ से तो नहीं लिखी है।
- ⇨ टिकिट पर सिक्योरिटी प्रिन्टिग मार्क को चेक करें।
- ⇨ टिकिट की प्रिटिंग निम्नलिखित सात लाइनों में होती है, चैक करें:
  - नेट कैश तथा ग्रॉस केश, वाउचर कोड, यात्रा प्रारंभ की तिथि
  - किराया, टिकिट का प्रकार, स्लेष नम्बर, प्री–प्रिटिंग नम्बर
  - स्टेशन से, को गाड़ी मेल/एक्स./सुपरफास्ट हिन्दी–अंग्रेजी में
  - क्षेत्रीय भाषा में
  - वाया व किलोमीटर
  - वयस्क व बच्चों की संख्या (अधिकतम 4–4)
  - रेण्डम नम्बर एक वर्ण एवं चार अंकों में, तारीख, समय, खिड़की नम्बर व कोड।

## पी.आर.एस. द्वारा जारी टिकिट (CPT)

- टिकिट पर वाटर मार्क होना चाहिये।
- पहली पंक्ति में दस संख्या में पी.एन.आर., गाड़ी नम्बर, कि.मी., यात्रियों की संख्या व रेलवे का मोनोग्राम व स्टॉक नम्बर होना चाहिये।
- स्टॉक नम्बर प्री–प्रिन्टेड व प्रिंटर द्वारा प्रिन्ट किये गये नम्बर मिसमैच नहीं होने चाहिये।
- टिकिट में पहली लाइन में वयस्क/बच्चों की संख्या के अनुसार किराया लिया गया है अथवा नहीं।
- पहले से जारी बीपीटी या ईएफटी पर कम्प्यूटर द्वारा आरक्षण कराकर उन्हें नियमित तो नहीं किया जा रहा है।
- टिकिट पर छपे किमी के अनुसार टिकिट पर किराया लिया गया है अथवा नहीं। शुन्य राशि के टिकिट को बारीकी से जाँचना चाहिये कि उसके साथ यात्री के पास मूल टिकिट होना चाहिये।
- टिकिट पर स्पेलिंग की गलतियाँ देखकर फेंक या गलत टिकिट तो काम में नहीं लिया जा रहा है, जाँच लें।
- टिकिट पर प्रिन्ट उम्र व लिंग के अनुसार यात्रियों की जाँच करें, कहीं टिकिट हस्तान्तरित तो नहीं किया गया।
- टिकिट पर रेण्डम नम्बर द्वारा चैक करना चाहिये, कि यात्रियों को जारी जिस दिनांक व गाड़ी के लिए टिकिट जारी किया गया है उस दिन सभी श्रेणियों के रेण्डम नम्बर एक होने चाहिये।
- टिकिट की अंतिम लाइन में रेण्डम नम्बर/जारी करने की दिनांक/समय/काउण्टर नम्बर टिकिट पर गायब तो नहीं है, चैक करें।
- रूट व वाया में फर्क तो नहीं है, चैक करें।
- रनिंग वेटिंग लिस्ट में फर्क नहीं होना चाहिए अर्थात यात्रियों के पास क्रमानुसार वेटिंग लिस्ट होनी चाहिये।
- स्टेशन का नाम हिन्दी व अंग्रेजी में गलत छपा हुआ तो नहीं है, चैक करें।

**सुविधा पास व ड्यूटी पास**

- ☑ चैक पास पर ऊपर ऑफिस की गोल सील व नीचे जारी करने वाले अधिकारी की सील अवश्यक होनी चाहिये, चैक करें।

- ☑ पास जारी करने की दिनांक व पास कब से कब तक के लिए जारी हुआ है उसकी दिनांक के अनुसार अवधि चैक करें।
- ☑ यदि सुविधा पास में आश्रित शामिल है तो पास में अधिकतम पाँच व्यक्ति ही यात्रा कर सकते है। यदि अधिक व्यक्ति हो तो नियमानुसार कार्यवाही कर संबंधित कार्यालय से पूछताछ करें।
- ☑ पास में यात्रा विराम क्रमानुसार व सही लिखें होने चाहिये, चैक करें।
- ☑ जिस व्यक्ति को पास जारी किया जा रहा है उसी व्यक्ति या उसके परिवार के द्वारा यात्रा की जा रही है अथवा नहीं, चैक करें।
- ☑ पास किसी दूसरे व्यक्ति को तो हस्तान्तरित या बेचा तो नहीं गया है रेल यात्रियों से यात्रा के दौरान गहराई से पूछताछ की जानी चाहिये।
- ☑ यदि कोई व्यक्ति सुविधा पास या ड्यूटी पास पर राजधानी/शताब्दी एक्सप्रेस में यात्रा कर रहा है तो उसके पास पर उस गाड़ी में यात्रा करने के लिए उनकी पात्रता के अनुसार सील में शायिकाओं / सीट को दर्शाया गया है या नहीं। पास पर सील लगाई गई है या नहीं, चैक करनी चाहिये।
- ☑ परिचर द्वारा यात्रा करने पर पूछताछ करनी चाहिये कि कर्मचारी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को उसके स्थान पर पैसे लेकर साथ में तो नहीं ले जा रहा है।
- ☑ यात्रा आरम्भ करते समय पास पर कर्मचारी द्वारा तारीख डाली जा रही है या नहीं, चैक करें।
- ☑ एक ही पास पर रेल कर्मचारी या उसके परिवार के लोग बार–बार यात्रा कर उसका दुरुपयोग तो नहीं कर रहे है।
- ☑ यदि पास में किसी प्रकार की काटछाँट की गई है तो जारी करने वाले की सील व हस्ताक्षर व कितने परिवर्तन किये गये है पास पर लिखे होने चाहिये। यदि कोई व्यक्ति नियम विरुद्ध काटछाँट कर पास का दुरुपयोग करता है तो उसे नियमानुसार कार्यवाही करनी चाहिये।

## टिकट जाँच कर्मचारियों द्वारा कैश जमा करवाना

टिकट संग्राहकों को प्रत्येक गाड़ी जाने के बाद या मंडल वाणिज्य प्रबन्धक द्वारा निर्धारित अन्य अवधि अनुसार तथा चल टिकट परीक्षकों को दिन की समाप्ति पर एकत्र की गई नकद राशि को प्रति दिन कैश ऑफिस भेजने हेतु स्टेशन के बुकिंग ऑफिस में जमा करा देना चाहिये। यदि चल टिकट परीक्षक दिन की समाप्ति पर किसी गाड़ी से चल रहा हो जिसे उसके गन्तव्य स्टेशन पर अगले दिन प्रातः पहुँचना है तो उसे पिछले दिन की आमदनी की रकम गन्तव्य स्टेशन पर पहुँचने के तुरन्त बाद जमा करा देना चाहिये। रकम जमा कराते समय उन्हें जमा कराई राशि

का ब्योरा कैश ट्रांस्मिट नोट में दर्ज करना चाहिये। यह मेमो कार्बन विधि से दो प्रतियों में स्थानीय व इत्तर यातायात के लिये अलग अलग तैयार किया जाना चाहिये। ट्रांस्मिट नोट में किराया, अतिरिक्त प्रभार व बिना बुक किया गया लगेज प्रभार की राशि अलग अलग लिख सबका योग लिखा जाना चाहिये। साथ ही उन अतिरिक्त किराया टिकटों के नम्बरों का जिनके अर्न्तगत रकम वसूल की गई व वसूली की दिनांक का भी उल्लेख किया जाना चाहिये। कैश ट्रांस्मिट नोट की एक प्रति रकम व अतिरिक्त किराया टिकट पुस्तक के साथ बुकिंग क्लर्क को देकर दूसरी प्रति पर उससे पावती ले लेनी चाहिये और रिकार्ड के रूप में टिकट जाँच कर्मचारी को अपने पास सुरक्षित रखनी चाहिये।

टिकट जाँच कर्मचारियों से रकम प्राप्त करने वाले स्टेशन कर्मचारी द्वारा प्राप्त रकम की तीन प्रतियों में स्थानीय व इत्तर यातायात के लिये अलग-अलग धन रसीद जारी की जाएगी व तीन प्रतियों में से एक प्रति स्टेशन रिकार्ड हेतु रख दो प्रतियां रकम जमा कराने वाले टिकट संग्राहक/चल टिकट परीक्षक को दे दी जाएगी। टिकट संग्राहक/ चल टिकट परीक्षक दो प्रतियों में से एक प्रति जारी की गई अन्तिम किराया टिकट की रिकार्ड प्रति के पीछे लगा देगें तथा दूसरी प्रति जो लेखा प्रति होती है माह के अन्त में अतिरिक्त किराया टिकट की विवरणी के साथ यातायात लेखा कार्यालय को भेज दी जाएगी।

धन रसीद जारी करने के अतिरिक्त चल टिकट परीक्षक/टिकट संग्राहक से रकम जमा करते समय स्टेशन कर्मचारी अंतिम जारी किये गये अतिरिक्त किराया टिकट की पिछली और रिकार्ड प्रति के धन रसीद के नम्बर और दिनांक लिख प्राप्त की गई रकम की पावती कर उस पर स्टेशन की मोहर लगाएगा। चल टिकट परीक्षक/ टिकट संग्राहक से प्राप्त आमदनी का लेखा दैनिक गाड़ी रोकड पुस्तक के अंतिम भाग अर्थात सारांश भाग में किया जाता है। बांयी ओर चल टिकट परीक्षक/ टिकट संग्राहक का नाम तथा दांयी ओर उनके द्वारा जमा कराई गई राशि को लिखा जाता है।

## 3 यात्री सुविधाएँ

यात्री यातायात को रेलवे की ओर आकर्नित करने तथा उनकी यात्रा को सुविधाजनक बनाने हेतु यात्रियों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ प्रदान की जाती है।

### रेल क्रेडिट कार्ड

भारतीय रेलवे और स्टेन्डर्ड चार्टेर्ड बैंक द्वारा रेल यात्रियों की सुविधा के लिये संयुक्त रूप से क्रेडिट कार्ड जारी किये गये हैं। इन क्रेडिट कार्डों का उपयोग अन्य क्रेडिट कार्ड के समान विश्व में कहीं भी किया जा सकता है। इसकी सुविधा विश्व के 1.5 करोड केन्द्रों और साढ़े चार लाख ऑटोमैटिक टेलर मशीन (एटीएम) पर उपलब्ध है।

भारतीय रेलवे में इनका उपयोग यात्री आरक्षण के लिये किया जा सकता है। इसकी फीस ` 800/- वार्निक है।

### टेली बुकिंग सेवा

भारतीय रेलवे पर टेलीबुकिंग सेवा 29 जून 1999 से आरम्भ की गई है। रेलवे और स्टेन्डर्ड चार्टेर्ड बैंक द्वारा संयुक्त रूप से जारी रेल क्रेडिट कार्डो के जरिये यात्री टेलीफोन पर अपना टिकट बुक करवा गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान समय से 48 घंटे पूर्व विशे-न काउन्टर से टिकट प्राप्त कर सकते हैं। टेली बुकिंग सेवा के जरिये जारी प्रति टिकट पर ` 50/- का सेवा शुल्क लगेगा चाहे उस टिकट पर कितने ही यात्री सफर कर रहे हो।

### टच स्क्रीन

यात्रियों को तुरन्त व त्वरित जानकारी देने के उद्देशय से प्रमुख स्टेशनों पर टच स्क्रीन की व्यवस्था की गई है। इसमें स्क्रीन के स्पर्श मात्र से यात्री सुविधाएं, समय सारणी, गाडियों के आवागमन तथा यात्री आरक्षण की स्थिति (पी एन आर इन्क्वायरी) के बारे जानकारी मिलती है।

### मल्टीमीडिया कियोस्क

यात्रियों को यात्रा से सम्बन्धित जानकारी देने के उद्देशय से प्रमुख स्टेशनों पर मल्टीमीडिया कियोस्क  की व्यवस्था की गई है। इनके द्वारा यात्री को पर्यटन सम्बन्धी अन्य कई प्रकार की जानकारियाँ मिलती है।

## वेब साइट पर ऑनलाइन सूचनाएं

यात्रियों को तुरन्त व त्वरित जानकारी देने के उद्देश्य से भारतीय रेलवे तथा विभिन्न रेलों द्वारा इन्टरनेट व रेलनेट आधारित ऑनलाइन सूचना प्रणाली आरम्भ की है। गाड़ी की वास्तविक स्थिति इनकी वेबसाइट पर देखी जा सकती है। पी एन आर व बर्थ उपलब्धता सम्बन्धी जानकारी http://indianrail.gov.in वेबसाइट पर मिलेगी। किसी गाड़ी की ऑनलाइन स्थिति रेलवे के सर्वर यूआरएल पर उपलब्ध है।

## इन्टरएक्टिव वायज़ रिस्पान्स सिस्टम

भारतीय रेलवे ने इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर प्रमुख शहरों में पूछताछ की आधुनिकत्तम व्यवस्था इन्टरएक्टिव वायज़ रिस्पान्स सिस्टम स्थापित किये हैं। वर्तमान में इसके द्वारा पी.एन.आर इन्क्वायरी, गाडियों के आवगमन के समय व प्लेटफार्म की जानकारी दी जाती है, जो कि यात्री अपने घर से टेलीफोन के द्वारा ज्ञात कर सकता है।

## विश्रामालय (रिटायरिंग रूम)

जहाँ यात्रियों का आवागमन अधिक है वहाँ रेल प्रशासन ने विश्रामालय की सुविधा उपलब्ध कराई है। इन स्थानों का किराया एवं जानकारी पब्लिक टाइम टेबल में दर्शाई गई है।

यह एक बिस्तर, दो बिस्तर, तीन बिस्तर, वातानुकूलित तथा गैर वातानुकूलित प्रकार के होते हैं। कुछ प्रमुख स्टेशनों पर डोरमेट्री ( जेन्टस व लेडिज़ ) की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।

इस हेतु टिकट संग्राहक के पास या विश्रामालय के काउन्टर पर निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करना होगा जिसमें यात्री अपना नाम, पता, कहाँ से आये हैं, कहाँ जायेगें, टिकट नम्बर, टिकट की श्रेणी, किस प्रकार की सुविधा चाहिये आदि लिखकर अपने हस्ताक्षर करेगें।

यात्री को 24 घंटे के लिये यह सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी, यदि यात्री अवधि बढ़वाना चाहता है तो किसी यात्री के विश्रामालय की प्रतीक्षा सूची मे न होने की परिस्थिति में ही 24 घंटे बढाना संभव है।

इसमें ठहरने की अधिकत्तम अवधि 72 घंटे तक है। विश्रामालय का किराया अग्रिम देना आवश्यक है।

यदि कोई विदेशी नागरिक ठहरते हैं तो उसका नाम, नागरिकता, पासपोर्ट नम्बर आदि की जानकारी नजदीकी पुलिस थाने में दी जाती है।

यदि कोई संसद सदस्य या जन प्रतिनिधि रेलवे द्वारा बुलाये जाते हैं तो उनसे किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है। यदि संसद सदस्य निजी यात्रा पर आये हैं तो प्रथम 24 घंटो के लिये 50% किराया तथा शे-ा समय के लिये पूरा किराया लिया जाता है। रेलवे अधिकारी विश्रामघर में स्थान उपलब्ध नहीं होने पर अधिकारी विश्रामालय में ठहर सकते हैं।

यदि क्षमता से अधिक यात्री विश्रामालय में ठहरना चाहते हैं और रेलवे द्वारा कोई अतिरिक्त बैड उपलब्ध नहीं कराए गए हैं तो 50% प्रति वयस्क तथा साथ में बालक फ्री ठहर सकता है।

**बेड रोल**

रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों को यात्रा के अर्न्तगत बेड रोल की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। एसीएफसी, 2 एसी, 3 टीयर एसी के यात्रियों को यह सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। प्रथम श्रेणी के यात्रियों को ` 20 प्रति जर्नी एवं गरीबरथ व दुरन्तों एक्सप्रेस में ` 25 की दर से बेडरोल उपलब्ध कराये जाते हैं।

बेडरोल में दो चादर, एक तकिया, एक गिलाफ़, एक कम्बल और एक फेस टॉवल होता है। यात्री को बेडरोल जारी करने पर एक टिकट जारी किया जाता है जिसे बेडरोल टिकट/ कूपन कहते हैं। इसकी तीन प्रतियाँ होती है। एक प्रति यात्री को, एक प्रति बेडरोल की समरी के साथ कन्डक्टर/ गार्ड को तथा तीसरी प्रति रिकार्ड में रहती है। गन्तव्य स्टेशन पर बेडरोल कन्डक्टर, गार्ड या स्टेशन मास्टर द्वारा एकत्रित कर लिया जाता है और एफएस के अर्न्तगत प्रारम्भिक स्टेशन को भेज दिया जाता है।

**रेल ट्रेवलर्स सर्विस एजेन्टस**

रेल प्रशासन द्वारा विभिन्न नगरों में इन एजेन्टों की नियुक्ति की जाती है। यह एजेन्ट विभिन्न गाडियों में दूसरे व्यक्तियों के टिकटों का आरक्षण कराने के लिये अधिकृत होते हैं। यह एजेन्ट एसीएफसी, 2 एसी, 3 एसी, प्रथम श्रेणी के यात्रियों से ` 25 प्रति यात्री तथा स्लीपर, द्वितीय श्रेणी में ` 15 प्रति यात्री की दर से सर्विस चार्ज वसूल कर सकते हैं।

**मेडिकल सुविधायें**

यदि कोई यात्री यात्रा के दौरान बीमार हो जाता है और वह यात्री गाड़ी में ही मेडिकल सेवा चाहता है तो भी रेल प्रशासन उसे मेडिकल सुविधायें उपलब्ध करवाता है। रेल प्रशासन द्वारा डाक्टर की निर्धारित कन्सलटेशन फीस ली जाती है और मेडिसिन चार्ज अलग से लिये जाते हैं। रेल प्रशासन द्वारा कुछ प्रमुख गाडियों में और कुछ प्रमुख स्टेशनों पर डॉक्टरों की व्यवस्था की गई है जिनसे सम्बन्धित विवरण समय सारणी में प्रकाशित किया गया है।

**अमानती सामान घर**

सभी प्रमुख स्टेशनों पर रेल प्रशासन द्वारा अमानती सामान धर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है जिसमें यात्री अपना सामान सुरक्षित रख सके।

अमानती सामान घर में विस्फोटक, खतरनाक, ज्वलनशील, बदबूदार, नाशवान तथा कीमती सामान रखने की अनुमति नहीं है। अमानती सामान घर में सामान रखने के लिये प्रत्येक सामान सुरक्षित रूप से पैक होना आवश्यक है।

मुबंई सेन्ट्रल पर यह सेवा 7 दिन तथा अन्य सभी स्टेशनों पर 30 दिन तक के लिये उपलब्ध है। यदि उपरोक्त समय में यात्री अपना सामान नहीं ले जाता है तो उसका नियमानुसार निपटारा किया जाएगा अर्थात समय सीमा के बाद सामान को एल पी ओ रजिस्टर में स्थानान्तरित कर दिया जाता है।

सामान जमा करते समय पैकेज की जाँच के पश्चात लेफ्ट लगेज टिकट (LLT) बनाई जायेगी। एल एल टी पर यात्री का नाम, सामान जमा करवाने का समय, दिन, कुल पैकेज की संख्या, सामान का विवरण लिखकर कर्मचारी अपने हस्ताक्षर करता है। एल एल टी तीन प्रतियों में बनाई जाती है। पहली प्रति लेबल प्रति कहलाती है जिसे सामान पर चिपका दिया जाएगा, दूसरी प्रति यात्री को दी जाएगी तथा तीसरी प्रति स्टेशन रिकार्ड के लिये रखी जायेगी।

जब भी कोई व्यक्ति सामान की डिलीवरी लेने आएगा तो उसे यात्री प्रति प्रस्तुत करनी होगी। यदि यात्री प्रति खो गई है तो नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर क्षतिपूरक बंध भरना होगा जिस पर एक ज़ामिन दो गवाह के हस्ताक्षर भी होगें। सामान की सुपुर्दगी देते समय यात्री से रसीद तथा रिकार्ड प्रति पर हस्ताक्षर लेगें तथा क्लॉक रूम चार्ज की गणना कर सामान की डिलीवरी दे दी जाएगी। यह

चार्जेज़ पूरे भारतीय रेलवे पर एक समान है तथा प्रति 24 घंटों या उसके भाग के लिये प्रति पैकेज लिये जाते हैं –

| | | |
|---|---|---|
| प्रथम 24 घंटे या उसके भाग के लिये | `10/- प्रति पैकेज | 1.11.01 से प्रभावी |
| द्वितीय 24 घंटे या उसके भाग के लिये | `12/- प्रति पैकेज | |
| अगले प्रति 24 घंटे या उसके भाग के लिये | `15/- प्रति पैकेज | |

## लॉकर्स

लॉकर्स की सुविधा निर्धारित स्टेशनों पर दी जाती है। इसमें विस्फोटक, खतरनाक, ज्वलनशील, बदबूदार तथा नाशवान सामान रखने की अनुमति नहीं है।

यह सेवा 7 दिन के लिये उपलब्ध है। इसमें एक इन्टरलॉक की सुविधा भी होती है। लॉकर्स किराये पर लेते समय यात्री से ` 3/- चाबी की सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में लिये जाते हैं जो यात्रियों को डिलिवरी देते समय चाबी जमा करवाने पर वापस कर दिये जाते हैं। लॉकर किराये पर लेते समय यात्री को लेफ्ट लगेज टिकट जारी की जाती है, इसमें यात्री का नाम, लॉकर लेने का समय व दिन तथा लॉकर का नम्बर लिखा जाता है।

लॉकर के चार्ज प्रति 24 घंटे या उसके भाग के लिये लिये जाते हैं जो निम्नानुसार है –

| | | |
|---|---|---|
| प्रथम 24 घंटे या उसके भाग के लिये | ` 15/- प्रति लॉकर | 1.11.2001 से प्रभावी |
| द्वितीय 24 घंटे या उसके भाग के लिये | ` 20/- प्रति लॉकर | |
| अगले प्रति 24 घंटे या उसके भाग के लिये | ` 25/- प्रति लॉकर | |

# 4 संसद सदस्यों के लिये उपलब्ध रेल यात्रा तथा अन्य सुविधाएं

## संसद सदस्यों को दी गई रेल सुविधाएं

संसद सदस्य, उन्हें जारी किये गये पहचान पत्र एवं रेलवे पास के प्राधिकार पर किसी भी स्टेशन से किसी स्टेशन तक भारतीय रेलवे पर स्वयं ACFC श्रेणी में व साथ में एक व्यक्ति AC2 श्रेणी में यात्रा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त संसद सदस्य के जीवनसाथी (पति/ पत्नी )को स्पाउस पास जारी किया जाता है, पास के प्राधिकार पर सदस्य के निवास स्थान से दिल्ली तक जाने तथा वहाँ से वापस आने के लिये ACFC श्रेणी में यात्रा करने के पात्र हैं।

ऐसे संसद सदस्य जिनके कोई जीवनसाथी नहीं हैं वे किसी एक व्यक्ति को अपने साथ ACFC श्रेणी में ले जाने के लिये पात्र हैं।

यदि एमपी अक्षत हो तो स्वयं स्पाउस व एक साथी तीनों एसीएफसी में यात्रा कर सकते है।

संसद सदस्यों, उनकी पति/पत्नी और साथियों को राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी सहित अथवा किसी अधिप्रभार का भुगतान किये बिना, यात्रा करने की अनुमति है।

संसद सदस्य तथा पत्नी/ पति/ साथी की यात्रा के सम्बन्ध में, गाड़ी से उतरने वाले स्टेशनों पर यात्रा  फार्मों को अभ्यर्पित करना होता है। इससे लोकसभा/ राज्यसभा सचिवालयों के नाम-खाते में एक मुश्त राशि ड़ालते समय क्षेत्रीय रेलवे को इस प्रकार की यात्राओं का लेखा जोखा रखने में सुविधा होगी।

यात्रा करते समय सदस्य को अपना पहचान पत्र एवं रेलवे पास अपने साथ रखना चाहिये ताकि जो टिकट जाँच कर्मचारी ड्यूटी पर हो, वे इसकी जाँच कर सके। इसी प्रकार जीवन साथी का पास पति/ पत्नी के पास ही उपलब्ध रहना चाहिये।

सदस्य की पत्नी/ पति/ साथी द्वारा सुपरफास्ट एक्सप्रेस गाडियों में यात्रा की गई है, तो गाड़ी से उतरने वाले स्टेशनों पर अभ्यर्पित किये गये रेल यात्रा फार्मों में उल्लेख किया जाना चाहिये ताकि किराये के साथ इस राशि को भी नाम-खाते ड़ालने में कोई भूल न हो।

कोई भी व्यक्ति संसद सदस्य के साथी के रूप में रेल में तब तक निःशुल्क यात्रा नहीं कर सकता जब तक कि सम्बन्धित संसद सदस्य भी उसी गाड़ी में यात्रा न कर रहा हो।

## रेल यात्रा फार्म

संसद सदस्यों को लोकसभा/ राज्यसभा सचिवालय द्वारा रेल यात्रा फार्म जारी किये जाते हैं जो निम्नानुसार होते हैं -

**सदस्यों के रेल यात्रा फार्म**

अ) जिस सदस्य को यह पुस्तिका जारी की जाती है उसके द्वारा इसे अपनी अभिरक्षा में रखना अपेक्षित है।

ब) जब कोई सदस्य पहचान पत्र व रेलवे पास पर यात्रा करता है, तो इसमें से एक फार्म भरकर यात्रा समाप्त होने पर टिकट संग्राहक को सौंप देना चाहिये।

स) इस फार्म की रिकार्ड फॉइल सदस्य को अपने पास रख लेनी चाहिये और जब इस पुस्तिका के सभी फॉर्म प्रयुक्त हो जाए तो इसे लोकसभा/राज्यसभा सचिवालय को वापस लौटा देना चाहिये।

**सदस्य के जीवनसाथी के लिये रेल यात्रा फार्म**

अ) जिस सदस्य को यह पुस्तिका जारी की जाती है उसके द्वारा इसे अपनी अभिरक्षा में रखने का अनुरोध है।

ब) जब कोई सदस्य की पत्नी/ जीवनसाथी पति/ पत्नी के रेलवे पास पर यात्रा करता या करती है, तो इसमें से एक फार्म भरकर यात्रा समाप्त होने पर टिकट संग्राहक को सौंप देना चाहिये।

स) इस फार्म की रिकार्ड फॉइल सदस्य को अपने पास रख लेनी चाहिये और जब इस पुस्तिका के सभी फॉर्म प्रयुक्त होने पर इसे लोकसभा/ राज्यसभा सचिवालय को वापस लौटा देना चाहिये।

**आरक्षण**

जब कभी संसद सदस्यों द्वारा टेलीफोन पर किये गये अनुरोधों के आधार पर आरक्षण किये जाते हैं तो, ऐसे आरक्षणों को बाद में, टेलीफोन किये जाने के 24 घंटों के भीतर या गाड़ी प्रस्थान समय से 24 घंटे पहले इसमें जो भी पहले हो, लिखित आवेदन द्वारा इनकी पुन्टि करानी होगी तथा जहाँ पहचान पत्र एवं रेलवे पास पहले प्रस्तुत नहीं किये गये हो वहाँ यात्रा के प्राधिकार से सम्बन्धित अपेक्षित जाँच गाड़ी के प्रारम्भिक स्टेशन पर गाड़ी पर की जा सकती है।

संसद सदस्य की रेल यात्रा के लिये प्राथमिकता के आधार पर आरक्षित स्थान की व्यवस्था करने के लिये सभी प्रयास किये जाने चाहिये। यदि सहायता की आवश्यकता हो तो आपात कोटा से स्थान देने के लिये, मंडल या मुख्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।

यह अपेक्षित है कि संसद सदस्य, उनकी पत्नी/ पति/ साथी को गाड़ियों में स्थान उपलब्ध कराने के लिये उच्चत्तम प्राथमिकता दी जाए। उन पर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये तथा हर संभव सहायता दी जानी चाहिये।

संसद सदस्यों द्वारा उनके पहचान पत्र एवं रेलवे पास के साथ उनकी यात्रा के पूरे विवरण दर्शाते हुए किये गये लिखित अनुरोधों को स्वीकार किया जाना चाहिये और आरक्षण दिया जाना चाहिये। आरक्षण के लिये उनसे माँगपर्ची विधिवत भरकर देने का आग्रह नहीं किया जाना चाहिये।

संसद सदस्यों द्वारा आरक्षण के लिये टेलीफोन पर किये गये अनुरोधों को स्वीकार किया जाना चाहिये तथापि सम्बन्धित संसद सदस्य से यह अनुरोध किया जाना चाहिये कि टेलीफोन पर अनुरोध करने के पश्चात 24 घंटे के भीतर वे अपना लिखित पुन्टिकरण भेज दे।

संसद सदस्यों द्वारा मध्यवर्ती स्टेशनों से आरक्षण के लिये किये गये अनुरोध, गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान समय से, 72 घंटे की सामान्य सीमा के बजाय 12 घंटे पहले तक स्वीकार किये जाए तथा गाड़ी के प्रारम्भिक स्टेशन अथवा कोटा नियन्त्रण करने वाले स्टेशन से स्थान प्राप्त करके संसद सदस्य को आरक्षण देने के लिये सभी प्रयास किये जाए।

संसद सदस्यों से आरक्षण के लिये प्राप्त संदेशों के प्रे-ाण पर विशे-ा ध्यान दिया जाए। ऐसे संदेश यथा सम्भव जहाँ कोरियर उपलब्ध हो कोरियर के जरिये भी भेजे जाए ताकि संदेशों की गन्तव्य स्टेशन पर ठीक समय पर सुपुर्दगी निश्चित की जा सके। यदि किसी संसद सदस्य का आरक्षण आइडेण्टिटी कार्ड कम रेल पास पर हो तो स्केलटन चार्ट में उनके नाम के आगे स्टार मार्क प्रदर्शित होगा।

जब किसी मध्यवर्ती स्टेशन से आरक्षण दिया गया हो तब गाड़ी स्टेशन पर पहुँचने के पहले कोच/ शायिका की जानकारी देने के लिये सभी प्रयास किये जाने चाहिये। संसद सदस्य का नाम यदि प्रतीक्षा सूची पर हो तो यथासम्भव प्रधान कार्यालय/ ई क्यू कोटा रिलीज़ करके स्थान की व्यवस्था की जानी चाहिये।

**विश्राम कक्ष सुविधाएं**

1. रेलवे द्वारा आयोजित कन्डक्टेड टूर में भाग लेने के लिये अथवा सम्बन्धित समितियों की बैठकों में उपस्थित रहने के लिये संसद सदस्यों को रेलवे रेस्ट हाउस या पब्लिक रिटायरिंग रूम में निःशुल्क रहने की सुविधा दी जाती है।
2. तथापि जब सदस्य अपनी ओर से समितियों के कार्य संचालन से सम्बन्धित किसी कार्य के लिये निरीक्षण दौरे पर जाते हैं तो उन्हें ऐसे अवसरों पर बिना किसी प्रभार के रेलवे रेस्ट हाउस आवंटित किये जाते हैं।
3. इसके अलावा अन्य अवसरों पर जब संसद सदस्य गाड़ी से यात्रा करते हैं तो उनके लिये पब्लिक रिटायरिंग रूम में रहने की व्यवस्था की जाए और उनके उसे ग्रहण करने के समय से 24 घंटे अथवा उसके किसी भाग की अवधि के लिये जनता के लिये निर्धारित साधारण दर का 50 प्रतिशत किराया वसूल किया जाए। 24 घंटे से अधिक समय तक रूकने के प्रकरण में साधारण नियमों के अर्न्तगत प्रत्येक 24 घंटे या उसके भाग के लिये पूरा प्रभार वसूल किया जाएगा।
4. यह नोट किया जाए कि 24 घंटे या उसके भाग की अवधि के लिये रियायती दरों पर पब्लिक रिटायरिंग रूम की सुविधा संसद सदस्य की पत्नी/ पति/ साथी के लिये तभी अनुमेय होगी जब वे संसद सदस्य के साथ यात्रा कर रहे हो।

# 5 विभिन्न मनी वेल्यू बुक्स

## अतिरिक्त किराया टिकट

नीचे लिखे सभी प्रकरणों में रेलवे के किराये की रकम और अतिरिक्त देय प्रभार की वसूली के लिये टिकट संग्राहक या चल टिकट परीक्षक द्वारा अतिरिक्त किराया टिकट जारी की जाती है।

- जब कोई यात्री बिना टिकट यात्रा करते हुए पकडा जाए।
- जब कोई यात्री अनियमित टिकट पर यात्रा करते हुए पकडा जाए।
- जब कोई यात्री बिना बुक कराए अनुमत निःशुल्क छूट सीमा से अधिक सामान के साथ यात्रा करते हुए पकडा जाए।
- जब कोई यात्री टिकट खोने पर या तो आगे के स्टेशन के लिये या ऊँची श्रेणी में या लम्बे मार्ग से यात्रा करना चाहे।

बुकिंग ऑफिस में भी इन टिकटों को उस स्टेशन के लिये जारी किया जाता है जिसके लिये छपे हुए कार्ड टिकट उपलब्ध न हो। ऐसी स्थिति में उस मार्ग के सर्वाधिक लम्बी दूरी तक के स्टेशन के लिये उपलब्ध छपे हुए कार्ड टिकट के साथ अतिरिक्त किराया टिकट को बाकी भाग के लिये जारी किया जाता है। इन टिकटों को सरकारी यात्री यातायात के लिये भी चैक सोल्ज़र टिकट न होने पर भी जारी किया जाता है। जब कभी अतिरिक्त किराया टिकट पुस्तक बुकिंग कार्यालय में उपयोग में लाई जाती है तो इसकी सूचना मंडल वाणिज्य प्रबन्धक व लेखा कार्यालय को देना आवश्यक है।

अतिरिक्त किराया टिकटों पर मशीन से नम्बर डले होते हैं और यह वाटरमार्क युक्त पेपर पर ही मुद्रित की जाती है। स्टोर डिपो द्वारा तीन प्रतियों के सैट में 50-50 टिकटों की जिल्दबन्द पुस्तकों के रूप में स्टेशन की माँग पर सप्लाई की जाती है। स्टोर डिपो से प्राप्त होने के पश्चात प्रत्येक पुस्तक की जाँच की जाएगी तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर तुरन्त सर्वसम्बन्धित को सूचित किया जाएगा। जाँच करने वाले कर्मचारी द्वारा पुस्तक की अंतिम प्रति की रिकार्ड प्रति के पीछे दिनांक सहित हस्ताक्षर करने होगें।

तीन प्रतियों में से पहली प्रति लेखा विभाग, दूसरी यात्री तथा तीसरी रिकार्ड के लिये होती है।

## अतिरिक्त किराया टिकट बनाना

- अतिरिक्त किराया टिकट पेन्सिल की सहायता से तीन प्रतियों में बनाई जाती है। पहली प्रति माह के अन्त में अतिरिक्त किराया टिकट विवरणी के साथ यातायात लेखा कार्यालय को भेजी जाती है, दूसरी प्रति वसूल की गई राशि की पावती के रूप में एवं गाड़ी में यात्रा करने तथा गंतव्य स्टेशन पर गेट से बाहर जाने के लिये प्राधिकार पत्र के रूप में यात्री को दी जाती है तथा तीसरी प्रति रिकार्ड के रूप में रखी जाती है।
- टिकट तैयार करते समय अतिरिक्त किराया टिकट के आकार की टिन प्लेट का उपयोग किया जाना चाहिये ताकि सभी प्रतियों पर प्रभाव साफ साफ व पढने योग्य आए।
- अतिरिक्त किराया टिकट पर यात्री का नाम लिखा जाना चाहिये और यदि टिकट एक से अधिक यात्रियों के लिये जारी हो तो परिवार के मुखिया का नाम और उसके आगे 'और पार्टी' शब्द लिखा जाना चाहिये। यात्रियों की संख्या अंको व शब्दो में लिखी जानी चाहिये।
- टिकट पर अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त प्रभार व सामान प्रभार की वसूल की गई राशि को अलग अलग लिख सब की जोड लगाकर रकम को अंकों व शब्दों में लिखा जाना चाहिये।
- स्टेशनों के पूर्ण नाम लिखे जाने चाहिये।
- टिकट पर प्रभार वसूल करने के कारण का उल्लेख किया जाना चाहिये।
- यात्री के पास पहले से यदि यात्री या लगेज टिकट हो तो उनके पूर्ण विवरण जैसे टिकट नं., दिनांक, स्टेशन से, स्टेशन को, वाया, श्रेणी आदि अतिरिक्त किराया टिकट पर लिखे जाने चाहिये।
- जब अतिरिक्त किराया टिकट किसी चल टिकट परीक्षक द्वारा जारी की जाती है तो यात्रियों के पास पहले से जो टिकट है उनके मुख्य भाग पर लाल पैन्सिल से अक्षर 'एक्स. एफ.' अंकित कर देना चाहिये ताकि गंतव्य स्टेशन पर जब भी कोई यात्री ऐसा टिकट दे जिस पर एक्स एफ अंकित हो तो टिकट संग्राहक यात्री टिकट व लगेज टिकट के साथ साथ अतिरिक्त किराया टिकट भी एकत्रित कर ले।
- टिकट पर दिनांक,माह अंकों तथा शब्दों में लिखी जानी चाहिये तथा दिनांक एवं माह की संख्या एक से नौ है अर्थात एक अंक में है तो पहले बाँये तरफ शून्य लगा देना चाहिये।

- जिस स्टेशन से गाड़ी पर टिकट बनाया जाता है,उस स्टेशन का नाम व गाड़ी नंबर भी टिकट पर लिखे जाने चाहिये।
- अतिरिक्त किराया टिकट फॉर्म पर लिखे जाने वाले सभी विवरण उसी जाँच कर्मचारी द्वारा लिखे जाने चाहिये जो टिकट जारी करता है।
- चल टिकट परीक्षक को टिकट पर अपने स्टेशन मुख्यालय का नाम लिखना चाहिये तथा टिकट संग्राहक को अपने स्टेशन की मुहर लगानी चाहिये।
- टिकट जारी करने वाले जाँच कर्मचारी को अपने पूरे हस्ताक्षर करने चाहिये।
- टिकट पर लिखे जाने वाले दो अंकों, शब्दों या अक्षरों के बीच कोई जगह नहीं छोडी जानी चाहिये ताकि उनमें किसी प्रकार शब्द या अंक जोडने की संभावना न रहे।
- स्थानीय तथा इत्तर यातायात के लिये अलग अलग अतिरिक्त किराया टिकट पुस्तकें उपयोग में लाई जानी चाहिये तथा एक समय में एक ही पुस्तक का उपयोग किया जाना चाहिये। दूसरी पुस्तक का उपयोग तभी प्रारम्भ किया जाना चाहिये जब पहली पुस्तक पूरी तरह समाप्त हो जाए।
- अतिरिक्त किराया टिकट पर किसी प्रकार की काँट छाट या रद्दोबदल नहीं करना चाहिये। यदि टिकट जारी करने में कोई गलती हो जाती है तो उस टिकट की सभी प्रतियों पर निरस्त किया “Cancelled” शब्द अंकित कर निरस्त करने के कारण लिख निरस्त करने वाले कर्मचारी को अपने तारीख युक्त हस्ताक्षर करने चाहिये। टिकट निरस्त करने के पश्चात जितना शीघ्र संभव हो सके, सभी प्रतियों पर स्टेशन मास्टर,मुख्य टिकट निरीक्षक, प्रधान टिकट संग्राहक के तारीख युक्त प्रतिहस्ताक्षर लिये जाने चाहिये। निरस्त किये गये टिकट की यात्री प्रति मुख्यालय स्टेशन के स्टेशन मास्टर या बुकिंग क्लर्क के पास जमा करवा कर टिकट की रिकार्ड प्रति के पीछे उसकी पावती ली जानी चाहिये। निरस्त किये गये टिकट की लेखा प्रति अतिरिक्त किराया टिकट की मासिक विवरणी के साथ लेखा कार्यालय को भेजी जानी चाहिये।
- निरस्त टिकट की यात्री प्रति प्राप्त करने वाले स्टेशन मास्टर / बुकिंग क्लर्क को इसे नहीं जारी किये गये टिकटो के अलग अलग स्टेटमेंट में दर्ज कर जमा करवाने वाले जाँच कर्मचारी का नाम लिख कर स्टेटमेंट निरस्त यात्री प्रति के साथ लेखा कार्यालय को भेजा जाना चाहिये।

**सीजन टिकट**

सीजन टिकट एक माह व तीन माह के लिये प्रथम व द्वितीय श्रेणी के लिये जारी किये जाते हैं। साधारणतः सीजन टिकट 150 किमी तक की दूरी के लिये जारी किये जाते हैं लेकिन 1.4.1951 के पूर्व 150 किमी से अधिक जिन स्टेशनों के लिये जारी किये गये थे वे आज भी लागू हैं तथा विशे–ा परिस्थिति में यह दूरी सीसीएम द्वारा बढाई भी जा सकती है। विद्यार्थियों के लिये अधिकत्तम 150 किमी तक की दूरी के लिये सीजन टिकट जारी किये जा सकते हैं। जो सुपरफास्ट गाड़ियाँ 325 किमी. से कम दूरी पर चलती है उनमें सुपरफास्ट चार्ज नहीं लिया जाता है।

मासिक सीजन टिकट का किराया कोचिंग टेरिफ नं. 25 पार्ट II में दर्शाया गया है। त्रैमासिक सीजन टिकट का किराया मासिक सीजन टिकट के किराये का 2.7 गुना होगा। विद्यार्थियों से निर्धारित किराये का आधा किराया लिया जाएगा। अनूसूचित जाति व जनजाति के विद्यार्थियों को विद्यार्थी किराये में 50% किराये की छूट और दी जाएगी। विद्यार्थियों को दी जाने वाली रियायत सामान्य जाति वाले विद्यार्थियों को 25 व–र्ा तक, अजा व अजजा के विद्यार्थियों को 27 व–र्ा तक तथा रिसर्च स्कॉलर, उच्च शिक्षारत विधार्थियो को 35 व–र्ा की उम्र तक यह रियायत दी जाती है।

सीजन टिकट प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी में ही जारी किये जाते हैं। प्रथम श्रेणी के सीजन टिकट का रंग हरा या सफेद तथा द्वितीय श्रेणी के सीजन टिकट का रंग पीला होता है। मासिक सीजन टिकट की अवधि जारी करने की दिनांक से अगले माह की एक दिन पूर्व की दिनांक तक होगी तथा इसी प्रकार त्रैमासिक सीजन टिकट की अवधि जारी करने की दिनांक से तीसरे माह की एक दिन पूर्व की दिनांक तक वैध होगी। प्रिन्टेड सीजन टिकट पर स्टेशन से स्टेशन को, रेट, वयस्क या बच्चा दिनांक व माह छपे होते हैं। यात्री का नाम, उम्र, सेक्स, जारी करने की दिनांक, रेल कर्मचारी के हस्ताक्षर सीजन टिकट बनवाते समय पेन से अंकित किये जाते हैं। इसके पिछले पृ–ठ पर यात्रा सम्बन्धी नियम लिखे होते हैं।

**पहचान पत्र**

सीजन टिकट बनवाने हेतु यात्री को एक पहचान पत्र दिया जाता है जिसकी वैधता अवधि 5 व–र्ा होती है तथा इसकी कीमत 1रू है। पहचान पत्र पर मशीन से सीरीयल नं. अंकित होते हैं जिसे सीजन टिकट जारी करते समय उस पर लिख दिया जाता है। पहचान पत्र के बाँयी तरफ यात्री का पासपोर्ट आकार का फोटो

चिपकाया जाएगा तथा दांयी ओर यात्री का नाम, पता, उम्र, सेक्स, जारी करने की दिनांक व यात्री के हस्ताक्षर आदि विवरण होते हैं। फोटो को स्टेशन मास्टर द्वारा सत्यापित किया जाएगा। (रेलवे के अतिरिक्त यदि यात्री के पास ड्राइविंग लाइसेंस, लेमिनेटेड क्रेडिट कार्ड, आई कार्ड, पेन कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र होता है तो वे भी सीजन टिकट बनवाने हेतु मान्य है।)

**इन्टरनेट द्वारा सीजन टिकट**

पश्चिम रेलवे के मुम्बई उपनगरीय खण्ड पर इन्टरनेट की मदद से सीजन टिकट जारी करने की सुविधा वेबसाइट www.rediff.com पर उपलब्ध है जिसमें सीजन टिकट सम्बन्धी जानकारी जैसे परिचय पत्र क्रमांक, उसकी वैधता की दिनांक, कहाँ से कहाँ तक, श्रेणी इत्यादि भरकर सीजन टिकट प्राप्त कर सकता है। इस सीजन टिकट की उसे घर पर डिलीवरी कर दी जाएगी। मुम्बई उपनगरीय खण्ड पर एटीएम की मदद से सीजन टिकट जारी करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।

**इज्ज़त पास**

असंगठित क्षेत्र के व्यक्ति जैसे सब्जी बेचने वाले, घरेलू नौकर, खेती के मजदूर, निर्माण स्थल पर कार्य करने वाले मजदूर आदि जिनकी मासिक आय ` 1500/- तक है, उन्हें इज्ज़त मासिक सीजन टिकट जारी किया जाएगा। ये सीजन टिकट स्थानीय संसद सदस्य, डी एम, डीआरएम (जहाँ प्राधिकृत किये हों) या बीपीएल या इसके समकक्ष किसी संस्था के द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण प्रस्तुत करने पर, जारी किये जाएगें कि यह व्यक्ति असंगठित क्षेत्र में कार्य करता है और प्रतिमाह इसकी आय ` 1500/- तक है ऐसा प्रमाण पत्र राज्य सभा के सदस्य या यूनियन मिनिस्टर के द्वारा भी जारी किया जा सकता है। इसके साथ में डीआरएम के द्वारा जारी एक और प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। ये प्रमाण–पत्र दो वर्ष तक मान्य होंगे और रियायत प्राप्त करने के समय इनकी फोटो प्रति स्टेशन पर देनी होगी। वर्तमान में इसकी दर ` 25/- है। यह केवल द्वितीय श्रेणी में 100 किमी तक मासिक यात्रा के लिए ही जारी होंगे।

ये इज्ज़त मासिक सीजन टिकट केवल दूसरी श्रेणी के लिये जारी किये जाएगें और वे किसी मेल/एक्स. में यात्रा हेतु वैध होगें। यह सीजन टिकट त्रैमासिक जारी नहीं किये जा सकते हैं।

## निःशुल्क मासिक सीजन टिकट

बाहरवीं कक्षा तक अध्ययन करने वाले छात्रों तथा स्नात्तक तक अध्ययन करने वाली छात्राओं को उनके निवास स्थान से स्कूल के स्थान तक दैनिक यात्रा करने के लिये निःशुल्क मासिक टिकट जारी किये जाते हैं। ये निःशुल्क मासिक सीजन टिकट केवल दूसरी श्रेणी के लिये जारी किये जाएगें और वे किसी मेल/एक्स. में यात्रा हेतु वैध नहीं होगें। निःशुल्क मासिक सीजन टिकट विद्यार्थियों को जारी किये जाने वाले मासिक सीजन टिकट के लिये लागू अन्य शर्ते पूरी करने के पर ही जारी किये जाएगें। विद्यार्थियों को जारी निःशुल्क मासिक सीजन टिकट पर अधिभार भी नहीं वसूला जाएगा।

## सीजन टिकट जारी करना

सीजन टिकट धारक अपने साथ निम्नलिखित वजन निःशुल्क ले जा सकता है।

| श्रेणी | फ्री अलाउन्स | ग्रेस लिमिट |
|---|---|---|
| प्रथम | 15 किग्रा | 5 किग्रा |
| द्वितीय | 10 किग्रा | 5 किग्रा |

जो सुपरफास्ट गाड़ी 325 किमी से कम दूरी पर चलती है उस पर सुपरफास्ट चार्ज नहीं लिया जायेगा। यात्री द्वारा सीजन टिकट प्राप्त करने के पश्चात उस पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है तभी यह टिकट यात्रा हेतु मान्य होगा अन्यथा उसे बिना टिकट का यात्री मान कर चार्ज किया जाएगा।

यात्रा के दौरान सीजन टिकट व पहचान पत्र दोनों साथ रखना अनिवार्य है। किसी एक की भी अनुपलब्धता की स्थिति में यात्री को बिना टिकट का यात्री मान कर चार्ज किया जाएगा।

सीजन टिकट धारक निर्धारित मार्ग से ही यात्रा करेगें। मार्ग से हटकर यात्रा करते हुए पकडे जाने पर जहाँ से भी यात्री मार्ग से हटा है, वहॉ से आगे बिना टिकट का यात्री मानकर चार्ज किया जाएगा।

सीजन टिकट अहस्तान्तरणीय टिकट है अर्थात जिस व्यक्ति के नाम पर यह टिकट जारी किया गया है वही व्यक्ति उस पर यात्रा कर सकता है। यदि कोई अन्य व्यक्ति इस टिकट पर यात्रा करते हुए पकडा जाएगा तो उसे धारा 138 के अर्न्तगत बिना टिकट का यात्री माना जाएगा तथा सीजन टिकट जब्त कर लिया जाएगा व धारा 142 के अर्न्तगत अभियोजित किया जाएगा।

**प्रोड्यूस वेन्डर सीजन टिकट**

दैनिक व्यापार की नाश्वान वस्तुओं लाने तथा ले जाने के लिये यह टिकट व्दितीय श्रेणी मासिक सीजन टिकट के साथ जारी किया जाता है। पी वी एस टी का किराया द्वितीय श्रेणी मासिक सीजन टिकट के किराए का 50% होता है। पी वी एस टी बच्चों के  सीजन टिकट पर जारी नहीं किया जा सकता है।

यात्रा के दौरान पी वी एस टी धारक सामान बेच नहीं सकता है। उपनगरीय रेलवे के व्यस्त समय में सामान लाना व ले जाना मना है।

बाह्य यात्रा में पी वी एस टी धारक सीजन टिकट के फ्री अलाउन्स सहित 60 किलो तथा वापसी यात्रा में खाली थैलों/ बर्तन में ला व ले जा सकता है।

यात्रा के दौरान पी वी एस टी, सीजन टिकट तथा पहचान पत्र तीनों साथ रखना अनिवार्य है अन्यथा किसी भी एक की अनुपस्थिति में उसे बिना टिकट यात्री मान कर चार्ज किया जाएगा।

**प्लेटफार्म टिकट**

रेल प्रशासन द्वारा स्टेशनों पर प्लेटफार्म टिकट जारी किये जाते हैं। सभी स्टेशनों (कुछ स्टेशनों को छोडकर जिन स्टेशनों पर प्लेटफार्म टिकट नहीं बिकते हैं) के प्लेटफार्म पर व्यक्तियों को प्लेटफार्म टिकट लेकर प्रवेश करना चाहिये। यदि कोई व्यक्ति बिना प्लेटफार्म टिकट के प्लेटफार्म पर प्रवेश करता है तो उससे अतिरिक्त किराया तथा अतिरिक्त प्रभार वसूल किये जाएगें।

प्लेटफार्म टिकट की दर भारतीय रेलवे के सभी स्टेशनों पर ` 3/-  है तथा यह जारी करने के समय से दो घंटे के लिये वैध है। जिन स्टेशनों पर प्लेटफार्म टिकट नहीं मिलता है वहाँ स्टेशन मास्टर अपने विवेक के अनुसार कुछ व्यक्तियों को प्लेटफार्म पर आने की अनुमति दे सकता है।

रेल प्रशासन द्वारा कुछ व्यक्तियों को बिना प्लेटफार्म टिकट के प्लेटफार्म पर आने की अनुमति दे रखी है। जो निम्नलिखित है -

- ☑ रेल कर्मचारी
- ☑ कार्य हेतु स्टेशन पर नियुक्त पुलिस विभाग के कर्मचारी
- ☑ कार्य हेतु स्टेशन पर नियुक्त आबकारी व कस्टम विभाग के कर्मचारी
  (उपरोक्त कर्मचारियों को रेल कर्मचारी द्वारा मॉगे जाने पर पहचान पत्र दिखाना आवश्यक है )

- ☑ सेना व सी.आर.पी.एफ के वे कर्मचारी जिन्हें अधिकारियों को लाने व ले जाने के लिये नियुक्त किया गया हो। ये कर्मचारी गणवेश में रहेगें।
- ☑ चिकित्सा अधिकारी, यदि किसी यात्री को बाहरी चिकित्सा की सुविधा प्राप्त करनी हो।
- ☑ प्लेटफार्म परमिट वाले व्यक्ति
- ☑ रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति के सदस्य

**प्लेटफार्म परमिट**

जिन व्यक्तियों को नियमित रूप से प्लेटफार्म पर आना जाना हो जैसे प्रेस रिपोर्टर, न्यूज़ पेपर ऐजेन्ट आदि व्यक्तियों के लिये रियायती दरों पर मासिक, त्रैमासिक, अर्द्धवार्निक तथा वार्निक प्लेटफार्म परमिट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यह परमिट माह की किसी भी तारीख को जारी किये जाए समाप्ति अवधि के अनुसार माह की अंतिम तारीख होगी।

प्लेटफार्म परमिट की दर स्टेशनों के अनुसार दो प्रकार से निर्धारित की गई है-

| प्लेटफार्म परमिट की अवधि | बडे स्टेशन ` | छोटे स्टेशन ` |
|---|---|---|
| मासिक | 15/- | 12/- |
| त्रैमासिक | 45/- | 36/- |
| छःमासिक | 90/- | 72/- |
| वार्निक | 180/- | 144/- |

प्रेस रिपोर्टर तथा प्रेस फोटोग्राफर ( रजिस्टर्ड न्यूज पेपर के ) से उपरोक्त दर का 1/4 किराया लिया जाता है लेकिन उन्हें मासिक प्लेटफार्म परमिट जारी नहीं किया जाता है।

**उच्च अधिकारियों का मॉंगपत्र (HOR)**

उच्च अधिकारी वह है जिसका नाम कोचिंग टेरिफ नं. 25 पार्ट 1 भाग 1 के 'एफ' अनुबन्ध में लिखा है। इनमें भारत के रा-ट्रपति, उपरा-ट्रपति, उच्चत्तम न्यायालय के न्यायाधीश, योजना आयोग के सदस्य, लोकसभा के अध्यक्ष,

प्रधानमंत्री, केबिनेट मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा तीनो सेनाओं के अध्यक्ष आदि सम्मिलित है।

इन व्यक्तियों को एक माँगपत्र सचिवालय द्वारा जारी किया जाता है। इस माँगपत्र के दो भाग होते हैं। यात्रा आरम्भ करने के पूर्व बाँये भाग पर विवरण लिखकर यात्री द्वारा स्टेशन पर दे दिया जाता है। दाँये भाग पर स्टेशन से स्टेशन को, श्रेणी, सदस्यों की संख्या, आरक्षित स्थान का विवरण लिखकर, स्टाम्प लगाकर तथा स्टेशन मास्टर द्वारा हस्ताक्षर कर यात्री को दिया जाता है। इनसे कोई राशि नकद में नहीं ली जाती है।

स्टेशन भाग पर आरक्षित किये गये स्थान का विवरण व किराया लिखकर कैश वाउचर के रूप में सी.आर. नोट के साथ लेखा कार्यालय को भेज दिया जाता है।

**इन्डरेल पास**

इस टिकट के द्वारा यात्री भारतीय रेल में किसी भी स्टेशन से किसी भी स्टेशन तक टिकट की अवधि के दौरान यात्रा कर सकता है। यह टिकट विदेशी नागरिकों, उनके रजिस्टर्ड गाइड, अप्रवासी भारतीयों तथा उनके भारतीय जीवन साथी को विदेशी मुद्रा में जैसे डालर, पौंड इत्यादि में वेलिड पासपोर्ट व वीसा के आधार पर जारी किया जा सकता है।

यह पास जारी होने की तिथि से 365 दिन तक वैध रहता है तथा यह 1/2, 1, 2, 4, 7, 15, 21, 30, 60 व 90 दिन के लिये जारी किये जाते हैं। इनका किराया रेलवे बोर्ड द्वारा सूचित किया जाता है जिसकी जानकारी समय-समय पर स्टेशनों को रेट एडवाइज़ द्वारा दी जाती है।

यह पास निम्न लिखित श्रेणी में जारी किया जाता है व उसका रंग निम्न प्रकार होता है -

- ACFC — नीला
- 2AC, 3AC, FC, CC — हरा
- II Class /SL — पीला

इस पास पर आरक्षण शुल्क तथा सुपर फास्ट शुल्क नहीं लिया जाता हैं। ये टिकट की श्रेणी के अनुसार राजधानी, अगस्त क्रान्ति व शताब्दी एक्सप्रेस में भी मान्य होते हैं व इन गाडियों में इन्हें भोजन भी निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। आधे व एक दिन के इन्डरेल पास राजधानी/शताब्दी/जन शताब्दी मे मान्य नहीं हैं।

इस टिकट को जारी करते समय इस पर यात्री का नाम, पासपोर्ट का नम्बर, नागरिकता व टिकट जारी करने की तारीख लिखी जाती है। इन्हें यात्रा आरम्भ करने के पूर्व टिकट संग्राहक से पृ-ठाकंन करवा लेना चाहिये अन्यथा इन्हें बिना टिकट यात्री मानकर चार्ज किया जायेगा। चेकिंग स्टाफ द्वारा मांगे जाने पर पासपोर्ट दिखाना अनिवार्य है।

यह टिकट अहस्तान्तरणीय है।

इन्डरेल पास वाला व्यक्ति कहीं भी कितने भी दिन ब्रेक जर्नी कर सकता है लेकिन उसे यात्रा अवधि के अंतिम दिन रात्रि 24 बजे तक यात्रा समाप्त करनी होगी। अगर यात्रा के दौरान यात्रा में कोई रूकावट आई है जैसे बाढ आना, भूकम्प आना, दुर्घटना आदि तो सक्षम अधिकारी द्वारा रूकावट की अवधि वाले दिन बढाये जा सकते हैं।

यदि निम्न श्रेणी के पास का धारक यात्रा के किसी भाग पर उच्च श्रेणी में यात्रा करना चाहता है तो किराये का अन्तर भारतीय मुद्रा में अदा कर उच्च श्रेणी में यात्रा कर सकता है।

यदि इन्डरेल पास धारक यात्रा नहीं करना चाहता है तो धन वापसी जारी करने वाले कार्यालय द्वारा निम्न प्रकार से होगी -

- यदि यात्रा शुरू नहीं की है, आरक्षण भी नहीं करवाया है तो बिना कोई कटौती किये पूरी राशि लौटा दी जायेगी।
- यदि यात्री ने आरक्षण करवा लिया है लेकिन यात्रा शुरू नहीं की है तो धन वापसी सामान्य नियमों के अनुसार रद्दीकरण प्रभार काट कर भारतीय मुद्रा में की जायेगी।

**सर्क्यूलर जर्नी टिकट**

रेल द्वारा यात्रा करने के लिये साधारणतः सामान्य मार्ग से ही टिकट जारी किये जाते हैं। सामान्य मार्ग से आशय है कि

- दो स्टेशनों के बीच सबसे कम दूरी वाला रास्ता
- अधिक दूरी वाला ऐसा रास्ता जो सबसे कम दूरी वाले रास्ते से 15% से ज्यादा न हो
- अधिक दूरी वाला ऐसा रास्ता जिन पर यात्रा करने में कम दूरी वाले रास्ते की अपेक्षा कम समय लगता है।

यदि कोई यात्री उपरोक्त बताये गये मार्ग के अलावा किसी अन्य मार्ग से टिकट लेना चाहता है तो उसे सर्क्यूलर जर्नी टिकट कहा जाता है।

ऐसा टिकट जारी करने के लिये रेलवे प्रशासन द्वारा स्टेशन नामित किये गये हैं जिनकी सूची पब्लिक टाइम टेबल में समय-समय पर प्रकाशित की जाती है। ऐसे स्टेशनों पर डी सी एम/ सी सी एम की बिना पूर्व अनुमति के टिकट जारी किए जा सकते हैं। अन्य स्टेशनों से ऐसा टिकट जारी करवाने के लिये यात्री को उपरोक्त अधिकारियों को कम से कम 15 दिन पूर्व आवेदन करना होगा।

यात्रियों की सुविधा के लिये पश्चिम रेलवे द्वारा 75 स्टेन्डर्ड टूर तैयार किये गये हैं। यदि कोई यात्री इन निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार सर्क्यूलर जर्नी टिकट लेता है तो उसे स्टेन्डर्ड सर्क्यूलर जर्नी टिकट कहते हैं।

यदि कोई यात्री अपने स्वयं के कार्यक्रम तैयार करके सर्क्यूलर जर्नी टिकट लेता है तो उसे नॉन स्टेन्डर्ड सर्क्यूलर जर्नी टिकट कहते हैं।

दोनों प्रकार के सर्क्यूलर जर्नी टिकट के लिये किराये की गणना और यात्रा करने के नियम एक ही प्रकार के हैं।

## किराये की गणना

सर्क्यूलर जर्नी टिकट के किराये की गणना के लिये यात्रा की कुल दूरी को दो सिंगल यात्राओं के बराबर माना जाता है अर्थात यात्रा प्रारम्भ करने के स्टेशन से यात्रा समाप्ति के स्टेशन तक की कुल दूरी को दो बराबर भागों में बाँट दिया जाता है। प्रत्येक भाग के लिये अलग अलग किराया निकाल कर पुनः जोड दिया जाता है। इस टिकट के मामले में किराया M/Exp का ही लिया जाता है चाहे यात्रा साधारण श्रेणी में की जा रही हो।

## टिकट की अवधि

टिकट की अवधि की गणना करने के लिये यात्रा का समय और यात्रा विराम का समय मालूम करके जोड दिया जाता है।

- ❖ यात्रा का समय 400 किमी या उसके भाग के लिये एक दिन माना जाता है।
- ❖ यात्रा विराम के लिये 200 किमी या उसके भाग के लिये एक दिन निर्धारित किया गया है अतः यात्रा की कुल दूरी में 200 का भाग देकर यात्रा विराम का समय ज्ञात किया जा सकता है।

**टिकट की अवधि = यात्रा का समय + यात्रा विराम का समय**

यात्रा का समय = यात्रा की कुल दूरी / 400

यात्रा विराम का समय = यात्रा की कुल दूरी / 200

**सर्क्यूलर जर्नी टिकट पर यात्रा करने के नियम**

1) यात्रा टिकट की अग्रेनित दिशा (Forwarding direction)/ पीछे की दिशा में की जा सकती है।
2) अधिकत्तम 8 यात्रा विराम की अनुमति है। प्ररम्भिक स्टेसन से 500 किमी की दूरी तय किये बिना भी यात्रा विराम किये जा सकते हैं। ये स्थान यात्री से टिकट बनवाते समय लिखवा लिए जाएगें। ये प्रारम्भिक व अंतिम स्टेशन के अतिरिक्त होगें।
3) यात्रा विराम केवल उन्हीं स्थानों पर किया जा सकता है जिनका विवरण टिकट पर लिखा हो।
4) यात्रा विराम करते समय टिकट पर पृ-ठांकन करवाना आवश्यक नहीं है।
5) यात्रा उसी मार्ग से की जा सकती जिस मार्ग से टिकट जारी किया गया है।
6) यदि कोई यात्री किसी अन्य मार्ग से यात्रा करते हुए पकडा जाता है तो उसे उस मार्ग पर बिना टिकट का यात्री मान कर चार्ज किया जायेगा।
7) यात्री को अपनी यात्रा टिकट की अवधि समाप्त होने की मध्य रात्रि तक पूरी कर लेनी चाहिये।
8) स्टेन्डर्ड सरक्यूलर जर्नी टिकट नामित स्टेशनों से बिना डी सी एम/ सी सी एम की अनुमति के भी जारी किये जा सकते हैं।

**रेल ट्रेवल कूपन**

विधानसभा व विधान परि-ाद के सदस्यों को राज्य सचिवालय द्वारा मूल्य वाले कूपन की पुस्तक जारी की जाती है जिसमें विभिन्न मूल्य के कूपन होते हैं। प्रत्येक कूपन पर राज्य का नाम, पुस्तक सँख्या, कूपन सँख्या और मूल्य छपा रहता है। जब कोई सदस्य रेल द्वारा यात्रा करना चाहे तो उन्हें यह पुस्तक बुकिंग खिडकी पर प्रस्तुत करनी होगी। टिकट के मूल्य के बराबर कूपन बुकिंग क्लर्क द्वारा अलग कर लिये जाते हैं। पहले से ही निकाल लिये गये कूपन स्वीकार नहीं किये जाते हैं,यदि कोई संदेह हो तो किताब का दुरुपयोग रोकने के लिये विधायक का परिचय पत्र देखने के लिये मांगा जा सकता है। टिकट जारी करते समय टिकट पर RTC लिख दिया जाता है जिससे कि उसके किराये की वापसी स्टेशन पर नहीं की जा सके। कूपन

के पीछे टिकट संख्या, गन्तव्य स्टेशन का नाम, जारी करने की तारीख तथा टिकट का कुल मूल्य लिख दिया जाता है। लेखा करते समय ऐसे टिकटों की संख्या अलग से लिख कर उनके साथ RTC लिख दिया जाता है। एकत्रित किये गये रेल ट्रेवल कूपनों को यात्री विवरणी के साथ माह के अंत में लेखा कार्यालय को भेज दिया जाता है। यदि किसी कारणवश रेल ट्रेवल कूपन वाले टिकट उपयोग में नहीं लाये जा सके और किराया वापसी के लिये प्रस्तुत किये जाये तो टिकट जमा करके टीडीआर जारी कर दी जाती है जिसके आधार पर किराये की वापसी CCM द्वारा सम्बन्धित राज्य सचिवालय को की जाती है। मूल्य वाले रेल ट्रेवल कूपन आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट शुल्क व गाड़ी में किराये के अन्तर के लिये भी स्वीकार किये जाते हैं परन्तु यात्रा के दौरान बिना टिकट पकडे जाने पर चार्ज वसूल करने के लिये यह कूपन स्वीकार नहीं किये जा सकते हैं। यात्रा हेतु प्रत्येक राज्य के अलग-अलग नियम हैं जो कि कोचिंग टेरिफ नं.25 pt.I Vol 1 में हैं।

**प्रेस रिपोर्टर व फोटोग्राफर के लिये रियायत**

रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर व न्यूज़ ऐजेन्सी के प्रेस रिपोर्टर व प्रेस फोटोग्राफर के लिये जब वे प्रेस  के कार्य से यात्रा करते हैं तो मूल किराये में सभी श्रेणियों में एवं सभी मेल एक्सप्रैस गाड़ियों में तथा राजधानी शताब्दी व जनशताब्दी गाड़ियों के कन्सोलीडेटेड किरायों में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी लेकिन गरीब रथ सीजन टिकट, सर्कूलर जर्नी टिकट व लोकल/सबरबन गाड़ियों के किराये में कोई भी छूट नहीं दी जायेगी। इनके स्पाउस एवं 18 वर्ष के बच्चों को भी उपरोक्त रियायत वर्ष में केवल दो बार मुख्यालय के स्टेशन से अन्य स्टेशन जाने व वापस आने के लिए प्रेस संवाददाता के साथ यात्रा करने पर रियायत दी जायेगी। यदि किसी प्रेस संवाददाता के स्पाउस नहीं है उनके स्थान पर एक साथी ले जा सकते है। प्रेस संवाददाता को इनके मुख्यालय से प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा जिसके आधार पर रेलवे के द्वारा निर्धारित स्टेशन पर एक फोटो 'आई कार्ड' जारी किया जायेगा जो दो वर्ष तक मान्य होगा। इसकी फोटो प्रति रियायत पाने के समय देनी होगी। स्पाउस/साथी एवं बच्चों के लिए स्टेशन पर निर्धारित प्रफोर्मा में प्रेस संवाददाता के द्वारा एक अंडरटेकिंग दी जायेगी। जिसके आधार पर पीआरएस/यूटीएस में एक फ्लेग लगा दिया जायेगा। इनको एक वित्तिय वर्ष में एक रियायत दी जायेगी।

**चैक सोल्जर टिकट (आइ ए एफ टी 1752)**

यह टिकट सैनिकों को वारंट नं. आइ ए एफ टी 1752 के बदले जारी किया जाता है। यह वारंट सैनिकों को अकेले यात्रा करने के लिये सेना विभाग द्वारा दिया जाता है।  जब सैनिक इस वारंट के बदले टिकट लेने हेतु स्टेशन पर इसे प्रस्तुत करेगें

तो बुकिंग कलर्क द्वारा इसकी जाँच की जाएगी। यदि वारंट पर कोई काट-छाँट है तो यह शून्य और निरस्त समझा जाएगा।

रेल कर्मचारी के द्वारा वारंट के अनुसार चैक सोल्जर टिकट सिगंल या रिटर्न जारी किया जाएगा तथा टिकट नं. आदि वारन्ट पर निर्धारित स्थान पर लिख दिया जाएगा। सभी श्रेणियो में किराया व आरक्षण शुल्क की टेरिफ दर लिखी जाएगी।

इनसे टिकट हेतु नकद राशि नहीं ली जाती है। वारंट पूरा भरने के पश्चात निचला हिस्सा टिकट के साथ सैनिक को दे दिया जाएगा तथा ऊपर का भाग स्टेशन पर रखा जाएगा। इस वारंट के बदले राशि नहीं ली जाती है अतः यह एक वाउचर है. पूरे दिन में जितने भी वारंट के बदले टिकट जारी किये जाते हैं,उनका एक विवरण बनाकर अवधि समाप्ति पर लेखा कार्यालय भेज दिया जाता है।

यात्रा के दौरान वारंट का निचला हिस्सा तथा सी एस टी दोनों ही साथ रखना आवश्यक है किसी एक की भी अनुपस्थिति में बिना टिकट यात्री मान कर चार्ज किया जाएगा। यदि वारंट के बदले प्रारम्भिक स्टेशन पर टिकट नहीं लिया गया है तो इन्हें गार्ड प्रमाणपत्र ले लेना चाहिये। यदि गार्ड प्रमाण पत्र नहीं लिया है तो पकडे जाने वाले स्टेशन तक एक्सेस फेयर व एक्सेस चार्ज लिया जाएगा और आगे की यात्रा के लिये निःशुल्क ई एफ टी जारी कर दी जाएगी तथा वारंट टी टी ई द्वारा कैश के साथ बुकिंग ऑफिस में जमा करवा दिया जाएगा।

आरक्षण के सामान्य नियम है। इस वारंट के बदले में जारी टिकट पर आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट शुल्क, विकास सरचार्ज श्रेणी अनुसार नकद में नहीं लिये जाएगें किन्तु वारन्ट में प्रदर्शित कर किराये के साथ रक्षा विभाग से वसूल किये जाएगें।

लगेज यदि वारंट में बताए गये वजन सीमा (Authorised Baggage) से अधिक है तो लगेज चार्ज नकद में लिया जाएगा व अलग से लगेज टिकट जारी की जाएगी। सभी श्रेणियों के लिये फ्री अलाउन्स 40 किग्रा प्रति यात्री है। यदि लगेज वारन्ट में लिखी सीमा के भीतर है तो लगेज चार्ज रक्षा विभाग से वसूल किया जाएगा।

## आइ ए एफ टी 1707 (सोल्जर टिकट)

सोल्जर टिकट एक पेपर टिकट है जो सैनिकों को वारंट नम्बर आइ ए एफ टी 1707 व 1707A के बदले जारी किया जाता है।

इस वारन्ट पर एक से अधिक सैनिक या सैनिक का परिवार यात्रा कर सकता है। इस वारन्ट पर वारन्ट का प्रकार, क्रम सं., सैनिक का नाम, पदनाम, कोड नं., स्टेशन से स्टेशन को, वाया, अवधि, श्रेणी तथा सैनिक के परिवार का विवरण

लिखा होता है। सबसे ऊपर स्टेशन मास्टर को सम्बोधित होता है। यदि सामान्य लगेज से अधिक लगेज ले जाना है तो लगेज का वजन ऑथोराइज़्ड बैगेज़ के कॉलम में लिखा होता है।

आइ ए एफ टी 1707 के बदले सोलजर टिकट जारी किया जाता है जो तीन जुडी हुई प्रतियों में होता है। पहली प्रति स्टेशन प्रति, दूसरी गार्ड प्रति तथा तीसरी पैसेन्जर प्रति कहलाती है। इस टिकट के मुख पृ-ठ तथा पीछे वारन्ट के अनुसार सभी विवरण भरे जाएगें।

वारन्ट के बदले टिकट जारी करते समय वारन्ट की भली प्रकार जॉच की जाएगी तथा सैनिक के हस्ताक्षर लिये जाएगें। वारन्ट पर निर्धारित स्थान पर श्रेणी अनुसार वास्तविक किराया लिखा जाएगा। ऑथोराइज्ड बैगेज़ के कॉलम में फ्री अलाउन्स घटाकर लगेज का भाडा लिखा जाएगा। यदि लगेज का वजन ऑथोराइज्ड बैगेज से अधिक है तो अधिक वजन का पैसा नकद में लिया जाएगा।

आरक्षण के सामान्य नियम है। इस वारंट के बदले में जारी टिकट पर आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट शुल्क, विकास सरचार्ज श्रेणी अनुसार नकद में नहीं लिये जाएगें किन्तु वारन्ट में प्रदर्शित कर किराये के साथ रक्षा विभाग से वसूल किये जाएगें।

यदि सैनिक यात्रा शुरू करने से पूर्व टिकट नहीं ले सका तो उसे गार्ड प्रमाण पत्र ले लेना चाहिये अन्यथा पकडे जाने वाले स्टेशन तक अतिरिक्त किराया व अतिरिक्त प्रभार वसूल किये जाएगें तथा आगे की यात्रा के लिये फ्री ई एफ टी जारी की जाएगी और वारंट ले लिया जाएगा। सभी श्रेणियों के लिये फ्री अलाउन्स 40 किग्रा प्रति वयस्क यात्री है।

**आइ ए एफ टी 1709 ( फॉर्म डी )**

यह रियायती फार्म सैनिक अधिकारियों को व उनके परिवार को यात्रा हेतु दिया जाता है। जब यह टिकट के लिये प्रस्तुत किया जाता है तो इन सैनिक अधिकारियों से 60% किराया नकद में तथा 40% किराया रक्षा विभाग से वसूल किया जाता है। यह टिकट बी पी टी पर बनाया जाएगा तथा टिकट पूरी राशि का बनेगा तथा 40% राशि को वसूल करने के लिये फॉर्म डी को वाउचर की तरह लेखा कार्यालय भेजा जाएगा।

यदि कोई सैनिक इसके बदले में टिकट लिये बिना यात्रा करते हुए पकडा जाता है तो उसे इस फार्म का कोई लाभ नही दिया जाता है और बिना टिकट यात्री मानकर चार्ज किया जाएगा।

## आइ ए एफ टी 1720

यह एक रियायती फार्म है जो सैनिकों को अवकाश पर जाने के लिये जारी किया जाता है। इस पर सैनिकों के परिवार के सदस्य भी यात्रा कर सकते हैं। यह सिंगल व रिटर्न जर्नी के लिये अलग अलग जारी किये जाते हैं।

जब यह टिकट हेतु प्रस्तुत किया जाता है तो स्टेशन मास्टर द्वारा सावधानी पूर्वक इसकी जाँच की जाती है और सही पाये जाने पर 50% किराया सैनिकों से नगद लिया जाता है। इसके बदले यात्री को बी पी टी जारी की जाती है जिस पर फार्म के सभी विवरण दिये जाते हैं। इसे स्टेशन पर एकत्रित कर लिया जाता है और माह के अन्त में रिटर्न के साथ लेखा कार्यालय भेज दिया जाता है।

यदि कोई सैनिक इस फार्म के बदले में टिकट लिये बिना यात्रा करते हुए पकडा जाता है तो वह बिना टिकट यात्री मान कर चार्ज किया जाता है। उसे रियायत का कोई लाभ नहीं दिया जाता है।

## गार्ड प्रमाण पत्र

भारतीय रेल अधिनियम की धारा 55 के अर्न्तगत कोई भी व्यक्ति बिना टिकट/पास के यात्रा नहीं कर सकता है. यदि यात्री टिकट नहीं ले सका तो इस धारा के अधीन गार्ड को विशे-ा परिस्थिति में प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया गया है। यह प्रमाण-पत्र TS/TNCR द्वारा भी जारी किया जा सकता है।

गार्ड प्रमाण पत्र निम्नलिखित परिस्थितियों में तभी जारी किया जाएगा जब यात्री पर कोई चार्ज देय नहीं हो व जहाँ भी सम्भव हो किराया देकर टिकट बनवाने को तैयार हो जब भी गार्ड प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा तो यात्री से कोई अतिरिक्त प्रभार नहीं वसूला जाएगा, केवल अतिरिक्त किराया लिया जाएगा -

1. यदि किसी कारणवश कोई व्यक्ति टिकट नहीं ले सका तो जहाँ प्लेटफार्म टिकट बिकते हैं वहाँ प्लेटफार्म टिकट के आधार पर गार्ड प्रमाणपत्र जारी कर सकता है।
2. जिन स्टेशनो पर प्लेटफार्म टिकट नहीं बिकते हैं वहाँ बिना प्लेटफार्म टिकट के भी गार्ड प्रमाणपत्र जारी किये जा सकते हैं।
3. यदि किसी यात्री के पास यात्रा टिकट है तथा वह वह अपना गंतव्य स्टेशन से आगे यात्रा करना चाहता है तो गार्ड द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है।

4. यदि किसी यात्री के पास निम्न श्रेणी का टिकट है तथा उच्च श्रेणी में स्थान उपलब्ध है व यात्री उच्च श्रेणी में यात्रा करना चाहता है तो गार्ड प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है। गाड़ी के पहले रूकने वाले स्टेशन पर यात्री को टिकट बनाकर दे दी जाएगी तथा यात्री से अतिरिक्त प्रभार नहीं लिया जाएगा।

5. मिलिट्री वारन्ट आइ ए एफ टी 1707, 1752, रियायती फार्म 1720, 1728, 1736 पर सैनिक यात्री को बिना प्लेटफार्म टिकट के भी गार्ड प्रमाणपत्र जारी कर सकते हैं।

6. यदि किसी यात्री के पास उच्च श्रेणी का टिकट है तथा वह निम्न श्रेणी में यात्रा करने के लिये बाध्य होता है तो गार्ड प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है।

7. यदि किसी यात्री के पास वातानुकूलित श्रेणी का टिकट है तथा किसी कारणवश ए सी सयंत्र खराब हो गया है तो भी यात्री को गार्ड प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है।

**नोट**- उपरोक्त 1 से 5 मामलो में गार्ड प्रमाण पत्र जारी कर यात्री के साथ टी टी ई को दिया जाएगा। किये जा सकते हैं।

परिस्थिति नं. 6 के तहत यात्री को गार्ड प्रमाण पत्र दे दिया जायेगा जिससे वह किराये का अंतर गंतव्य स्टेशन पर गाड़ी पहुंचने के दो दिन के भीतर व

परिस्थिति नं. 7 में यात्री को गार्ड सर्टीफिकेट दे दिया जाएगा जिससे वह किराये का अंतर गंतव्य स्टेशन पहुँचने के 20 घंटे के भीतर प्राप्त कर सके अन्यथा धन वापसी सीसीएम द्वारा की जाएगी।

# 6 अनरिजर्वड टिकटिंग सिस्टम (UTS)

प्रतिदिन करीब 1.2 करोड़ यात्री भारतीय रेल से बिना आरक्षण वाले डिब्बें में यात्रा करती है। इस हेतु रेलवे ने कम्प्यूट्रीकृत यू.टी.एस. सिस्टम दिनांक 15.08.2002 से लागू की गई है। जिसकी मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित है –

- यह कम्प्यूटर आरक्षण प्रणाली के अनुसार कार्य करेगा।
- यू.टी.एस. से यात्रा के दिन को छोड़कर तीन दिन पहले अनारक्षित टिकट जारी की जायेगी।
- यू.टी.एस. से अधिकतम चार यात्रियों की टिकट एकसाथ जारी की जा सकती है।
- यू.टी.एस. से वापसी यात्रा की टिकट, सीजन टिकट, बी.पी.टी. व अन्य सभी प्रकार की टिकटें जारी की जा सकती है।
- यू.टी.एस. से जारी टिकटों की वैद्यता उसी दिन शुरु होगी जिस दिनांक के लिए जारी किया गया है।
- इस टिकट पर सिक्योरिटी प्रिंटिंग मार्क होता है।
- प्रिंटर में स्टेशनरी अंदर की तरफ एवं उसकी चाबी पर्यवेक्षक के पास रहेगी।
- स्टेशनों पर जमा की गई टिकटों को लेखा कार्यालय में भेजा जायेगा।
- यू.टी.एस. से यात्री यात्रा के एक दिन पहले किसी भी यू.टी.एस. काउंटर से टिकट निरस्त करवा सकता है लेकिन यदि यात्रा वाले दिन निरस्त करवाना है तो यात्रा शुरु करने वाले स्टेशन से ही निरस्त करवाना होगा।
- यदि टिकट प्रारम्भिक स्टेशन पर निरस्त की जाती है तो रिफंड नगद में दिया जायेगा अन्यथा टी.डी.आर. जारी करेंगे।
- रिफंड अनारक्षित टिकट के सामान्य नियम के अनुसार करेंगे।
- यू.टी.एस. के बुकिंग काउंटर ग्रुप ए, बी, सी तथा ग्रुप डी स्टेशनों पर 24 घंटें खुले रहेंगे।
- शिफ्ट / दिन के अंत में स्टेशन से जारी की गई सभी टिकटों की समरी, नगद केश एवं वाउचर इसी सिस्टम से निकाले जायेंगे।
- यूटीएस पर किसी भी स्टेशन से किसी भी स्टेशन का टिकट जारी किया जा सकता है।

# 7 कूपन वैलीडेटिंग मशीन

## प्रणाली

इस प्रणाली में यात्रियों को कूपन पुस्तिकाएं अग्रिम रूप से किसी भी स्टेशन से खरीद सकता है। ये कूपन पुस्तिकाएं विभिन्न प्रकार के संयोजन में उपलब्ध कराई जाती हैं –

यात्रियों को कूपन पुस्तिका प्राप्त करने के पश्चात कूपन वैलीडेटिंग मशीन पर जाना होगा जो कि प्रत्येक उपनगरीय स्टेशन के अधिकृत प्रवेश व कुछ महत्वपूर्ण एफ ओ बी पर भी लगाई गई हैं। इन मशीनों पर इस प्रणाली के उपयोग सम्बन्धी जानकारी हिन्दी, अंग्रेजी व मराठी भा-ा में उपलब्ध है।

## कूपनों की वैधता

पूरे कैलेन्डर व-र् में बेची जा रही कूपन पुस्तिकाओं की वैधता की अवधि वित्तीय व-र् के अंतिम दिन तक रखी गई है एवं 1 जनवरी व उसके बाद बेची गई इसकी वैधता अगले व-र् 31 मार्च तक रहेगी।

## यात्रा हेतु उपयोग

यात्री मशीन पर लगे किराया चार्ट देखकर प्रारम्भिक व गंतव्य स्टेशन के बीच का किराया आसानी से देख सकता है। बच्चे के लिये किराया उसी खाने में नीचे की ओर लाल अक्षरों में छापा गया है। यात्री को किराये के मूल्य के बराबर कूपन पुस्तिका से अलग करने होगें तथा कूपन वैलीडेटिंग मशीन द्वारा उनका मान्यकरण करना होगा।

## कूपन पुस्तिकाओं की बिक्री

कूपन पुस्तिकाओं की बिक्री रेलवे की ही बुकिंग खिड़कियों पर ही की जाएगी लेकिन यह प्रयास किया जाएगा कि इसके लिये प्रत्येक स्टेशन पर एक नामित खिडकी हो।

## टिकट चैकिंग

कूपन पर यात्रा कर रहे यात्रियों की चैकिंग के लिये सामान्य कार्ड टिकट वाला तरीका ही अपनाया जाता है। कूपन की जाँच के दौरान टिकट चैकिंग स्टॉफ देखेगा कि कूपन के मान्यकरण में अधिक समयान्तराल न हो। ये समयान्तराल अधिक से अधिक 1 मिनट हो सकता है। चैकिंग स्टॉफ को कुल मूल्य के कूपनों की जाँच के लिये सी वी एम पर लगे चार्ट के समान ही एक किराया चार्ट दिया जाएगा।

## किरायों के परिवर्तन पर

किरायों के परिवर्तन होने पर मंडल सी वी एम पर लगने वाली किराया पत्रकों को नये सिरे से छपवाएगा। इस मशीन की असेम्बली भी इस प्रकार की है नये किराया पत्रक आसानी से बदले जा सकते हैं तथा इसकी व्यवस्था की जाएगी कि सभी मशीनों में लगे किराया पत्रक किराया परिवर्तित होने के समय से तत्काल 2 से 3 घंटे में बदल दिये जाए। टिकट चैकिंग स्टाफ को भी नयी किराया सूचियाँ दी जाएगी।

## रिफन्ड

यदि कोई यात्री परिस्थितिजन्य कारणों से कूपन का उपयोग करने में असमर्थ है तो उसे रिफन्ड के लिये आवेदन मुख्य दावा अधिकारी, चर्चगेट को परिस्थिति का वर्णन करते हुए करना चाहिये। आवेदन के साथ अप्रयुक्त कूपन भी संलग्न होने चाहिये।

वैधता समाप्त हुए कूपनों पर कोई रिफन्ड नहीं दिया जाएगा।

# 8 आरक्षण की नई स्कीमें, बिना टिकट यात्रा के कारण व विभिन्न प्रकार की जाँच

## इंटरनेट पर आरक्षण (आई टिकट)

यह सेवा सर्वप्रथम 3 अगस्त, 2002 से दिल्ली क्षेत्र में IRCTC व ICICI बैंक के सहयोग से प्रारम्भ की गई थी, बाद में इसे धीरे-धीरे अन्य शहरों में भी लागू किया जा रहा है। इस सेवा के अंतर्गत यात्री को रेलवे की वैब साइट खोल कर साइट पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। नाम व पासवर्ड 'लॉग इन' करना पड़ता है। इसके बाद रूट प्लान कर आरक्षण करना होता है। किराये का भुगतान क्रडिटकार्ड के माध्यम से होता है। किराये के अतिरिक्त द्वितीय या स्लीपर क्लास के मामले में प्रति टिकट अधिकतम ` 40/–, अन्य श्रेणियों में अधिकतम ` 60/- की दर से सर्विस चार्ज व बैंक का सर्विस चार्ज भी अलग से देना होता है। यदि 2 दिन से अधिक दिन पूर्व आरक्षण किया जता है तो यात्री टिकट अपने घर के पते पर मंगवा सकता है जिसका चार्ज अतिरिक्त लगता है अन्यथा यात्री को टिकट लेने IRCTC के कार्यालय जाना होता है। आरक्षण रद्द PRS काउंटर पर ही होता है व किराये की वापसी यात्री के क्रेडिट कार्ड में ही होती है।

इंटरनेट द्वारा जारी टिकट पर काउंटर पर किराया वापसी नहीं होगी। किराया की वापसी IRCTC द्वारा 'ऑन लाइन' पद्धति से यात्री के एकाउंट में इलेक्ट्रोनिकली जमा कर दी जायेगी। केवल टिकट ही आरक्षण कार्यालय में रद्द होगा।

ग्रुप बुकिंग, विदेशी पर्यटकों, रेलवे पास, फौजी वारंट, पुलिस वारंट, एमपी का आरक्षण, आरटीसी, इण्डरेल पास पर बुकिंग नहीं होगी। नाम परिवर्तन, बोर्डिंग स्टेशन का परिवर्तन, यात्रा विराम, टिकट का बढ़ाना इनके लिए यात्रियों को स्टेशन पर ही आना होगा।

## 'ई स्लिप' द्वारा आरक्षण

यह सुविधा www.irctc.co.in website पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। यात्री कम्प्यूटर पर रेलवे की वेबसाइट पर जाकर क्रेडिट कार्ड द्वारा 'प्लान माई ट्रेवल' पर क्लिक कर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। 'ई स्लिप' में आरक्षण यात्री अपने घर बैठे ही सादे कागज पर इलेक्ट्रोनिक रिजर्वेशन स्लिप प्रिंट कर यात्रा कर सकता है। इसके लिए यात्री के पास फोटो परिचय पत्र होना चाहिये जिसका नम्बर इलेक्ट्रोनिक स्लिप के अंदर देना होगा। यात्रा के दौरान इलेक्ट्रोनिक रिजर्वेशन स्लिप व आई कार्ड दोनों ही रखना अनिवार्य है। ई स्लिप यात्रा के दौरान न रखने पर टीटीई द्वारा ` 50/– लेकर नयी जारी की जायेगी। यदि

यात्री का नाम चार्ट में प्रिंट नहीं है तो वे यात्री गाड़ी में नहीं चढ़े। अन्यथा वे बिना टिकट यात्री मानकर चार्ज कर लिये जायेंगे। यात्रा समाप्ति पर निकास द्वार पर टिकट संग्राहक को ई स्लिप जमा करा कर बाहर निकले।
ई स्लिप आरएसी कन्फर्म व प्रतीक्षासूची के यात्रियों को भी जारी हो सकती है। किराये की वापसी काउंटर पर नहीं होगी। किराया की वापसी irctc द्वारा 'ऑन लाइन' पद्धति से यात्री के एकाउंट में इलेक्ट्रोनिकली जमा कर दी जायेगी। ई स्लीप पर यात्रियों का नाम परिवर्तन व आरम्भिक स्थान परिवर्तन किया जा सकता है ये परिवर्तन आरक्षण कार्यालय द्वारा सामान्य यात्रियों के आरक्षण के नियमों के अनुसार किया जायेगा। लेकिन जिस व्यक्ति के नाम के पहले * मार्क लगा है उस व्यक्ति का नाम तब तक परिवर्तित नहीं किया जायेगा जब तक कि उस स्लीप में दूसरे व्यक्ति का आई कार्ड या राशन कार्ड या कोई लाईसेंस प्रमाण पत्र का नम्बर फीड नहीं किया जाता है।
ई स्लिप के यात्री यदि अपना आरक्षण रद्द करवाना चाहे तो केवल www.irctc.com website पर ही अपना आरक्षण रद्द करवा सकते है। ई स्लिप का प्रोफोर्मा इस प्रकार है–

The customers can subsequently also print Electronic Reservation Slip from the 'BOOKED TICKETS' link on the left navigation bar.

IRCTC

## e-Ticketing

## Electronic Reservation Slip

| | |
|---|---|
| PNR No.: | Train No. & Name : |
| Date : | Class : |
| Date & Time of Booking : | |
| From : | To : |
| Coach No.: | Distance : |
| Berth/Seat No.: | No. of passengers: |
| Reservation status: | Adult……… Child…….. |
| Fare : | Schedule Departure : |

Detail of Passenger/s

| Sr.No. | Name | Age | Gender |
|---|---|---|---|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |

* - Passenger who has to carry the following identification.

Indentification to be carried:

Type

No.

Issuing Authority

नोट – ई स्लीप पर स्लीपर / सीट आरक्षण के लिए ` 5/– व उच्च श्रेणियों के लिए ` 10/– रूपया आरटीएसए का सर्विस चार्ज लगेगा व बैंक शुल्क अलग से लिये जायेंगें।

**गरीब रथ**

न्यूनतम 100 किमी के लिए चार्ज लिया जायेगा। इसमें दो श्रेणियाँ होगी

1. जी.आर.स्लीपर जो ए.सी. 3 टायर के बराबर होगी ` 100/–
2. जे.आर. सीटिंग जो ए.सी. चेयर कार के बराबर होगी। ` 80/–

आरक्षण शुल्क, संरक्षा शुल्क तथा सुपर फास्ट अलग से लिया जायेगा। इन गाड़ियों में किसी प्रकार की रिरायत नहीं दी जायेगी, लेकिन रेलवे पास तथा पी. टी.ओ. धारक को इसमें यात्रा करने की अनुमति है तथा शेष सभी नियम यथावत रहेंगे। गरीब रथ के यात्रियों से ` 25/– बेड रोल चार्ज नगद में लिया जाता है।

**मोबाइल बुकिंग (Mobile Booking)**

यात्रीगण वर्तमान में अपना आरक्षण मोबाइल फोन से भी करा सकते हैं। इसके लिये यात्री को सर्वप्रथम IRCTC की वैब साईट पर मोबाईल रिजर्वेशन सेवा के लिये अपना पंजीकरण कराना होगा। कम से कम एक यात्री सूची बनानी होगी। इसके अतिरिक्त ICICI बैंक में मोबाइल बैकिंग सेवा के लये यात्री पंजीक्रत हो। यात्री के पास ICICI बैंक के द्वारा प्राधिक्रत मोबाइल कम्पनी का मोबाइल कनैक्शन होना

चाहिये। यात्री को IRCTC के शॉर्ट कोड 57245 पर दो SMS कर अपना आरक्षण करवा सकता है।

## स्कीम फोर फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स

यह स्कीम IRCTC के द्वारा चलाई जा रही है। यह स्कीम AC 3 T को को छोड कर सभी गाडियों में सभी श्रेणियों में लागु है। इस स्कीम के अंतर्गत यात्री को `500/- देकर एक वर्ष के लिए अपना पंजीकरण कराना होता है। यह फीस वापस नहीं होती है। यदि यात्री चाहे `300/- फीस देकर एक व-र्ा के लिए अवधि और बढवा सकता है। यात्री को एक सदस्यता फोटो क्रडिट कार्ड जारी किया जाता है। जब यात्री पी.आर.एस.काउंटर पर आरक्षण कराने जाता है तो सदस्यता कार्ड देना पडता है। आरक्षण लिपिक इसमें कार्ड नं. फीड कर देता है। यह नं. व "COMPLIMENTRY" उसके टिकट पर लिखा हुआ आता है । किराये के अनुपात में यात्री को पॉईन्ट मिलते हैं। ऑफ पीरियड 15/1से 31/3 व 15/7 से 15/9 में किराये का दस प्रतिशत व पीक अवधि में चार प्रतिशत पॉइन्ट मिलते हैं । जब 500 पॉइन्ट इकट्ठे हो जाते हैं तो यात्री अपनी पसंद की यात्रा कर सकता है । एक पॉइन्ट एक ` के बराबर होता है। आरक्षण कैसिल कराने पर पॉइन्ट अपने आप डैबिट हो जाते हैं ।

## अपग्रेडेशन स्कीम

गाड़ियों में उपलब्ध जगह का उच्चतम सीमा तक उपयोग करने की दृष्टि से यह स्कीम 24, फरवरी 2006 से सभी मेल/एक्स. गाड़ियों में जिनमें सोने की सुविधा हो, लागु की गई थी। इस सेवा के मुख्य नियम निम्न हैं :–

- जिन गाड़ियों में केवल सीटिंग एकोमोडेशन है उन गाड़ियों में यह सुविधा लागू नहीं होगी।
- यह स्कीम केवल पूरा किराया देने वाले यात्रियों के लिये ही लागू होगी।
- ब्लॉक बुकिंग के लिये यह लागू नहीं होगी।
- अपग्रेडेशन चार्ट बनाते समय पी.आर.एस के द्वारा अपने आप ही किया जायेगा।
- अपग्रेडेशन होने के पश्चात यदि यात्रि अपना आरक्षण कैंसिल करता है तो कैंसिलेशन चार्ज मूल श्रेणी के अनुसार ही काटे जायेंगे।
- यदि अगली श्रेणी का कोई भी यात्री अपग्रेड नहीं होना चाहता है तो उससे अगली श्रेणी में भी यात्री को अपग्रेड किया जा सकता है।

- विभिन्न कोटा आवंटित करने के पश्चात अपग्रेडेशन किया जायेगा।
- अपग्रेडेशन ऑरिजनेटिंग स्टेशन या सभी मध्यवर्ती स्टेशन जहाँ से चार्ट बनता है, पर ही किया जायेगा।
- अपग्रेडेशन तत्काल कोटे के यात्रियों सहित पुष्ट, आर.ए.सी. एवं वेटिंग लिस्ट यात्रियों का किया जा सकता है।
- प्रत्येक गाड़ी में निम्न संख्या तक ही करेंट बुकिंग के लिये निम्न शायिकाएं खाली रखी जायेंगी–

| | |
|---|---|
| ✓ ए.सी.एफ.सी | 1 |
| ✓ ए.सी.एफ.सी.कम एसी.टू. टियर | 1 |
| ✓ एसी.टू. टियर | 2 |
| ✓ एसी.थ्री. टियर | 2 |

- अपग्रेडेशन बारी–बारी से पहले जनरल पुष्ट व बाद में तत्काल पुष्ट यात्रियों का तब तक किया जायेगा जब तक सारी खाली बर्थें भर नहीं जाती या वेटिंग लिस्ट क्लीयर नहीं हो जाती।
- एक पी.एन.आर. के सभी यात्रियों को तभी अपग्रेड किया जायेगा जब सभी एक कोच में अपग्रेड हो सकते हों।
- यत्रियों को अपग्रेडेशन के बाद केबिन से साईड की या लोअर से अपर बर्थ या नॉन ए सी से ए सी कोच में बर्थ मिल सकती है किंतु यात्रि ने आरक्षण फॉर्म में अपग्रेडेशन न करने का विकल्प दिया हो तो अपग्रेडेशन नहीं किया जायेगा।
- यात्री का मूल पी.एन.आर. नहीं बदला जायेगा।
- वेटिंग लिस्ट चार्ट की तरह अपग्रेडिड यात्रियों के लिये अलग से चार्ट प्रदर्शित किया जायेगा जिसमें पुराने व नये आरक्षण का विवरण होगा।

चार्ट बनते समय निम्नलिखित न्यूनतम बर्थ चालू काउंटर हेतु प्रत्येक गाड़ी में रखी जायेगी।

**तत्काल सेवा के नियम**

- ⇨ तत्काल सेवा के अन्तर्गत आरक्षण यात्रा की दिनांक से 2 दिन पूर्व प्रातः 8 बजे से आरम्भ किया जाएगा।
- ⇨ आरक्षण "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर किया जाएगा।
- ⇨ आरक्षण किसी भी स्टेशन से किसी भी स्टेशन तक किया जाएगा।
- ⇨ तत्काल स्कीम को रश अवधि में चलायी जाने वाली विशेष गाड़ियों में भी रखा जायेगा।
- ⇨ चार्ट बनाते समय एच.ओ.आर., डिफेंस व फॉरेन टूरिस्ट कोटा खाली रहने पर ये शायिका/सीट तत्काल कोटे की प्रतीक्षा सूची के यात्रियों को प्राथमिकता से प्रदान की जायेगी।
- ⇨ इंटरनैट पर भी तत्काल कोटे के अंतर्गत आरक्षण प्राप्त किया जा सकता है।
- ⇨ जितना तत्काल कोटा है उतनी ही प्रतीक्षासूची भी रखी जायेगी। यदि प्रतीक्षासूची वाला टिकट रद्द कराया जाता है तो सी.सी. काट कर किराये की वापसी की जायेगी।
- ⇨ यदि औरिजनेटिंग स्टेशन पर तत्काल कोटा खाली हो तो जनरल कोटे की प्रतीक्षासूची क्लीयर की जायेगी।
- ⇨ यदि एक्सट्रा कोच लगाने की वजह से जनरल प्रतीक्षासूची क्लीयर करने के पश्चात बर्थ खाली रहती है तो उन्हें तत्काल प्रतीक्षासूची यात्रियों को आवंटित किया जायेगा ।
- ⇨ जनरल बर्थ का आरक्षण रद्द होने पर जनरल व तत्काल प्रतीक्षासूची के यात्रियों को बारीबारी से आवंटित किया जायेगा। ऐसा तब ही किया जायेगा जब तत्काल प्रतीक्षासूची प्रारम्भ होती है। इसके पहले जनरल कोट की प्रतीक्षासूची क्लीयर की जायेगी। यदि किसी समय तत्काल कोटे में कोई प्रतीक्षासूची नही है तो जनरल प्रतीक्षासूची क्लीयर की जायेगी।

⇨ यदि जनरल कोटे में कोई प्रतीक्षासूची नहीं है किंतु तत्काल कोटे में प्रतीक्षासूची है तो चार्ट बनाते समय जनरल कोटे में रद्द होने वाली बर्थों को तत्काल प्रतीक्षासूची के यात्रियों को आवंटित किया जायेगा।

⇨ तत्काल कोटा प्राप्त करने हेतु पहचान प्रमाण–पत्र निम्न में से एक होना चाहिये –

➢ वोटर आई कार्ड, पेन कार्ड, फोटोयुक्त लेमीनेटेड क्रेडिट कार्ड, बैंक की फोटोयुक्त पास बुक, ड्राईविंग लाइसेंस, पास पोर्ट, स्कूल/कॉलेज/सरकारी कार्यालय द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र

⇨ मध्यवर्ति तत्काल कोटे के विरूद्ध ऑरिजनेटिंग स्टेशन से मध्यवर्ति तत्काल कोटे के स्टेशन तक तत्काल यात्रियों को आवंटित किया जायेगा।

⇨ विभिन्न श्रेणियों में रखा गया तत्काल कोटा व तत्काल सेवा चार्ज निम्नानुसार है -

| श्रेणी | तत्काल कोटा | तत्काल प्रभार | | |
|---|---|---|---|---|
| | | मूल किराये का | न्यूनतम ` | अधिकतम ` |
| EC | 10% i.e. 5 सीट | 30% | 200/- | 300/- |
| AC2T | 4 शायिका | 30% | 200/- | 300/- |
| AC3T | 6 शायिका | 30% | 200/- | 300/- |
| ACChC | 6 सीट | 30% | 75/- | 150/- |
| Sleeper | कुल कोटे की 10% अधिकतम एक कोच | 30% | 75/- | 150/- |
| II class | 10% | 10% | 10/- | 15/- |

⇨ यदि पूरे वर्षभर के दौरान तत्काल कोटे की उपयोगिता जिन गाड़ियों में 80% या अधिक रही हो हो तो उन गाड़ियों में तत्काल कोटा व तत्काल चार्ज निम्नानुसार होगा –

| श्रेणी | तत्काल कोटा |
|---|---|

| | |
|---|---|
| AC2T | 10 शायिका प्रति कोच |
| AC3T | 16 शायिका प्रति कोच |
| CC | 16 सीट प्रति कोच |
| Sleeper | उपलब्ध शायिकाओं की 30 % |

⇨ यदि तत्काल कोटा पूरा नहीं भर पाता है तो चार्ट बनाते समय शे-ा शायिकाओं को प्रतीक्षा सूची के यात्रियों को बिना कोई चार्ज लिए आवंटित कर दिया जाएगा।

यदि तत्काल आरक्षित टिकट को गाड़ी छूटने के निर्धारित समय से 24 घंटे पूर्व रद्द कराया जाता है तो तत्काल चार्ज को छोड़ कर कुल किराये का 25 % किराया वापस किया जायेगा। उसके बाद कोई किराया वापस नहीं किया जायेगा। किंतु यदि रेल प्रशासन यात्रियों को आरक्षित टिकट पर अप्रत्याक्षित परिस्थितियों में आरक्षित टिकट पर स्थान उपलब्ध नहीं करा पाता है या गाड़ी के 3 घंटे से अधिक विलम्ब से चलने के कारण यात्री अपनी यात्रा आरम्भ नहीं करता है तो उसे पूरा किराया वापस कर दिया जाएगा। यदि स्थान उपलब्ध नहीं कराने के कारण यात्री को निम्नतर  श्रेणि में यात्रा करनी पड़ती है तो उसे किराये के अंतर की वापसी करदी जाएगी।

## आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट शुल्क व विकास सरचार्ज

आरक्षण कराते समय टिकट की श्रेणी अनुसार आरक्षण शुल्क व विकास सरचार्ज लिये जाते हैं, अगर गाड़ी सुपरफास्ट है तो सुपरफास्ट शुल्क भी श्रेणी अनुसार लिये जाएगें जो कि निम्नलिखित है

| श्रेणी | आरक्षण शुल्क (`) | बढ़े हुए आरक्षण शुल्क (`) | सुपरफास्ट शुल्क (`) | विकास सरचार्ज | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 500 कि.मी तक (`) | 500 किमी से अधिक (`) |
| ACFC | 35/- | 15/- | 50/- | 50/- | 100/- |
| 2 AC | 25/- | 15/- | 30/- | 40/- | 80/- |
| 3 AC | 25/- | 15/- | 30/- | 30/- | 60/- |
| FC | 25/- | 15/- | 30/- | 20/- | 40/- |
| AC Chair Car | 25/- | 15/- | 30/- | 20/- | 40/- |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SL | 20/- | 10/- | 20/- | 10/- | 20/- |
| 2 M/E | 15/- Per Seat | 10/- | 8/- | 2/- | 2/- |
| 2 Ord | 15/- Per Seat | 10/- | - | 1/- | 1/- |

नोट– राजधानी, शताब्दी और जनशताब्दी गाड़ियों में `15/– द्वितीय श्रेणी में व `20/– अन्य श्रेणियों में किराया बढ़ा कर लिया जायेगा।

## विकास अधिभार

रेल तंत्र के आधुनिकीकरण व संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए धन की व्यवस्था करने के लिए दिनाँक 1.04.2008 से सभी यात्री किरायों पर केन्द्र सरकार के द्वारा श्रेणी व दूरी के अनुसार विकास अधिभार लगाया गया है जो निम्न है -

| **श्रेणी** | **विकास अधिभार** | |
|---|---|---|
| | 500 कि.मी. तक (`) | 500 कि.मी. से अधिक दूरी पर (`) |
| द्वितीय श्रेणी साधारण | 1 | 1 |
| द्वितीय श्रेणी मेल एक्सप्रेस | 2 | 2 |
| शयनयान श्रेणी | 10 | 20 |
| वातानुकूल कुर्सीयान | 20 | 40 |
| प्रथम श्रेणी | 20 | 40 |
| वातानुकूल 3 टियर श्रेणी | 30 | 60 |
| वातानुकूल 2 टियर श्रेणी | 40 | 80 |
| वातानुकूल प्रथम श्रेणी | 50 | 100 |

| **सीजन टिकट श्रेणी** | MST | QST |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| द्वितीय श्रेणी | 10 | 30 |
| प्रथम श्रेणी | 20 | 60 |

रेलवे पास, पी.टी.ओ. व विद्यार्थियों को जारी किए जाने वाले निःशुल्क मासिक सीजन टिकटों को छोड़कर यह अधिभार सभी मामलों में निम्न प्रकार लिया जाएगा-

- व्यस्क, बालकों व रियायती टिकटों व मिलिट्री रियायति फॉर्मों के मामले में पूरा लिया जाएगा। रियायत केवल किराए में ही दी जाएगी।
- कम मूल्य के मासिक सीजन टिकटों (LVMST) पर `10/- प्रति टिकट की दर से लिया जाएगा।
- राजधानी, शताब्दी व जनशताब्दी के किरायों में यह अधिभार जुड़ा हुआ नहीं है अतः यह अलग से जोड़कर लिया जाएगा।
- मेट्रो रेलवे के किराये पर भी यह अधिभार लिया जाएगा।
- सिंगल जर्नी/वापसी यात्रा टिकटों, बी.पी.टी., ई.एफ.टी., एस.पी.टी.एम. टिकटों व कूपन वेलीडेटिंग मशीन से वेलीडेट कूपनों के मामले में भी यह अधिभार लगेगा।
- सरक्यूलर जर्नी टिकट के मामले में दो सिंगल जर्नी के अनुसार लिया जाएगा। कम्बाइन्ड टिकटों के मामलें में उच्चतर श्रेणी के अनुसार पूरी दूरी का लिया जाएगा।
- विशे-ा गाड़ी/कोच/टूरिस्ट कारों के मामले में सिंगल ट्रिप के लिए एक बार व राउन्ड ट्रिप या वापसी यात्रा के लिए दो बार लगाया जाएगा।
- मिलिट्री वारन्ट, पुलिस वारन्ट व आइडेंटिटी कार्ड कम रेल पास के मामले में यह यात्री से नकद में नहीं लिया जाएगा किन्तु संबंधित विभाग से लिया जाएगा।
- निम्नतर श्रेणी के टिकट को उच्चतर श्रेणी में बदलने के लिए विकास अधिभार तथा अन्तर लिया जाएगा व यदि उच्चतर श्रेणी के टिकट धारक को निम्नतर श्रेणी में यात्रा करनी पड़ती है तो किराये का अन्तर वापस करते समय विकास अधिभार के अन्तर को भी वापस किया जाएगा।

- यदि आरक्षण परिवर्तन के मामलों में परिवर्तित गाड़ी छोटे रोस्ते से जाती है तो विकास अधिभार का यदि कोई अन्तर हो तो वह वापस किया जाएगा व यदि गाड़ी लम्बे रास्ते से जाती हो तो अन्तर लिया जाएगा।
- जर्नी एक्सटेंशन के मामले में यह अधिभार नये रूप से लिया जाएगा।
- विधायकों (MLA) को जारी रेल ट्रेवल कूपन इस अधिभार के बदले भी स्वीकार किए जाएंगे किन्तु प्रेस संवाददाता से यह अधिभार नकद में लिया जाएगा।
- किराया वापस करते समय इस अधिभार को किराये में सम्मिलित कर दिया जायेगा किन्तु आंशिक रूप से उपयोग किये गये टिकटों पर किराया वापस करते समय इस अधिभार को वापस नहीं किया जाएगा।
- यदि लम्बी दूरी के टिकट पर बार-बार ब्रेक जर्नी की जाती है तो यह अधिभार बार-बार नहीं लिया जाएगा, पूरी दूरी के अनुसार केवल एक बार ही लिया जाएगा।

## बिना टिकट यात्रा के कारण एवं निवारण

रेलवे पर यात्रियों द्वारा बिना टिकट यात्रा करने के निम्न कारण हैं :

- स्टेशन पर समुचित फेंसिंग न होना
- टिकट खिड़कियों की कमी होना
- टिकट खिड़कियों का देरी से खुलना
- यात्रियों के पास समय का अभाव
- प्लेटफॉर्म पर रोशनी का अभाव
- रेल डिब्बे में रोशनी का अभाव
- यात्री डिब्बे में अधिक भीड़ भाड़
- सामान्य जनता का चैकिंग कर्मचारियों से असहयोग
- खतरे की जंजीर का दुरुपयोग
- गरीबी
- अशिक्षा
- आदतन अपराधी
- राष्ट्रीय भावना का अभाव

- ⌖ छात्रों में अनुशासन हीनता
- ⌖ चैकिंग स्टाफ में कमी
- ⌖ चैकिंग स्टाफ की लापरवाही
- ⌖ चैकिंग कर्मचारिया के जीवन सुरक्षा की समुचित व्यवस्था का न होना।
- ⌖ पद का दुरुपयोग
- ⌖ राजनैतिक हस्तक्षेप

## निवारण

- ☑ स्टेशन पर समुचित फैंसिंग की व्यवस्था करके
- ☑ टिकट खिड़कियों की संख्या बढ़ाकर
- ☑ टिकट खिड़कियों के खुलने के समय को बढ़ाकर
- ☑ स्टेशन प्लेटफॉर्म व रेल डिब्बों में रोशनी की उचित व्यवस्था करना
- ☑ अधिक भीड़ भाड़ वाले खण्डों पर चलने वाली गाड़ियों में सामान्य डिब्बों की संख्या बढ़ाकर
- ☑ जिन जगहों पर अधिकतर खतरे की जंजीर खींची जाती है उन स्थलों पर चैकिंग बढ़ाकर।
- ☑ स्टेशन पर उद्घोषणा द्वारा यात्रियों को बिना टिकट चलने से सावधान करके।
- ☑ समय–समय पर समाचार–पत्रों, रेडियो या टीवी पर प्रसारण करके सामान्य जनता को टिकट लेकर यात्रा करने के बारे में शिक्षित करना।
- ☑ जो बार–बार बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े जाते हैं उनसे सीक्यूरिटी बॉण्ड भरवाना।
- ☑ स्कूल व कॉलेजों के छात्रों को बिना टिकट यात्रा न करने के लिये स्कूलों व कॉलेजों में भाषण देकर व प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापकों की मदद से बिना टिकट यात्रा करने वाले छात्रों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करना।
- ☑ स्टेशनो पर व चलती गाड़ी में यात्रियों के टिकटों की बार–बार जाँच करने की व्यवस्था करना।

## विभिन्न प्रकार की जाँच

- ⌖ **स्टेशन जाँच**
  - ➢ प्रवेश द्वार पर जाँच
  - ➢ निकास द्वार पर जाँच
  - ➢ प्लेटफॉर्म पर जाँच

- अदला–बदली जाँच

⌖ **चलती गाड़ी में जाँच**

- एक व्यक्ति जाँच
- समुह जाँच
- एम्बुश चैक
- अधिकारिक जाँच
- मजिस्ट्रेट जाँच
- इंटर डिवीजन चैक
- इंटर जोनल चैक

⌖ **सांख्यकीय जाँच**

- गहन स्थानीय जाँच
- गहन खंडीय जाँच

## स्टेशन जाँच :

### प्रवेश द्वार पर जाँच

सभी स्टेशनों पर जहाँ टीसी नियुक्त है, प्लेटफॉर्म के प्रवेश द्वार पर खड़े रहते हैं और जो भी यात्री अंदर प्रवेश करते हैं, उनके टिकटों की जाँच करते हैं एवं सही पाये जाने पर कार्ड टिकटों के मामले में 'वी' शेप निपर से पंच करने के बाद प्लेटफॉर्म पन जाने की अनुमति प्रदान करते हैं। इस जाँच द्वारा कोई यात्री बिना टिकट प्लेटफॉर्म पर प्रवेश नहीं कर सकते हैं।

### निकास द्वार पर जाँच

प्रत्येक यात्री को यात्रा समाप्ति पर गन्तव्य स्टेशन पर प्लेटफॉर्म से बाहर निकलते समय टीसी को टिकट देकर बाहर जाना पड़ता है। टीसी इस टिकट की जाँच करता है व सही पाये जाने पर यात्री को बाहर जाने की अनुमति देता है। अनुपयुक्त टिकट पाये जाने पर एक्सेज फेअर व एक्सेज चार्ज वसूल करता है।

### प्लेटफॉर्म जाँच

प्रमुख रेलवे स्टेशन पर जहाँ गाड़ियाँ अधिक समय के लिये रुकती हैं वहाँ कुछ टीसी की ड्यूटी प्लेटफॉर्म जाँच के लिये लगा दी जाती है। ये टीसी प्लेटफॉर्म पर घूमने वाले यात्रियों के टिकटों की जाँच करते हैं। बिना या अनुपयुक्त टिकट पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही करते हैं।

### अदला–बदली जाँच

सामान्यतया ऐसा देखा गया है कि जब एक ही व्यक्ति एक ही स्थान पर कार्य करता है तो उसकी कार्यकुशलता में कमी आ जाती है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन भी एक निर्धारित समय के लिये टीसी को टीटीई के रूप में व टीटीई को टीसी के रूप में कार्य करवाते हैं तथा इनके द्वारा किये गये कार्य की तुलना की जाती है। कार्य के परिणाम में अधिक अंतर पाये जाने पर दोषी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है।

## चलती गाड़ी में जाँच :

### एक व्यक्ति जाँच

इस प्रक्रिया के अनुरूप प्रत्येक गाड़ी में एक टीटीई की ड्यूटी लगाई जाती थी। परंतु सर्वेक्षण से प्राप्त परिणाम के तथ्य को घ्यान में रखते हुए एक व्यक्ति द्वारा समुचित गाड़ी की चैकिंग नहीं की जा सकती है व अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं किये जा सकते हैं इसके परिणामस्वरूप आजकल यह प्रणाली समाप्त कर दी गयी है।

### समूह जाँच

आजकल टीटियों का एक दल बनाकर समूह में गाड़ियों की जाँच की जाती है। इनका मासिक प्रोग्राम मुख्यालय द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसी के अनुरूप पूरे महिने कार्य किया जाता है।

### एम्बुश चैक

इस चैक के अंतर्गत समुचित संख्या में टिकट जाँच दल के कर्मचारी व जीआरपी तथा आरपीएफ के कर्मचारी बस द्वारा पहले से ही एक स्टेशन जहाँ गाड़ी का स्टोपेज नहीं होता है या किसी सेक्शन के बीच में डेटोनेटर की मदद से गाड़ी रोक दी जाती है तथा टीटीई, आरपीएफ व जीआरपी स्टाफ गाड़ी को घेर लेते हैं व पूरी गाड़ी की जाँच की जाती हैं। पूरी गाड़ी की जाँच करने का यह उत्तम तरीका है।

### अधिकारिक जाँच

डीसीएम/एसीएम आदि स्वयं टिकट जाँच दल के साथ गाड़ियों में जाते हैं व टिकटों की जाँच करवाते हैं ताकि कोई भी कर्मचारी जाँच कार्य में लापरवाही न बरतें।

### मजिस्ट्रेट जाँच

जो यात्री बिना उपयुक्त टिकट यात्रा करते हुए पकड़े जाते हैं वे रेलवे के नियमानुसार राशि देने में असमर्थ होते हैं या आनाकानी करते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के साथ कानूनी कार्यवाही करने के लिये मजिस्ट्रेट जाँच की जाती है। ये मजिस्ट्रेट अपनी जाँच किसी स्टेशन पर कैम्प लगाकर या चलती गाड़ी में करते हैं। ये मजिस्ट्रेट राज्य सरकार से डेपुटेशन पर रेलवे में निश्चित अवधि के लिये नियुक्त किये जाते हैं।

### इंटर डिवीजनल चैक

इस जाँच के अंतर्गत एक डिवीजन के टीटीई दूसरे डिवीजन में जाकर चैक करते हैं। इनके कार्यों की तुलना पूर्व नियुक्त कर्मचारियों से की जाती है। अधिक अंतर पाये जाने पर इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है।

## इंटर जोनल चैक

इसमें एक क्षेत्रीय रेलवे के टीटीई दूसरी क्षेत्रीय रेलवे में जाकर जाँच करते हैं तथा अंतर मंडलीय जाँच की तरह कार्यवाही की जाती है।

## सांख्यिकीय जाँच :

सांख्यिकीय जाँच का उद्देश्य यह पता लगाना होता है कि यात्रा किस प्रकार की जा रही है।

## गहन स्थानीय जाँच

इस जाँच के अंतर्गत किसी एक स्टेशन का चुनाव किया जाता है तथा जाँच के लिये एक समय निर्धारित किया जाता है जैसे 24 घंटे या 8 घंटे या और कम समय और इस अवधि के दौरान इस स्टेशन से गुजरने वाली सभी गाडियों के यात्रियों के टिकटों की जाँच की जाती है और सांख्यिकी तैयार की जाती है व बिना टिकट या अनियमित टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों का नियमित टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों के उपर प्रतिशत ज्ञात किया जाता है। जर्नी एक्सटेंशन या निम्नतर से उच्चत्तर श्रेणी में यात्रा करने वाले या भिखारी बाहर किये गये या अभियोजित किये गये आदि को अनियमित यात्रियों की संख्या में सम्मिलित नहीं किया जाता है।

## गहन खंड जाँच

इस जाँच के अंतर्गत समान्यतः दो सीटीआई मुख्यालयों के बीच का खण्ड एक निर्धारित समय के लिये चुना जाता है ऑर उस खंड पर से गुजरने वाली गाड़ियों के सभी यात्रियों के टिकटों की जाँच की जाती है और सांख्यिकी तैयार की जाती है ट्रेन किलो मीटर चैक्ड ज्ञात करने के लिये कुल जाँच की गई गाड़ियों को सैक्शन की लम्बाई से गुणा कर दिया जाता है। अर्निंग पर ट्रेन किलो मीटर ज्ञात करने के लिये जाँच के दौरान प्राप्त आमदनी को ट्रेन पर कि.मी. चैक्ड से भाग दे दिया जाता है और इसको दिन प्रति दिन के अर्निंग प्रति ट्रेन कि.मी. से मिलान किया जाता है। इस प्रकार वर्तमान में सेक्शन पर चैकिंग प्रबंधों की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया जाता है कि वे ठीक हैं अथवा नहीं।

# 9 रियायतें

| किराये में 75% रियायत | श्रेणी |
|---|---|
| 1) विकलांग* | प्रथम, द्वितीय व शयनयान |
| 2) अन्धा व्यक्ति* | प्रथम, द्वितीय व शयनयान |
| 3) मानसिक रूप से मन्द* | प्रथम, द्वितीय व शयनयान |
| 4) क्षय रोगी | प्रथम, द्वितीय व शयनयान |
| 5) केन्सर रोगी * | प्रथम, द्वितीय व शयनयान |
| 6) असंक्रामक कु-ठ रोग से पीडित व्यक्ति | प्रथम, द्वितीय व शयनयान |
| 7) थैलीसिमिया रोगी * | प्रथम, द्वितीय व शयनयान |
| 8) युद्ध में मारे गये सैनिकों की विधवाएं | द्वितीय व शयनयान |
| 9) भारतीय शांतिसेना के मारे गये सैनिकों की विधवाएँ | द्वितीय व शयनयान |
| 10) प्रधानमंत्री के श्रम पुरस्कार से सम्मानित औधोगिक कामगार | द्वितीय व शयन. |
| 11) आतंककारियों के खिलाफ कार्रवाई में मृत पुलिसकर्मियों की विधवाएँ | द्वितीय व शयनयान |
| 12) हृदय रोगी ( ओपन हार्ट सर्जरी के लिये )* | प्रथम, द्वितीय व शयनयान |
| 13) गुर्दे की खराबी के रोगी (डायलेसिस/ट्रान्सप्लान्ट)* | प्रथम, द्वितीय व शयन. |
| 14) हीमोफीलिया | प्रथम, द्वितीय, शयनयान, एसी.3टी,ए.सी.चे.कार |

नोट :

* विकलांग / पैरेलेटिक / मानसिक रोगी यदि दो है तो इनके साथ एक मार्गरक्षी यात्रा कर सकता है। इस हेतु मार्गरक्षी को लिखकर देना होगा। यह सुविधा कन्फर्म, आर.ए.सी. तथा प्रतिक्षा सूची के लिए है, बिना आरक्षण वाली टिकटों पर नहीं।

* कोटियों को ACFC व AC 2 Tier में 50% व AC 3 Tier AC Chair Car में 75% रियायत भी दी जाएगी।

| किराये में 50% रियायत | श्रेणी |
|---|---|
| 1. छात्र | द्वितीय* |
| 2. मूक बधिर | प्रथम व द्वितीय |

3. खिलाडी प्रथम व द्वितीय
4. स्काउट व गाइड द्वितीय
5. रा-ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत अध्यापक द्वितीय
6. रा-ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्त बच्चे (18 व-र्ा की आयु तक) द्वितीय
7. द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त कोच द्वितीय
8. बेरोजगार ( साक्षात्कार हेतु ) द्वितीय
9. वरिष्ठ नागरिक महिलाएँ (58 वर्ष या उससे ऊपर) सभी श्रेणियों में
10. यू.पी.एस.सी. या एस.एस.सी. की मैन लिखित परीक्षा केवल द्वितीय

सरकारी नौकरियों के साक्षत्कार हेतु 35 व-र्ा की आयु तक फ्री यात्रा की जा सकती है।

* केवल उपनगरीय खण्ड पर प्रथम श्रेणी में भी दिया जाता है। अ.जा. व अ.ज.जा. विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के किराए पर 50 प्रतिशत और रियायत प्रदान की जाएगी।

| **किराये में 25% रियायत** | **श्रेणी** |
|---|---|
| 1) सेंट जॉन एम्बुलेंस के सदस्य | द्वितीय |
| 2) रिलीफ वेलफेयर एम्बुलेंस कोर, कलकत्ता के सदस्य | द्वितीय |
| 3) सर्विस सिविल इन्टरनेशनल के स्वयं सेवक | द्वितीय |
| 4) किसान दल ( कम से कम 20 ) | द्वितीय |
| 5) औधोगिक मजदूर ( कम से कम 20 ) | द्वितीय |
| 6) नर्स या मिडवाइफ | द्वितीय |
| 7) अध्यापक ( आय मासिक 5000 रू तक ) | द्वितीय |

| **किराये में 40% रियायत** | **श्रेणी** |
|---|---|
| वरि-ठ नागरिक (पुरु-ा 60 व-र्ा या उससे अधिक) सभी श्रेणियों एवं सभी गाड़ियों में | |

**सीजन टिकट में 50% रियायत**

1) विद्यार्थी
2) अंधा व्यक्ति
3) विकलांग व्यक्ति
4) मानसिक रुप से विक्षिप्त व्यक्ति
5) गूंगा और बहरा व्यक्ति
6) ऑस्टोमी रोगी

# 10 ब्रेकजर्नी (यात्रा विराम)

जिस यात्री के पास लम्बी दूरी की टिकट है उसे ब्रेकजर्नी (यात्रा विराम) की सुविधा दी गई है। इसके नियम निम्नलिखित है --

1) यात्री के पास 500 किमी से अधिक दूरी का टिकट होना आवश्यक है।

2) पहली ब्रेकजर्नी 500 किमी की यात्रा पूरी करने के बाद की जा सकती है।

3) यदि यात्री के पास 1000 किमी तक का यात्रा टिकट है तो एक बार व 1000 किमी से अधिक दूरी का यात्रा टिकट है तो वह दो बार ब्रेकजर्नी कर सकता है।

4) एक ब्रेकजर्नी में अधिकत्तम दो दिन अनुमत है लेकिन ब्रेकजर्नी करने का दिन व पुनः यात्रा शुरू करने का दिन शामिल नहीं है।

5) ब्रेकजर्नी करते समय पृ-ठांकन करवाना आवश्यक है, पृ-ठांकन में ब्रेकजर्नी का दिन, गाड़ी संख्या तथा टी सी के हस्ताक्षर किये जाएगें। यदि यात्री पृ-ठांकन नहीं करवाता है तो उसका टिकट आगे की यात्रा के लिये वैध नहीं रहेगा।

6) उपनगरीय रेलवे खण्ड पर सिंगल जर्नी टिकट पर ब्रेकजर्नी की अनुमति नहीं है।

7) रेलवे पासधारी व्यक्ति किन्ही भी, कितने भी स्टेशनों पर ब्रेकजर्नी कर सकते हैं परन्तु उनकी यात्रा निर्धारित अवधि में पूरी हो जानी चाहिये।

8) राजधानी व शताब्दी एक्सप्रेस के यात्री ब्रेक जर्नी नहीं कर सकते हैं।

9) स्टेन्डर्ड व नॉन स्टेन्डर्ड सर्क्यूलर जर्नी टिकट धारी यात्री उन्हीं स्थानों पर ब्रेक जर्नी कर सकते हैं जो उनके टिकट पर लिखे होने चाहिये। ये अधिकत्तम आठ स्टेशनों पर होगी।

10) सीजन टिकट पर ब्रेकजर्नी नहीं कर सकते हैं।

11) आरक्षित टिकट पर ब्रेकजर्नी करने हेतु ब्रेकजर्नी करने के स्थान की घो-ाणा आरक्षण कराते समय आरक्षण माँगपत्र पर ही करना आवश्यक है।

12) इन्डरेल पास पर अवधि के दौरान किसी भी स्टेशन पर कितने भी दिन ब्रेकजर्नी की जा सकती है, इन्हें पृ-ठांकन करवाने की आवश्यकता नहीं है।

13) विशे-ा परिस्थितियों के लिये जारी किये गये रियायती टिकट पर ब्रेकजर्नी की अनुमति नहीं है।

14) विशे-ा प्रयोजन के लिये जारी रियायाती टिकटों पर यात्रा विराम का प्रावधान नहीं है परन्तु जिन टिकटों पर यात्रा विराम अनुमत है उन पर सामान्य टिकटों के अनुसार नियम लागू होगें।

15) नियम विरूद्ध यात्रा विराम करने पर तो उसका टिकट जमा कर लिया जाएगा। रिफन्ड के लिये टी डी आर जारी की जाएगी। यदि उसे यात्रा करनी है तो नया टिकट लेना पडेगा।

16) दुर्घटना में घायल/मारे गये यात्री के परिजनों को जारी मानार्थ पास पर ब्रेकजर्नी अनुमत नहीं है।

# 11 धन वापसी नियम

इसमें इस्तेमाल न की गई यात्रा टिकटों के किरायों की धन वापसी संबंधी महत्वपूर्ण नियमों का समावेश है। ये नियम भारतीय रेल सम्मेलन कोचिंग दर सूची सं. 25 पार्ट 1 वाल्यूम 1 में विस्तार से दर्शाये गये हैं।

**धनवापसी ( रिफण्ड ) के मामले में किराये का अर्थ है -**
**मूल किराया + आरक्षण शुल्क+सुपरफास्ट सरचार्ज+विकास शुल्क (यदि गाड़ी सुपरफास्ट हो तो)**

**आर ए सी एवं प्रतीक्षा सूची टिकटें**

आर ए सी और प्रतीक्षा सूची वाले टिकट जो गाड़ी के वास्तविक प्रस्थान समय के पहले व बाद में निम्नलिखित समय सीमा तक प्रस्तुत किये गये हो, के मामले में प्रति यात्री ` 20/- कर्ल्केज़ चार्ज की कटौती के बाद पूरी धन वापसी की जाएगी-

- 200 किमी तक की टिकटों के लिये 3 घंटे तक
- 201 से 500 किमी तक की टिकटों के लिये 6 घंटे तक
- 500 किमी से ऊपर तक की टिकटों के लिये 12 घंटे तक

**रात्रिकालीन गाडियों की टिकटों के लिये धन वापसी**

आरक्षित, आर.ए.सी. तथा प्रतीक्षा सूची वाली टिकटों की धन वापसी यात्रा शुरू होने वाले स्टेशन पर शाम 21.00 बजे से सुबह 6.00 बजे के बीच चलने वाली रात्रिकालीन गाडियों के लिये पर उल्लेखित समय सीमा के भीतर और अगले दिन आरक्षण कार्यालय के खुलने के पहले चार घंटे के भीतर, जो भी समय बाद में हो, धन वापसी प्राप्त की जा सकती है।

**कन्फर्म आरक्षित टिकटें जिन पर सीट/बर्थ अलाट हैं**

अ) यात्रा के दिन को छोड कर गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान से एक दिन से अधिक पहले तक निरस्त करने के लिये प्रस्तुत की गई टिकट पर एक मुश्त निरस्त

प्रभार (फ्लेट रेट) प्रति यात्री कटौती के बाद धन की वापसी की जाएगी। फ्लेट रेट निम्नलिखित होगी –

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACFC | - 70/- | FC | - 60/- |
| EC | - 70/- | Chair Car | - 60/- |
| 2 AC | - 60/- | SL | - 40/- |
| 3 AC | - 60/- | II Class | - 20/- |

ब) यदि टिकट यात्रा के दिन को छोडकर गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान से एक दिन पहले और गाड़ी चलने के निर्धारित समय से 4 घंटे पहले तक निरस्त करने के लिये प्रस्तुत की जाती है तो कुल किराये के 25% के निरस्त प्रभार की कटौती करने के बाद धन वापसी की जाएगी लेकिन फ्लेट रेट से कम नहीं काटा जाएगा।

स) यदि टिकट गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान समय से पहले 4 घंटे के भीतर और गाड़ी के वास्तविक प्रस्थान समय के बाद निम्नलिखित समय सीमा तक निरस्त करने के लिये प्रस्तुत की जाती हैः

- 200 किमी तक की टिकटों के लिये 3 घंटे तक
- 201 से 500 किमी तक की टिकटों के लिये 6 घंटे तक
- 500 किमी से ऊपर तक की टिकटों के लिये 12 घंटे तक

तो कुल किराये के 50% के निरस्त प्रभार की कटौती करने के बाद धन वापसी की जाएगी, लेकिन फ्लेट रेट से कम नहीं काटा जाएगा।

**आंशिक रूप से कन्फर्म आरक्षण वाली टिकटें**

किसी पार्टी/ पारिवारिक टिकट पर यदि कुछ व्यक्ति/ व्यक्तियों को सीट/ बर्थ अलाट हो जाती है और कुछ व्यक्ति आर.ए.सी./प्रतीक्षा सूची में हैं और समूची टिकट, गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान समय के 4 घंटे के भीतर तथा वास्तविक प्रस्थान समय के 3 घंटे बाद तक यात्रा शुरू किये जाने वाले स्टेशन पर निरस्त करने के लिये प्रस्तुत की जाती है तो कन्फर्म सीटों/ बर्थों के लिये भी प्रति यात्री `20/- क्लर्केज़ चार्ज की कटौती की जाएगी।

**बहु यात्रा वाली आरक्षित टिकट**

ऐसी बहु यात्रा टिकट (जिसमें यात्रा एक से अधिक चरणों में की जा रही हो) पर जहाँ एक यात्रा हेतु आरक्षण अलाट हो व दूसरी प्रतीक्षा सूची/आर ए सी में हो तो प्रारम्भिक स्टेशन पर टिकट प्रस्तुत किये जाने पर प्रारम्भिक स्टेशन की परिस्थिति

के अनुसार कटौती करके प्रारम्भिक स्टेशन के स्टेशन मास्टर द्वारा धनवापसी की जाएगी।

**गाड़ियों का विलंब से चलना**

यदि किसी गाड़ी के 3 घंटे से अधिक विलम्ब से चलने के कारण यदि टिकट को प्रस्तुत किया गया हो तो निरस्त प्रभार अथवा क्लर्केज चार्ज की कटौती किये बिना कन्फर्म / आर ए सी / प्रतीक्षा सूची वाले टिकटों पर पूर्ण किराया वापसी की जाएगी। निरस्तीकरण के लिए समय की सीमा वो ही लगू होगी जो आरक्षित/आर ए सी / प्रतीक्षा सूची वाले टिकटों के प्रति लागू होती है।

**मिलान वाली गाड़ी का छूट जाना**

गाडियों के देर से चलने के कारण मिलान वाली गाड़ी का छूट जाना - यदि टिकट को उस गाड़ी के वास्तविक आगमन के बाद, जिसके द्वारा यात्री ने यात्रा की है, तीन घंटे के भीतर जंक्शन स्टेशन पर प्रस्तुत किया गया हो तो सभी टिकटों पर यात्रा किये गये भाग का किराया काटकर शे-ा किराया जंक्शन स्टेशन के स्टेशन मास्टर द्वारा वापस किया जाएगा। ऐसे आरक्षित टिकट अन्य गाड़ी से यात्रा करने हेतु वैध किये जा सकते हैं।

**आरक्षित स्थान की व्यवस्था न होना**

आरक्षित टिकट धारक यात्रियों को, जिस किसी भी कारण, सीट / बर्थ सुलभ कराने में रेलवे की असमर्थता के कारण टिकटों को निरस्त किया जाए बशर्ते गाड़ी के वास्तविक प्रस्थान के बाद 3 घंटे के भीतर प्रस्तुत किया गया हो तो पूर्ण किराया वापसी की जाएगी।

**गाड़ी सेवाओं को रोक देना**

दुर्घटना, रेल सम्पर्क टूटने एवं बाढ के कारण मार्ग के बीच में गाड़ी-सेवा को रोक देने पर-

अ) यदि रेल प्रशासन उचित समय के भीतर यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुँचाने में असमर्थ हो तो निरस्त प्रभारों की कटौती किये बिना सम्पूर्ण यात्रा के किराये की पूर्ण वापसी मार्गवर्ती स्टेशन के स्टेशन मास्टर / स्टेशन अधीक्षक द्वारा की जाएगी।

ब) यदि रेलवे ने वैकल्पिक व्यवस्था की हो तथा यात्री इस व्यवस्था का लाभ उठाने में इच्छुक न हो तो निरस्त प्रभारों की कटौती किये बिना, यात्रा किये

भाग के किराये की कटौती के बाद शे-ा राशि की वापसी मार्गवर्ती स्टेशन के स्टेशन मास्टर/ स्टेशन अधीक्षक द्वारा की जाएगी।

स) रेल दुर्घटना में किसी यात्री की मृत्यु अथवा हताहत हो जाने के कारण यात्रा भंग होने पर संबधित व्यक्ति अथवा उसके निकट संबधियों के लिये बिना किसी कटौती के बुक की गई सम्पूर्ण यात्रा के किराये की पूर्ण वापसी मार्गवर्ती स्टेशन के स्टेशन मास्टर/ स्टेशन अधीक्षक द्वारा की जाएगी।

द) बंद, आंदोलन एवं रेल रोको अभियान के कारण गाड़ी सेवाओं के बंद होने की स्थिति में निरस्त प्रभारों की कटौती किये बिना, यात्रा किये भाग के किराये की कटौती कर शे-ा राशि की वापसी मार्गवर्ती स्टेशन के स्टेशन मास्टर/ स्टेशन अधीक्षक द्वारा की जाएगी।

**वातानुकूलन संयंत्र की खराबी**

यदि यात्रा के दौरान वातानुकूलन संयंत्र खराब रहा हो तथा गाड़ी आगमन के पश्चात बीस घंटे के भीतर गंतव्य स्टेशन पर गाड़ी टिकट परीक्षक/ कन्डक्टर/ गार्ड के प्रमाणपत्र के साथ टिकट प्रस्तुत किया गया हो -

क) यदि टिकट ACFC का रहा हो तो ACFC तथा प्रथम श्रेणी (FC) के किराये के बीच के अंतर के बराबर धन वापसी गंतव्य स्टेशन के स्टेशन मास्टर। अधीक्षक द्वारा की जाएगी।

ख) यदि टिकट 2AC/ 3AC का रहा हो 2AC/ 3AC तथा शयनयान श्रेणी (मेल/ एक्स.) (SL M/E) के किराये के बीच के अंतर के बराबर धन वापसी गंतव्य स्टेशन के स्टेशन मास्टर। अधीक्षक द्वारा की जाएगी।

ग) यदि टिकट एसी चेयरकार का रहा हो एसी चेयरकार तथा दूसरी श्रेणी (मेल/एक्स.) किराये के बीच के अंतर के बराबर धन वापसी गंतव्य स्टेशन के स्टेशन मास्टर/ अधीक्षक द्वारा की जाएगी।

घ) यदि टिकट एक्ज़ीक्यूटिव श्रेणी का रहा हो एक्ज़ीक्यूटिव श्रेणी तथा प्रथम श्रेणी के किराये के बीच के अंतर के बराबर धन वापसी गंतव्य स्टेशन के स्टेशन मास्टर। अधीक्षक द्वारा की जाएगी।

**रियायती वापसी टिकटे**

रियायती वापसी टिकटों के अप्रयुक्त भाग पर धन वापसी नहीं दी जाती है।

**अंशतः प्रयुक्त टिकटे**

जहाँ यात्रा का कुछ हिस्सा तय किया गया है, उन टिकटों के अप्रयुक्त भाग पर धन वापसी नहीं दी जाती है। विशे-ा परिस्थिति में टी डी आर जारी की जाएगी व धन वापसी सी सी एम द्वारा की जाएगी।

## यात्रा की दिनांक तथा निम्न श्रेणी से उच्च श्रेणी में बदलाव

जहाँ यात्रा पूर्व निश्चित तिथि से आगे या बाद में की गई हो अथवा निम्न श्रेणी से उच्च श्रेणी में बदली गई हो उन टिकटो पर धन वापसी, पहले आरक्षण में परिवर्तन किये जाने पर देय निरस्त प्रभार और परिवर्तित आरक्षण (दूसरा) पर भी निरस्त प्रभार काटकर धन वापसी की जाएगी।

## टिकट डिपॉज़िट रसीद

जब भी यात्री को धन वापसी चाहिये तो नियमानुसार स्टेशन से प्राप्त किया जा सकती है लेकिन यदि किसी विशे-ा परिस्थिति में स्टेशन से धन वापसी प्राप्त नहीं की जा सके तो टिकट संग्राहक कार्यालय से यात्री को टिकट डिपाजिट रसीद प्राप्त कर लेनी चाहिये ताकि इस टी.डी.आर. के आधार पर धन वापसी सी सी एम से प्राप्त की जा सके। टी.डी.आर. यात्रा की दिनांक से 30 दिन बाद तक जारी की जा सकती है।

टी.डी.आर. निर्धारित फॉर्म में तीन प्रतियों में बनायी जाती है। पहली प्रति यात्री प्रति, दूसरी सी.सी.एम. प्रति तथा तीसरी रिकार्ड प्रति होती है। टी.डी.आर. में यात्री का नाम, स्टेशन से, स्टेशन को, टिकट नंबर तथा टिकट जमा करने का समय, दिन व कारण लिखकर रेल कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाएगें।

यात्री प्रति यात्री को दे दी जाएगी तथा सी सी एम प्रति टिकट के साथ टी.डी.आर. जारी करने वाले स्टेशन के सी सी एम को भेज दी जाएगी। यात्री प्रार्थनापत्र के साथ टी.डी.आर. की प्रति संलग्न कर टी.डी.आर. जारी करने वाली रेलवे के सी सी एम को भेज देगा जो सी सी एम कार्यालय में यात्रा प्रारम्भ करने की निर्धारित तिथि से 90 दिन के भीतर पहुँच जानी चाहिये। किराये की वापसी सी सी एम द्वारा की जाएगी।

## स्टेशन मास्टरों को विशे-ा अधिकार

कुछ महत्वपूर्ण स्टेशनों/ आरक्षण कार्यालयों के स्टेशन मास्टरों/ मुख्य आरक्षण सुपरवाइजरों को उनके स्टेशनो से जारी टिकटों पर, जिन पर नियमों में निर्धारित समय सीमा समाप्त होने पर स्टेशन से धन वापसी अनुमेय नहीं है, अप्रयुक्त टिकटों के सम्बन्ध में धन वापसी करने के लिये अधिकार प्रदान किये गये हैं और

इनके द्वारा नियम के अनुसार निरस्त प्रभार काटकर किराये की वापसी की जा सकती है।

## कम्प्यूट्रीकृत कोचिंग रिफण्ड स्कीम

सामान्यतः बिना उपयोग में लायी गई टिकिट पर धन वापसी समय सीमा में स्टेशन पर ही दी जाती है लेकिन निर्धारित समय सीमा समाप्त हो जाने पर टिकिट स्टेशन पर सरेन्डर करने पर टीडीआर देने का भी प्रावधान है जिसका भुगतान स्टेशन के स्टेशन मास्टर द्वारा या जारी करने वाले स्टेशन के क्षेत्रीय रेलवे के दावा कार्यालय द्वारा भुगतान का प्रावधान रखा गया। परिणाम स्वरूप काफी संख्या में जारी टीडीआर पर धन वापसी देने में देरी होने लगी। इसके लिये रेलवे द्वारा धन वापसी की व्यवस्था का सरलीकरण किया गया व पूरे भारतीय रेलवे में जहाँ पी.आर.एस. है वहाँ कम्प्यूट्रीकृत कोचिंग रिफण्ड की स्कीम लागू की गई है। इसके तहत निम्न व्यवस्था की गई है –

- ⇨ टीटीई द्वारा कोच चेक करने के बाद Exceptional Data Report तैयार की जायेगीं। इसमें निम्न विवरण दर्शाये जायेंगे :
  - ⌖ यात्रा के लिए नहीं पहुँचे यात्री
  - ⌖ अपेक्षकृत निचली श्रेणी में यात्रा करना
  - ⌖ एसी कोच में एसी फेल होने पर
  - ⌖ ग्रुप आरक्षण में कम यात्रियों का यात्रा करना
  - ⌖ गाड़ी सेवा की अनुपलब्धता के कारण यात्रियों द्वारा यात्रा भंग
  - ⌖ स्थान उपलब्ध नहीं कराया गया।
- ⇨ क्षेत्रीय रेलवे द्वारा कुछ स्टेशनों को रिफण्ड देने हेतु नामित किया गया है जिन्हें डॉटा एन्ट्री पॉइंट जहाँ कि टीटीई द्वारा ईडीआर को पीआरएस में दो प्रतियों में देने पर विशेष काउन्टर पर आरक्षण पर्यवेक्षक द्वारा कम्प्यूटर में फीड किया जायेगा व ईडीआर की एक प्रति पर टीटीई का नाम, गाड़ी नम्बर, दिनांक व समय लिखकर अपने पास रिकॉर्ड में रखी जायेगी व दूसरी प्रति पर अपने हस्ताक्षर कर व उस पर अपना नाम लिखकर टीटीई को सौंपी जायेगी। डाटा फीड करते समय यदि यह नोटिस में आता है कि टिकिट पहले से ही रद्द हो गया है तो उस नाम के आगे Already cancelled व उस पर पूरे हस्ताक्षर व तारीख लिखी जायेगी।
- ⇨ गाड़ी के आरंभिक स्टेशन अनुसार गाड़ी के प्रस्थान समय से जो भी डाटा फीड किये गये है उसे 30 दिन तक ऑन लाइन रखे जायेंगे।
- ⇨ ईडीआर द्वारा फीड डाटा जिसमें टीटीई का नाम भी फीड होगा। कम्प्यूटर में तीन वर्ष तक स्टोर रखे जायेंगे।

- ⇨ इस सिस्टम के तहत केवल आर.ए.सी./कम्फर्म टिकिट पर ही रिफण्ड होगा।

**कब और कैसे रिफण्ड स्वीकार्य होगा**

- ⇨ इस प्रणाली के तहत रिफण्ड उसी व्यक्ति को दिया जायेगा जो स्वयं व्यक्तिगत रूप से दावे के लिए उपस्थित हो वे अपनी पहचान साबित करने के लिए अपनी पहचान का दस्तावेज की फोटो प्रति प्रस्तुत करें। अन्य व्यक्ति को रिफण्ड नहीं दिया जायेगा यदि टिकिट पर बुक किया गया व्यक्ति रिफण्ड के लिए स्वयं नहीं आता है तो उसे टीडीआर दी जायेगी।
- ⇨ सिस्टम से सत्यापन के बाद गाड़ी के प्रारंभिक स्टेशन से निर्धारित प्रस्थान समय से 30 दिन तक आरक्षण कार्यालय में टिकिट प्रस्तुत करने पर रिफण्ड किया जायेगा।
- ⇨ रिफण्ड देते समय सामान्य केन्सिलेशन चार्ज रिफण्ड नियमों के अनुसार लगाने योग्य हो वसूल किये जायेंगे।
- ⇨ इस योजना के तहत रिफण्ड केवल उन्हीं टिकिटों पर दिया जायेगा जिनके विवरण ईडीआर के आधार पर कम्प्यूटर में अपडेट कर दिये गये हो।
- ⇨ जिन मामलों में कम्प्यूटर रिफण्ड में अपडेट नहीं कराया गया हो उनमें रिफण्ड मौजूदा प्रणाली के अनुसार दिया जायेगा।
- ⇨ यदि कोई यात्री वर्तमान कोचिंग रिफण्ड स्कीम में ईडीआर के आधार पर रिफण्ड से संतुष्ट नहीं है और टीडीआर मांगता है तो उसे टीडीआर जारी की जायेगी व टीडीआर में रिफण्ड नहीं देने का पूरा ब्यौरा देना होगा।
- ⇨ प्रत्येक कोच की अलग–अलग ईडीआर बनाई जायेगी। यह जिम्मेदारी सब से वरिष्ठ टीटीई की गाड़ी में रहेगी व सभी टीटीई उसका अनुसरण करेंगे। जिस कोच में टीटीई नहीं है उस कोच की रिपोर्ट वरिष्ठ टीटीई द्वारा बनाई जायेगी।
- ⇨ यह ईडीआर तीन प्रतियों में बनाई जायेगी। मूल प्रति पीआरएस में आरक्षण पर्यवेक्षक को देनी होगी व दूसरी कॉपी पर उसके हस्ताक्षर लिये जायेंगे।
- ⇨ एक कार्बन कॉपी मूल चार्ट के साथ टीटीई द्वारा लगाई जायेगी।

# 12 भारतीय रेल अधिनियम - 1989

भारतीय रेल अधिनियम - 1989, 1 जुलाई 1990 से प्रभावी माना गया है। इसमें 16 अध्याय और 200 धारायें हैं। इसकी मुख्य धारायें एवं उनके प्रावधान निम्नलिखित है --

**यात्री परिवहन से सम्बन्धित धारायें**

**धारा 49**

इस धारा के अर्न्तगत प्रत्येक स्टेशन के उपयुक्त स्थान पर टाइम टेबल और किराया सूची लगाने का प्रावधान है।

**धारा 50**

इस धारा के अर्न्तगत किराये का भुगतान करने पर टिकट जारी करने का प्रावधान है। जारी टिकट पर स्टेशन से स्टेशन को, यात्रा की श्रेणी तथा किराये की राशि,द्वितीय श्रेणी के मामले में हिन्दी, अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भा-ा में, उच्चत्तर श्रेणी के मामले में हिन्दी व अंग्रेजी में छापने का प्रावधान है।

**धारा 51**

इस धारा के अर्न्तगत टिकट यह मान कर जारी की जाती है कि यात्री को जगह मिल जाएगी। यदि जगह न मिल पाने के कारण निम्न श्रेणी में यात्रा करनी पडे तो नियम के अनुसार किराये के अंतर की वापसी का प्रावधान है।

**धारा 52**

इस धारा के अर्न्तगत यदि टिकट रद्द कराने हेतु प्रस्तुत किया जाता है तो टिकट रद्द कर नियमों के अनुसार किराया वापस किया जाएगा।

**धारा 53**

इस धारा के अर्न्तगत जो टिकट यात्री के नाम से जारी की जाती है व अहस्तान्तरणीय है, उन पर कोई अन्य यात्री यात्रा नहीं कर सकता है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में आरक्षित टिकट पर नाम बदलने का प्रावधान है।

**धारा 54**

इस धारा के अर्न्तगत जब भी यात्री से टिकट पूछा जाए तो तुरन्त उसे अपना टिकट / पास प्राधिकृत रेल कर्मचारी को दिखाना होगा।

**धारा 55**

इस धारा में यह प्रावधान है कि रेल से यात्रा करने के लिये टिकट, पास या रेलवे की अनुमति होना आवश्यक है। जिस प्रमाण पत्र पर यात्रा करने की अनुमति दी जाती है उसे गार्ड प्रमाण पत्र कहते हैं।

**धारा 56**

इस धारा में ऐसा प्रावधान है कि -

1. छूत की बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति प्राधिकृत रेल कर्मचारी की अनुमति प्राप्त किये बिना गाड़ी के डिब्बे में प्रवेश या यात्रा नहीं करेगा।
2. ऐसे यात्रियों को यात्रा की अनुमति तभी दी जाएगी जब उन्हें अन्य यात्रियों से अलग ले जाए जाने का उचित प्रबन्ध कर लिया गया हो।
3. छूत की बीमारी कोचिंग दर सूची के नियम संख्या 133(A) में दर्शाई गई बीमारियों को माना गया है।
4. बिना अनुमति के यात्रा करते पकडे जाने पर इनका टिकट जब्त कर लिया जाएगा और रेल परिसर से बाहर कर दिया जाएगा।

**नियम 133(A) के अर्न्तगत संक्रामक रोग** -नियम संख्या 133 ( A ) के अर्न्तगत संक्रामक रोग निम्नलिखित माने गये हैं --

- सर ब्रोस्पाइनल मेनिनजाइटिस
- टाइफाइड फीवर
- चिकन पॉक्स
- लेप्रोसी
- डिफ्थिरिया
- कॉलेरा
- स्कॉरलेट फीवर
- मम्पस
- टाइफस फीवर
- मीज़ल्स

**धारा 57**

इस धारा के अर्न्तगत प्रत्येक यात्री डिब्बे के अंदर व बाहर डिब्बे की क्षमता प्रदर्शित किये जाने का प्रावधान है।

**धारा 58**

इस धारा के अर्न्तगत प्रत्येक यात्री गाड़ी में,महिलाओं के यात्रा करने के लिये एक कम्पार्टमेंट या कुछ शायिकाएं या सीटें अलग से रखने का प्रावधान है।

**धारा 59**

इस धारा के अर्न्तगत प्रत्येक गाड़ी में अलार्म चेन की व्यवस्था की जाएगी।

**धारा 67**

इस धारा के अर्न्तगत कोई भी व्यक्ति प्राधिकृत रेल कर्मचारी को लिखित में सूचित किये बिना रेल सीमा में खतरनाक और बदबूदार माल नहीं ले जा सकता है।

**धारा 137**

यह धारा ऐसे यात्रियों पर लागू होती है जो बिना उचित प्राधिकार पत्र या टिकटों के रेलवे प्रशासन को धोखा देने के आशय से यात्रा करते हैं।

इस धारा के अर्न्तगत ऐसे व्यक्तियों को दण्डित करने का भी प्रावधान है।

**दण्ड** - धारा के प्रावधान के अनुसार ऐसे यात्रियों को 6 माह तक की कैद या `1000/- तक जुर्माना या दोनों सजाओं से दण्डित किया जा सकता है। लेकिन `500/- से कम जुर्माना नहीं किया जा सकता है।

उस व्यक्ति से उपरोक्त दण्ड के अलावा अतिरिक्त किराया व अतिरिक्त प्रभार भी वसूल किया जाएगा। यदि ऐसा व्यक्ति जुर्मानें की राशि देने से मना करता है तो 6 माह के कारावास से और दण्डित किया जा सकता है।

**धारा 138**

यह धारा ऐसे यात्रियों पर लागू होती है जो बिना उचित पास या टिकटो के यात्रा करते हुए पकडे जाते हैं। इस धारा के अर्न्तगत ऐसे व्यक्तियों को दण्डित करने का भी प्रावधान है।

**दण्ड** - धारा के प्रावधान के अनुसार ऐसे यात्रियों से अतिरिक्त किराया व अतिरिक्त प्रभार वसूल किया जाएगा। यदि ऐसा व्यक्ति अतिरिक्त किराया व अतिरिक्त प्रभार नहीं देता है तो उसे मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा। मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को अतिरिक्त किराया व अतिरिक्त प्रभार जमा करवाने के

आदेश देगा। यदि वह ये जमा करवाने में असमर्थ रहता है तो वह एक माह तक की कैद से दण्डित किया जाएगा लेकिन यह 10 दिन से कम नहीं होगी।

**धारा 141**

यह धारा ऐसे यात्रियों पर लागू होती है जो कि बिना उचित कारण अलार्म चेन खीचंते हैं।

**दण्ड** - ऐसे यात्रियों को एक वर्ा तक की कैद या ` 1000/- तक जुर्माना या दोनों सजाओं से दण्डित किया जा सकता है। लेकिन पहले अपराध के लिये `500/- से कम जुर्माना नहीं होगा तथा अन्य अपराधों के लिये 3 माह से कम कैद नहीं दी जाएगी।

**धारा 142**

यह धारा ऐसे यात्रियों पर लागू होती है जो अन्य यात्री की टिकट लेकर यात्रा करते हुए पकडे जाते हैं या दूसरो को टिकट बेचते हुए पकडे जाते हैं। इस धारा के अर्न्तगत ऐसे व्यक्तियों को दण्डित करने का भी प्रावधान है।

**दण्ड** - धारा के प्रावधान के अनुसार ऐसे यात्रियों को 3 माह तक की कैद या `500/- तक जुर्माना या दोनों सजाएं साथ साथ दी जा सकती है।

**धारा 143**

यह धारा ऐसे यात्रियों पर लागू होती है जो टिकटो की अनाधिकृत क्रय विक्रय का करोबार करते हैं। इस धारा के अर्न्तगत ऐसे व्यक्तियों को दण्डित करने का भी प्रावधान है।

**दण्ड** - धारा के प्रावधान के अनुसार ऐसे यात्रियों को 3 वर्ा तक की कैद या `10000/- तक जुर्माना या दोनों सजाएं साथ साथ दी जा सकती है। लेकिन 1 माह से कम सजा या `5000/- से कम जुर्माना नहीं किया जा सकता है। उस व्यक्ति के पास से सारे टिकट जब्त कर लिये जाएगें।

**धारा 144**

यह धारा ऐसे व्यक्तियों पर लागू होती है जो रेलवे सीमा में भीख माँगते हैं या बिना प्राधिकार के रेलवे सीमा में वस्तुओं की बिक्री करते हैं।

**दण्ड** - ऐसे व्यक्तियों को 1 वर्ा तक की कैद या `2000/- तक जुर्माने से या दोनों सजाओं से दण्डित किया जा सकता है। लेकिन `1000/- से कम जुर्माना नहीं किया जाएगा।

**धारा 145**

यह धारा ऐसे यात्रियों/व्यक्तियों पर लागू होती है जो रेल क्षेत्र में या सवारी डिब्बों में नशे की हालत में होते हैं तथा अन्य यात्रियों के लिये आराम के लिये उपलब्ध कराई गई सुविधा में बाधा डालते हैं या अशोभनीय हरकतें करते हैं। इस धारा के अर्न्तगत ऐसे व्यक्तियों को दण्डित करने का भी प्रावधान है।

**दण्ड** - धारा के प्रावधान के अनुसार ऐसे यात्रियों को 6 माह तक की कैद या `500/- तक जुर्माना या दोनों सजाओं से दण्डित किया जा सकता है। लेकिन पहले अपराध के लिये `100/- से कम जुर्माना तथा बाकी अपराधों के लिये 1 माह से कम सजा या `250/- से कम जुर्माना नहीं किया जाएगा।

**धारा 146**

यह धारा ऐसे यात्रियों पर लागू होती है जो रेल कर्मचारी के कर्तव्य पालन में बाधा डालते हैं। इसके अर्न्तगत ऐसे व्यक्तियों को दण्डित करने का भी प्रावधान है।

**दण्ड** - ऐसे व्यक्तियों को 6 माह तक की कैद या `1000/- तक जुर्माना या दोनों सजाओं से दण्डित किया जा सकता है।

**धारा 147**

यह धारा ऐसे व्यक्तियों पर लागू होती है जो रेल क्षेत्र में या रेलगाड़ी में अनाधिकृत प्रवेश या अधिकृत प्रवेश के बाद रेल सम्पति का दुरूपयोग करता है। इस धारा के अर्न्तगत ऐसे व्यक्तियों को दण्डित करने का भी प्रावधान है।

**दण्ड** - धारा के प्रावधान के अनुसार ऐसे यात्रियों को 6 माह तक की कैद या `1000/- तक जुर्माना या दोनों सजाओं से दण्डित किया जा सकता है। लेकिन `500/- से कम जुर्माना नहीं किया जाएगा।

**धारा 155**

यदि कोई यात्री किसी ऐसे कम्पार्टमेंट/ शायिका/ सीट को घेर लेता है जो किसी अन्य यात्री के नाम से आरक्षित है या बिना आरक्षण के कम्पार्टमेंट को घेर लेता है और मना करने पर भी नहीं हटता है तो यह धारा लागू होती है।

**दण्ड** - ऐसा यात्री जो आरक्षित डिब्बे में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करता है उस पर `500/- तक जुर्माना तथा बिना आरक्षित कम्पार्टमेंट में अन्य यात्रियों को चढने से रोकता है उस पर `200/- तक जुर्माना किया जा सकता है।

**धारा 156**

यह धारा ऐसे यात्रियो पर लागू होती है जो मना करने पर भी गाड़ी की छत,पायदान या इंजन या ऐसे स्थान पर जो यात्रियों के लिये निर्धारित न हो पर यात्रा करते हुए पकडे जाते है।

**दण्ड** - ऐसे यात्रियों को 3 माह तक की कैद या `500/- तक जुर्माना या दोनों सजाओं से दण्डित किया जा सकता है।

**धारा 157**

यदि कोई यात्री जानबूझकर टिकट पर लिखे विवरण मिटाता है या बदलता है तो यह धारा लागू होती है।

**दण्ड** - ऐसा यात्री 3 माह तक की कैद या `500/- तक जुर्माने या दोनों सजाओं से दण्डित किया जा सकता है।

**धारा 162**

यदि कोई पुरू-ा यात्री जानबूझकर महिलाओं के लिये आरक्षित स्थान पर प्रवेश करता हैं और मना करने पर भी नहीं हटता है तो यह धारा लागू होती है।

**दण्ड** - ऐसे व्यक्ति को `500/- तक जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है। ऐसे यात्री का टिकट जब्त कर लिया जाएगा और उसे वहाँ से हटा दिया जाएगा।

**धारा 164**

यह धारा ऐसे यात्री पर लागू होती है जो धारा 67 का उल्लघंन करते हुए खतरनाक वस्तुएं साथ ले जाते हुए पकडा जाता है।

**दण्ड** - ऐसे यात्री को 3 व-र्ा तक की कैद या `1000/- तक जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उसके ऐसा माल रेलवे सीमा में लाने से होने वाली किसी भी क्षति, हानि या चोट के लिये भी वह उत्तरदायी होगा।

**धारा 165**

यह धारा ऐसे व्यक्ति पर लागू होती है जो धारा 67 का उल्लघंन करते हुए बदबूदार वस्तुए रेलवे सीमा में ले जाते हुए पकडा जाता है।

**दण्ड** - ऐसे व्यक्ति को `500/- तक जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है। उपरोक्त दण्ड के अलावा उसके ऐसा माल रेलवे सीमा में लाने होने वाली किसी भी क्षति, हानि के लिये भी वह उत्तरदायी होगा।

**धारा 166**

यह धारा ऐसे व्यक्ति पर लागू होती है जो रेलवे में लगाई गई पब्लिक नोटिस मिटाते हुए पकडा जाता हैं।

**दण्ड** - ऐसा व्यक्ति एक माह तक की कैद या `500/- तक जुर्माना या दोनों सजाओं से दण्डित किया जा सकता है।

**धारा 167**

यह धारा ऐसे यात्री पर लागू होती है जो अन्य यात्रियों के मना करने पर भी डिब्बे में धूम्रपान करता है।

**दण्ड** - ऐसे यात्रियों को `200/- तक जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है।

**धारा 172**

यह धारा ऐसे रेल कर्मचारी पर लागू होती है जो ड्यूटी के समय नशे की हालत में पकडा जाता है।

**दण्ड** - ऐसा कर्मचारी `500/- तक जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है।

यदि ऐसे रेल कर्मचारी के ड्यूटी करने से किसी व्यक्ति की जान खतरे में पडती है तो उसे एक साल के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

**ऑन बोर्ड कमियों की निगरानी**

चल टिकट संवर्ग के कर्मचारी गाडियों में दी जाने वाली यात्री सुविधाओं की कमियों के बारे में डिप्टी एस.एस.(कामर्शियल) को सूचित करेगें। उनके द्वारा दी गई जानकारी को आन्तरिक शिकायत मानकर समान कार्रवाई की जाएगी जो कि बाहरी शिकायतों के मामलें में की जाती है। प्राप्त जानकारी को एक रजिस्टर में भी दर्ज किया जाएगा।

13

# अनियमित यात्राएँ

रेल द्वारा यात्री अनेक प्रकार से अनियमित यात्राएं करते हैं ऐसे यात्रियों के विरुद्ध निम्नलिखित नियमों के अर्न्तगत कार्रवाई की जा सकती है –

***अतिरिक्त किराया*** - यह किराया या किराये का कोई भाग है जो यात्री से बुकिंग खिडकी के अलावा एकत्रित किया जाता है।

***अतिरिक्त प्रभार*** -- यह एक प्रकार से यात्री से दण्ड स्वरूप ली जाने वाली राशि है जो कम से कम `250/- या अतिरिक्त किराये के बराबर, इनमें से जो भी अधिक हो; वसूल की जाएगी।

**बिना टिकट यात्रा करना**

जब कोई यात्री बिना टिकट यात्रा करते हुए पकडा जाता है तो उससे पकडे जाने वाले स्टेशन तक का अतिरिक्त किराया व अतिरिक्त प्रभार लिया जाएगा तथा यदि उसे आगे भी यात्रा करनी है तो आगे की यात्रा के लिये केवल अतिरिक्त किराया ही लिया जाएगा।

यदि इस बात में कोई सन्देह है कि उसने कहाँ से यात्रा प्रारम्भ की है तो गाड़ी के प्रारम्भिक स्टेशन से व यदि गाड़ी किसी चैकिंग स्टेशन को पार कर जाती है तो उस चैकिंग स्टेशन से व यदि गाड़ी एक से अधिक चैकिंग स्टेशन पार कर जाती है तो अंतिम स्टेशन से अतिरिक्त किराया व अतिरिक्त प्रभार लिया जाएगा।

**बच्चे के टिकट पर वयस्क**

यदि कोई वयस्क यात्री बच्चे के टिकट पर यात्रा करते हुए पकडा जाता है तो उससे वयस्क टिकट और बालक टिकट के किराये का अंतर तथा पकडे जाने वाले स्टेशन तक अतिरिक्त प्रभार वसूल किया जाएगा।

**वयस्क यात्री के साथ बच्चा**

जब भी कोई बच्चा वयस्क यात्री के साथ बिना टिकट यात्रा करते हुए पकडा जाता है तो वयस्क यात्री के प्रारम्भिक स्टेशन से पकडे जाने वाले स्टेशन तक

अतिरिक्त किराया व अतिरिक्त प्रभार व आगे की यात्रा के लिये वयस्क यात्री की टिकट के अनुसार अतिरिक्त किराया ही लिया जाएगा।

**अवधि समाप्त हुए टिकट पर यात्रा करना**

जब भी कोई यात्री  अवधि समाप्त हुए टिकट पर यात्रा करते हुए पकडा जाता है तो जिस भी स्टेशन पर टिकट की अवधि समाप्त हुई है उस स्टेशन से पकडे जाने वाले स्टेशन तक अतिरिक्त किराया व अतिरिक्त प्रभार और आगे की यात्रा के लिये केवल अतिरिक्त किराया लिया जाएगा।

**मिलिट्री वारन्ट के बदले टिकट लिये बिना यात्रा करना**

(अ) आई ए एफ टी 1720 के बदले यदि यात्री टिकट नहीं लेता है तो यात्री के पकड़े जाने की दशा में पकड़े जाने वाले स्टेशन तक अतिरिक्त किराया व अतिरिक्त प्रभार तथा आगे के लिए अतिरिक्त किराया लिया जाएगा।

(ब) आई ए एफ टी 1707 व 1752 पर पकडे जाने वाले स्टेशन तक अतिरिक्त किराया व अतिरिक्त प्रभार तथा आगे के लिये निःशुल्क अतिरिक्त किराया टिकट जारी किया जाएगा तथा वारन्ट ले लिया जाएगा।

(स) रियायती वाउचर फॉर्म डी - आई ए एफ टी 1709 के बदले यदि यात्री टिकट नहीं लेता है तो उसे बिना टिकट यात्री मानकर चार्ज किया जाएगा तथा यात्री को रियायती वाउचर का कोई लाभ नहीं दिया जाएगा।

पी.टी.ओ. के बदले यदि यात्री टिकट नहीं लेता है तो बिना टिकट यात्री मानकर चार्ज किया जायेगा।

**निम्न श्रेणी / गाड़ी का टिकट लेकर उच्च श्रेणी / गाड़ी में यात्रा**

उपरोक्त परिस्थिति में यात्री के पकडे जाने पर पकडे जाने वाले स्टेशन तक के किराये के अंतर के बराबर अतिरिक्त किराया व अतिरिक्त प्रभार तथा यदि आगे उसी श्रेणी/गाड़ी में यात्रा करनी है तो आगे की यात्रा के लिये किराये के अंतर के बराबर अतिरिक्त किराया लिया जाएगा।

**प्रतिबन्धित गाड़ी में बिना टिकट यात्रा**

यदि कोई यात्री प्रतिबन्धित गाड़ी में बिना टिकट यात्रा करते हुए पकडा जाता है तो उस गाड़ी में यात्रा करने के लिये उसे कम से कम जितनी दूरी का टिकट खरीदना पडता, उतनी दूरी के किराये के बराबर अतिरिक्त किराया व अतिरिक्त

प्रभार लिया जाएगा तथा यदि यात्री को इससे अधिक दूरी तक यात्रा करनी है तो उस स्टेशन तक का अतिरिक्त किराया लिया जाएगा।

**प्रतिबन्धित गाड़ी में निर्धारित दूरी से कम दूरी का टिकट लेकर यात्रा**

यदि यात्री प्रतिबन्धित गाड़ी में निर्धारित दूरी से कम दूरी का टिकट लेकर यात्रा करते हुए पकडा जाता है तो उस गाड़ी से यात्रा करने के लिये उसे कम से कम जितनी दूरी का टिकट खरीदना पडता उतनी दूरी का किराया व जितना किराया उसने दिया है, इन दोनों के अतंर के बराबर अतिरिक्त किराया लिया जाएगा।

**निर्धारित मार्ग की बजाय अन्य मार्ग से यात्रा करना**

(अ) यदि यात्री के पास बडे मार्ग का टिकट है तथा छोटे मार्ग से यात्रा करता हुआ पकडा जाता है तो यात्री को निःशुल्क अतिरिक्त किराया टिकट जारी कर उसका टिकट जब्त कर लिया जाएगा। यात्री से किसी भी प्रकार का अतिरिक्त किराया व अतिरिक्त प्रभार नहीं लिया जाएगा।

(ब) यदि यात्री के पास छोटे मार्ग का टिकट है व लम्बे मार्ग से यात्रा करते हुए पकडा जाता है तो ऐसे यात्री से दोनों मार्गों के किराये के अंतर के बराबर अतिरिक्त किराया लिया जाएगा, अतिरिक्त प्रभार नहीं लिया जाएगा।

(स) यदि किसी रेल कर्मचारी के पास जिस मार्ग का पास है वह केवल उसी मार्ग से यात्री कर सकता है यदि वह मार्ग से हटकर यात्रा करते हुए पकडा जाता है तो यात्री से जहां से मार्ग से हटा है, वहाँ से उसे बिना टिकट यात्री मान कर चार्ज किया जाएगा।

**सुपरफास्ट गाड़ी में बिना टिकट यात्रा**

रेल प्रशासन ने कुछ गाडियाँ सुपरफास्ट घोनित की है। ऐसी गाडियों में बिना सुपरफास्ट चार्ज के यात्रा नहीं की जा सकती है। यदि कोई यात्री सुपरफास्ट गाड़ी में बिना यात्रा टिकट पकडा जाता है तो ऐसे यात्री से पकडे जाने वाले स्टेशन तक का अतिरिक्त प्रभार लिया जाएगा व आगे की यात्रा के लिये अतिरिक्त किराया लिया जाएगा तथा सुपरफास्ट यात्रा का अतिरिक्त किराया लिया जाएगा।

**सुपरफास्ट गाड़ी में बिना सुपरफास्ट टिकट यात्रा**

यदि कोई यात्री प्रारम्भिक स्टेशन से ही बिना सुपरफास्ट सरचार्ज दिये सुपरफास्ट गाड़ी में चढ जाता है और यात्रा करते हुए पकडा जाता है तो उससे सुपरफास्ट सरचार्ज और अतिरिक्त प्रभार वसूल किया जाएगा।

यदि यात्री किसी मध्यवर्ती जंक्शन स्टेशन से जिसके पास पहले से ही यात्रा टिकट है, सुपरफास्ट गाड़ी में बिना सुपरफास्ट सरचार्ज टिकट के चढ जाता है तो पकडे जाने पर यात्री से केवल सुपरफास्ट सरचार्ज ही लिया जाएगा, अतिरिक्त प्रभार नहीं लिया जाएगा।

**टिकट के गंतव्य स्थान से आगे निकल जाना**

ऐसी यात्रा यात्री दो प्रकार से करता है --

(अ) जानबूझ कर - यदि यात्री जानबूझ कर टिकट के गंतव्य स्टेशन से आगे यात्रा करते हुए पकडा जाता है तो वह गंतव्य स्टेशन से आगे उसे बिना टिकट यात्री मानकर चार्ज किया जाता है।

(ब) अनजाने में - ऐसे यात्री को गाड़ी के पहले रूकने वाले स्टेशन पर उतार दिया जाएगा व उसे टिकट खरीद कर प्रथम उपलब्ध गाड़ी से वापस गन्तव्य स्टेशन जाना होगा, उससे कोई अतिरिक्त प्रभार नहीं लिया जाएगा तथा उसे रेल सीमा से बाहर न जाने दिया जाएगा ।

**आर.एम.एस. कोच में यात्रा**

केवल आर एम एस स्टाफ जिनके पास टोकन / पास हो, यात्रा करने के लिए अधिकृत हैं। अन्य को प्रथम श्रेणी में बिना टिकट यात्रा करते हुए मानकर चार्ज किया जाएगा चाहे उनके पास टिकट हो।

**ब्रेकवान में यात्रा**

ब्रेकवान में यात्रा करना अनुमत नहीं है और यदि कोई यात्रा करते हुए पाया जाता है तो वह प्रथम श्रेणी बिना टिकट यात्रा करते हुए मानकर चार्ज किया जाएगा।

**लेफ्ट बिहाइंड टिकट**

- जब किसी यात्री का टिकट पीछे छूट जाता है और कोई टिकट के साथ स्टेशन मास्टर को सूचित करता है तो सम्बन्धित स्टेशन मास्टर निकटत्तम स्टेशन को इस बारे में कन्ट्रोल फोन के माध्यम से संदेश देगा। उस स्टेशन के स्टेशन मास्टर जिसे यह संदेश दिया गया हो, इस संदेश के आधार पर यात्री को गंतव्य स्थान तक फ्री ई एफ टी जारी करेगा और उसे यात्री को दे देगा।

- जिस स्टेशन पर टिकट पीछे रह गए थे उसका स्टेशन मास्टर मूल टिकटों को रद्द कर देगा और अपनी रिपोर्ट के साथ उन्हें यातायात लेखा कार्यालय भेज देगा। रिपोर्ट की एक प्रति वरि-ठ मंडल वाणिज्य प्रबन्धक को भी भेजी जानी चाहिये।
- बिना बदले हुए रेल ट्रेवल कूपन पर यात्रा करने पर – बिना टिकट यात्री मानकर नगद में नियमानुसार जुर्माना वसूल किया जायेगा।
- बिना बदले हुए उच्च अधिकार मांग पत्र पर यात्रा करने पर – यात्री को जितनी दूरी का एच.ओ.आर. है उतनी दूरी के लिए फ्री ई.एफ.टी. जारी की जायेगी व एच.ओ.आर. टी.टी.ई. द्वारा ले लिया जायेगा।
- बिना बदले हुए पी.टी.ओ. पर यात्रा करने पर – बिना टिकट यात्री मानकर नगद में नियमानुसार जुर्माना वसूल किया जायेगा।
- बिना हस्ताक्षरित या बिना तारीख पृष्ठांकन किये हुए रेलवे पास पर रेलवे कर्मचारियों द्वारा यात्रा करने पर प्रथम श्रेणी पास पर ` 25/– और द्वितीय श्रेणी के पास पर ` 10/– जुर्माने के रूप में लिया जायेगा एवं पास पर टिप्पणी दी जायेगी।
- वरिष्ठ नागरिक के पास आयु प्रमाण–पत्र यात्रा के दौरान न होने पर उसे किराये में जो रियायत दी गई है वह वापस ले ली जायेगी अर्थात यात्री से किराये का अंतर वसूल किया जायेगा।
- ई–टिकट वाले यात्रियों के पास यात्रा के दौरान पहचान पत्र न होने पर बिना टिकट यात्री मानकर चार्ज किया जायेगा।
- रियायती वाउचर के बदले में टिकट न ले पाने पर पकड़े जाने पर बिना टिकट यात्री मानकर चार्ज किया जायेगा।

# 14 लगेज

लगेज से तात्पर्य यात्री के ऐसे सामान से है जो उसके स्वयं के चार्ज में ले जाया जाता है या रेल प्रशासन को ले जाने के लिये सौंप दिया जाता है। लगेज का भाडा अग्रिम देय है।

## लगेज की बुकिंग

यात्रियों का लगेज दो प्रकार से बुक किया जा सकता है।

1) ब्रेकवान में गार्ड के साथ 2) सवारी डिब्बे में यात्री के साथ

### ब्रेकवान में गार्ड के साथ

कम्पार्टमेंट लिमिट से अधिक सामान ब्रेकवान में ही बुक किया जायेगा। यात्री को अग्रेषण नोट भरना होगा जिसमें स्वयं के बारे में व लगेज के बारें विवरण लिखकर देना होगा। पैकेजों पर निजी मार्किंग करनी होगी। ब्रेकवान में लगेज पर फ्री एलांउस नही दिया जायेगा। भाड़ा पूरे वजन के लिए लगेज स्केल का 'सामान्य' लेंगे जो न्यूनतम ` 30/– तथा भाड़े का 2 प्रतिशत डवलपमेंट चार्ज लिया जायेगा।

**ब्रेकवान में बुक किये जाने वाले पैकेज का अधिकतम माप व वजन**

| गेज | वजन कि.ग्रा. | बाहरी माप मीटर में |
|---|---|---|
| BG/MG | 150 | 2 X 1.50 X 1.25 |
| NG | 125 | 1.50 X 1.07 X 1 |

### सवारी डिब्बे में यात्री के साथ

यात्री अपने साथ कम्पार्टमेंट में श्रेणी के अनुसार निम्न सीमा तक लगेज ले जा सकते हैं-

| श्रेणी | डिब्बे में वजन सीमा (कम्पार्टमेंट लिमिट) |
|---|---|
| ए सी एफ सी | 150 किग्रा प्रति यात्री फ्री अलाउन्स सहित |
| 2 एसी | 100 किग्रा प्रति यात्री फ्री अलाउन्स सहित |
| प्रथम श्रेणी | 100 किग्रा प्रति यात्री फ्री अलाउन्स सहित |
| एसी चेयर कार | 40 किग्रा प्रति यात्री फ्री अलाउन्स सहित |
| 3 एसी | 40 किग्रा प्रति यात्री फ्री अलाउन्स सहित |
| स्लीपर क्लास | 80 किग्रा प्रति यात्री फ्री अलाउन्स सहित |
| द्वितीय श्रेणी | 70 किग्रा प्रति यात्री फ्री अलाउन्स सहित |
| रलवे पास | पास पर दिये जाने वाले फ्री एलाउंस के अनुसार |

**कम्पार्टमेंट में पैकेजों का अधिकत्तम माप**

यात्रियों के साथ कम्पार्टमेंट में ले जाए जाने वाले पैकेजों/ ट्रंक, सूटकेस आदि का अधिकत्तम बाहरी माप

| | |
|---|---|
| एसीएफसी/एफसी/ 2एसी/ 3एसी/स्लीपर/द्वितीय श्रेणी/ | 100सेमी लम्बाई x 60सेमी चौडाई x 25सेमी ऊँचाई |
| एसी चेयर कार | 63सेमी लम्बाई x 37सेमी चौडाई x 20सेमी ऊँचाई |

**बल्की सरचार्ज**

यदि किसी पैकेज का वास्तविक वजन 100 किग्रा से अधिक हो या लम्बाई X चौडाई X ऊंचाई 1X1X0.7 मी से अधिक हो तो उस पर फ्री अलाउन्स नहीं दिया जाएगा व 100% सरचार्ज अतिरिक्त लिया जाएगा। यदि उपरोक्त कोई एक माप (Dimension) 10% से अधिक न हो व वास्तविक वजन या माप द्वारा गणना किया गया वजन 100 किग्रा से अधिक न हो तो उस पर 100% प्रभार नहीं लगेगा।

**प्रारम्भिक स्टेशन पर लगेज बुक करना**

यदि यात्री के पास निर्धारित फ्री अलाउन्स तक लगेज है तो वह सामान अपने साथ कम्पार्टमेंट में बिना बुक कराए ले जा सकता है। फ्री अलाउस से अधिक लगेज ब्रेकवान लिमिट तक होने पर ब्रेकवान में भी बुक किया जा सकता है। यदि यात्री अपना लगेज ब्रेकवान में बुक करवाता है तो निर्धारित अग्रे-ाण नोट भरना होगा। सामान की नियमानुसार पैकिंग करनी होगी। सामान बुक करते समय लगेज टिकट जारी किया जाता है जिस पर लगेज का कुल वजन लिख दिया जाता है, कोई फ्री अलाउन्स नहीं दिया जाता है और पूरे वजन का भाडा उस गाड़ी के लिए लागू पार्सल दर से लिया जाता है, ये कम से कम ` 30/- लिया जायेगा तथा 2 प्रतिशत डवलपमेंट चार्ज भी लिया जायेगा।

लगेज भाड़े का पूर्व भुगतान आवश्यक होता है जिस गाड़ी से यात्री यात्रा करेगा उसी गाड़ी से उसका लगेज भेजने का प्रयत्न किया जाएगा किन्तु रेलवे इसकी गारंटी नहीं देती है। लगेज टिकट पर यात्री का नाम और सभी टिकटो के विवरण लिख दिये जाते हैं। टिकटो को 'ओ' आकार वाले निपर से पंच कर दिया जाता है या टिकट पर 'LB' लिख दिया जायेगा।

**वस्तुए जो लगेज में तौली नहीं जाती है**

निम्नलिखित वस्तुओं का वजन लगेज बुक करते समय नहीं किया जाता है और निःशुल्क ले जायी जा सकती है।

**उच्च श्रेणी** - एक ब्रीफकेस, एक टिफिन बॉक्स, आइस कन्टेनर, एक छोटा थैला, एक छाता, छड़ी, (मेट्रो रेलवे पर – एक डिजिटल डायरी, एक लैपटोप, मोबाईल फोन व केमरा)

**स्लीपर क्लास/द्वितीय श्रेणी –** एक थैला, खाने पीने का सामान, एक छाता, एक छडी, (मेट्रो रेलवे पर – एक लैपटोप, मोबाईल फोन और केमरा)

**सामान पर फ्री अलाउन्स की छूट**

विभिन्न श्रेणियों में यात्री अपने साथ कुछ सामान निःशुल्क ले जा सकते हैं, यदि इस निशुल्क छूट सीमा से अधिक सामान है तो उन्हें इस अधिक सामान को बुक करा लेना चाहिये अन्यथा अधिक सामान के साथ पकडे जाने पर उसे चार्ज किया जायेगा। चार्ज करते समय यदि सामान ग्रेस लिमिट (Marginal Allowance) के अन्दर है या उससे अधिक है तदानुसार चार्ज किया जायेगा।

विभिन्न श्रेणियों में टिकट व रेलवे पास पर फ्री अलाउन्स तथा ग्रेस लिमिट निम्नानुसार है-

| श्रेणी | फ्री अलाउन्स | ग्रेस लिमिट |
|---|---|---|
| ए सी एफ सी | 70 किग्रा | 15 किग्रा |
| 2 एसी | 50 किग्रा | 10 किग्रा |
| प्रथम श्रेणी | 50 किग्रा | 10 किग्रा |
| एसी चेयर कार | 40 किग्रा | 10 किग्रा |
| 3 एसी | 40 किग्रा | 10 किग्रा |
| स्लीपर | 40 किग्रा | 10 किग्रा |
| द्वितीय श्रेणी | 35 किग्रा | 10 किग्रा |
| मिलिट्री वारंट | 40 किग्रा | 10 किग्रा |
| मेटल पास | 140 किग्रा | - |
| प्रथम श्रेणी 'ए' पास | 140 किग्रा | - |

| | | |
|---|---|---|
| प्रथम श्रेणी पास | 70 किग्रा | - |
| द्वितीय श्रेणी पास | 50 किग्रा | - |
| द्वितीय श्रेणी ए पास | 50 किग्रा | |
| सीज़न टिकट प्रथम | 15 किग्रा | 5 किग्रा |
| सीज़न टिकट द्वितीय | 10 किग्रा | 5 किग्रा |
| संयुक्त टिकट | उच्चत्तर श्रेणी के अनुसार | |

उपरोक्त फ्री अलाउन्स व ग्रेस लिमिट प्रति वयस्क के लिये है, बच्चे के लिये इसकी आधी मात्रा लागू होगी, सीजन टिकट को छोड कर ।

**बिना बुक सामान को चार्ज करने के नियम**

यात्री अपने साथ निर्धारित फ्री अलाउन्स के अर्न्तगत निःशुल्क सामान ले जा सकता है। यदि इससे अधिक वजन हो तो उसे बुक करवा लेना चाहिये और यदि उसे बुक नहीं करवाया जाता है और अधिक सामान के साथ पकडा जाता है तो उसे निम्न प्रकार से चार्ज किया जायेगा।

जिन वस्तुओं का वजन नहीं किया जाता है,उन्हें हटा देगें। शे-ा सामान का वजन किया जायेगा और इसमें से फ्री अलाउन्स घटा देगें। यदि यह वजन ग्रेस लिमिट के अन्दर है तो पूरी दूरी के लिये स्केल L से 1.5 गुना चार्ज किया जायेगा जो न्यूनत्तम ` 30/- लिया जाएगा तथा 2 प्रतिशत डवलपमेंट चार्ज भी लिया जायेगा। यदि यह अधिक सामान ग्रेस लिमिट से अधिक है तो पूरी दूरी के लिये स्केल L से 6 गुना चार्ज लिया जाएगा जो कि न्यूनत्तम ` 50/- होगा। फ्री अलाउन्स से अधिक लगेज को ब्रेकवान में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

**आंशिक रूप से बुक किये गये सामान को चार्ज करना**

यदि यात्री के पास लगेज टिकट में बताए गये वजन से अधिक लगेज पाया जाता है तो ऐसा लगेज आंशिक रूप से बुक हुआ समझा जाएगा व उसे निम्न प्रकार चार्ज किया जाएगा -

जो वस्तुए तौली नहीं जाती है उन्हें हटा दिया जायेगा, शे-ा सामान का वजन किया जायेगा। कुल वजन में से फ्री अलाउन्स घटा देगें तथा जितने वजन का भाडा बुकिंग स्टेशन पर दे दिया गया हो, उसे भी घटा देगें। यदि शे-ा वजन ग्रेस लिमिट के अन्दर है तो पूरी दूरी के लिये स्केल L से 1.5 गुना चार्ज लेंगे जो

न्यूनत्तम ` 30/- होगा। यदि शे-ा वजन ग्रेस लिमिट से अधिक है तो फ्री अलाउन्स व बुक सामान को घटाने के बाद शे-ा सामान को पूरी दूरी के लिये स्केल L से 6 गुना चार्ज लेगें जो न्यूनत्तम ` 50/- होगा। फ्री अलाउन्स से अधिक लगेज को ब्रेकवान में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

जब यात्री के पास एक से अधिक यात्रा टिकट हों जबकि उतने यात्री वास्तविक रूप से उपस्थित न हों व यात्री अधिक फ्री अलाउन्स का लाभ लेता हुआ पाय जाए तो फ्री अलाउन्स का लाभ केवल एक टिकट पर ही दिया जाएगा, अन्य टिकट जब्त कर लिए जाएंगे व नियम के अनूसार लगेज चार्ज वसूल किया जाएगा। न्यूनत्तम ` 50/- लिये जायेगें।

**यात्री द्वारा यात्रा विराम करने के अनुसार लगेज बुक करना**

जो यात्री यात्रा के दौरान एक या एक से अधिक स्टेशनों पर यात्रा विराम करते हुए अपना सामान बुक करवाना चाहते हैं तो उन्हें लगेज बुक करवाते समय लिखित में इसकी जानकारी देनी होगी। लगेज टिकट बुकिंग स्टेशन से गन्तव्य स्टेशन तक के लिये जारी किया जाएगा व लगेज टिकट के पीछे यात्रा विराम वाले स्टेशनों के नाम लिख दिये जाएगें।

लेकिन यदि यात्रा विराम के दौरान यात्री के पास लगेज बढ़ जाता है तो उसे वापस बुक करवा लेना चाहिये अन्यथा आंशिक बुक लगेज के नियमानुसार चार्ज किया जाएगा।

यदि यात्री यात्रा विराम करना चाहता है लेकिन सामान को सीधे गंतव्य स्टेशन भेजना चाहता है तो सामान को सीधे गंतव्य स्टेशन भी भेजा जा सकता है। ब्रेकजर्नी स्टेशन पर यात्रा टिकट व लगेज टिकट दोनों पर यात्री को ब्रेकजर्नी के सम्बन्ध में पृ-ठांकन करवाना होगा।

**कुत्ते को यात्री के साथ बुक करना**

कुत्ते को यात्री के साथ बुक करने के नियम निम्नलिखित है --

- कुत्ता यात्री के साथ ए सी एफ सी या एफ सी में बुक किया जाएगा।
- यात्री के पास पूरे कूपे या चार बर्थ कम्पार्टमेंट की बुकिंग होनी चाहिये।
- कुत्ते का वजन 60 किग्रा माना जाएगा और उसका भाड़ा स्केल L दर से लिया जाएगा। न्यूनत्तम ` 30/- लिये जाएगें तथा 2 प्रतिशत डवलपमेंट चार्ज भी लिया जायेगा।

## बिना बुक कुत्ते को चार्ज करना

कुत्ते को एसी 2 व एसी 3, कुर्सीयान,स्लीपर व द्वितीय श्रेणी में यात्री के साथ बुक करने की अनुमति नहीं है। फिर भी यदि किसी यात्री के साथ बिना बुक कुत्ता पाया जाए तो कुत्ते को 60 किग्रा का मानकर पूरी दूरी के लिए स्केल L से 6 गुना चार्ज किया जाएगा, न्यूनत्तम ` 50/- लिये जाएगें तथा 2 प्रतिशत डवलपमेंट चार्ज भी लिया जायेगा और कुत्ते को ब्रेकवान में भेज दिया जाएगा।

## भेड़/बकरी/बछड़े/सूअर को बुक करना व चार्ज करना

प्रत्येक पशु का 40 कि.ग्रा. वजन स्केल 'एल' से चार्ज किया जाएगा, न्यूनतम `30/- प्रति पशु लिया जाएगा तथा 2 प्रतिशत डवलपमेंट चार्ज भी लिया जायेगा। ऐसे पशु निम्न संख्या तक ही ब्रेकवान में बुक किये जा सकते हैं -

| पशु | BG | MG |
|---|---|---|
| भेड़ / बकरी | 15 | 10 |
| बछड़े 76 सें.मी. ऊँचाई तक | 5 | 5 |

एसे पशु यात्री के साथ कम्पार्टमेंट में नहीं ले जाए जा सकते हैं, यदि यात्री बिना बुक कराए एसे पशु ले जाते हुए पकड़ा जाता है तो एसा पशु पकड़े जाने वाले स्टेशन तक स्केल L से बताए गए वजन पर 6 गुना चार्ज किया जाएगा, न्यूनतम `50/-, प्रति पशु लिया जाएगा तथा 2 प्रतिशत डवलपमेंट चार्ज भी लिया जायेगा। पशु को पकड़े जाने वाले स्टेशन से ब्रेकवान में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। जितनी दूरी तक ब्रेकवान में लेजाया जाएगा उतनी दूरी के लिए L दर से चार्ज किया जाएगा।

छोटे पशु पक्षी जैसे तोता, मैना, बिल्ली खरगोश आदि यदि बिना बुक हुए पकड़े जाने पर पकड़े जाने वाले स्टेशन तक 'एल' स्केल से छः गुना चार्ज किया जायेगा। न्यूनतम ` 50/- लिये जायेंगे, 2 प्रतिशत डवलपमेंट चार्ज भी लिया जायेगा तथा आगे की यात्रा के लिए दो गुना प्रभार लिया जायेगा।

# 15 विभिन्न स्टेशनों के बीच गाड़ियों के अनुसार दूरी

| क्र.सं. | स्टेशन कोड | स्टेशन का नाम | किमी | क्र.सं. | स्टेशन कोड | स्टेशन का नाम | किमी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Udaipur City to Ahmedabad** | | | | **Bandra Terminus to Bhavnagar Terminus** | | | |
| 1 | UDZ | Udaipur City | 0 | 1 | BDTS | Bandra Terminus | 0 |
| 2 | ZW | Zawar | 40 | 2 | ADH | Andheri | 07 |
| 3 | JYM | Jai Samand Road | 62 | 3 | BVI | Borivali | 19 |
| 4 | DNRP | Dungarpur | 115 | 4 | VAPI | Vapi | 159 |
| 5 | HMT | Himmat Nagar | 210 | 5 | BL | Valsad | 183 |
| 6 | SDGM | Sardar gram | 291 | 6 | ST | Surat | 252 |
| 7 | ASV | Asarva Jn. | 296 | 7 | BRC | Vadadara Jn | 381 |
| 8 | ADI | Ahmedabad | 298 | 8 | ND | Nadiad Jn | 435 |
| **Udaipur City to Ajmer** | | | | 9 | ADI | Ahmedabad Jn | 481 |
| 1 | UDZ | Udaipur City | 0 | 10 | VG | Viramgam Jn | 546 |
| 2 | RPZ | Ranapratap Nagar | 5 | 11 | JVM | Jorawar Nagar Jn | 616 |
| 3 | MVJ | Mavli Jn | 43 | 12 | LM | Limbdi | 640 |
| 4 | COR | Chittor Garh | 115 | 13 | RUR | Ranpur | 666 |
| 5 | BHL | Bhilwara | 169 | 14 | BTD | Botad Jn | 688 |
| 6 | MDL | Mandal | 179 | 15 | DLJ | Dhola Jn | 731 |
| 7 | GBP | Gulabpura | 232 | 16 | SGD | Songadh | 753 |
| 8 | BJNR | Bijainagar | 235 | 17 | SOJN | Sihor Gujrat | 760 |
| 9 | NSD | Nasirabad | 277 | 18 | BVP | Bhavnagar Para | 778 |
| 10 | AII | Ajmer | 300 | 19 | BVC | Bhavnagar Terminus | 780 |

| Mumbai Central to Okha | | | | Delhi Jn. to Ahmedabad | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BCT | Mumbai Central | 0 | 1 | DLI | Delhi | 0 |
| 2 | DDR | Dadar | 06 | 2 | DEC | Delhi Cantt | 15 |
| 3 | BVI | Borivali | 30 | 3 | GGN | Gurgaon | 32 |
| 4 | PLG | Palghar | 87 | 4 | PTRD | Pataudi Road | 62 |
| 5 | VAPI | Vapi | 170 | 5 | RE | Rewari | 83 |
| 6 | BL | Valsad | 194 | 6 | KRH | Kherthal | 130 |
| 7 | ST | Surat | 263 | 7 | AWR | Alwar | 157 |
| 8 | BH | Bharuch Jn | 322 | 8 | BKI | Bandikui Jn | 218 |
| 9 | BRC | Vadadara | 392 | 9 | DO | Dausa | 247 |
| 10 | ANND | Anand Jn | 427 | 10 | JP | Jaipur | 308 |
| 11 | ND | Nadiad Jn | 446 | 11 | KSG | Kishangarh | 415 |
| 12 | ADI | Ahmedabad Jn | 491 | 12 | AII | Ajmer Jn | 442 |
| 13 | SAU | Sanand | 520 | 13 | FA | Falna | 649 |
| 14 | VG | Viramgam Jn | 557 | 14 | ABR | Abu Road | 748 |
| 15 | LPR | Lakhtar | 601 | 15 | PNU | Palanpur | 800 |
| 16 | SUNR | Surendra Nagar | 622 | 16 | MSH | Mahesana Jn | 865 |
| 17 | THAN | Than Jn | 670 | 17 | SBI | Sabarmati Jn | 933 |
| 18 | WKR | Wakaner Jn. | 696 | 18 | ADI | Ahemdabad | 938 |
| 19 | RJT | Rajkot Jn | 738 | **Udaipur City to Bandra** | | | |
| 20 | PDH | Padadhari | 763 | 1 | UDZ | Udaipur City | 0 |
| 21 | WTJ | Jamwanthali | 793 | 2 | RPZ | Ranapratap Nagar | 05 |
| 22 | ALB | Alia Bada | 804 | 3 | MVJ | Mavli Jn | 43 |
| 23 | HAPA | Hapa | 814 | 4 | COR | Chittorgarh | 115 |
| 24 | JAM | Jamnagar | 823 | 5 | NMH | Nimach | 170 |
| 25 | KNLS | Kanalas Jn | 849 | 6 | RTM | Ratlam Jn | 303 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | KMBL | Khambhaliya | 877 | 7 | BRC | Vadadara Jn | 565 |
| 27 | BHTA | Bhatiya | 920 | 8 | ST | Surat | 694 |
| 28 | DWK | Dwarka | 961 | 9 | VAPI | Vapi | 786 |
| 29 | MTHP | Mithapur | 980 | 10 | BVI | Boriwali | 926 |
| 30 | OKHA | Okha | 990 | 11 | BDTS | Bandra Terminus | 945 |
| **Jaipur to Bikaner** | | | | **Howrah to Jodhpur** | | | |
| 1 | JP | Jaipur | 0 | 1 | HWH | Howrah | 0 |
| 2 | COM | Chomun-Samod | 28 | 2 | BWN | Barddhaman Jn | 95 |
| 3 | GND | Govindgarh Malk | 39 | 3 | ASN | Asansol | 200 |
| 4 | RGS | Ringas Jn | 57 | 4 | DHN | Dhanbad Jn | 259 |
| 5 | SIKR | Sikar Jn | 107 | 5 | PNME | Parasnath | 306 |
| 6 | LNH | Laxamgarh Shekhawati | 132 | 6 | KQR | Koderma | 382 |
| 7 | FPS | Fatehpur Shekhawati | 156 | 7 | GAYA | Gaya Jn | 458 |
| 8 | RSWT | Ramgarh Shekhawati | 174 | 8 | DOS | Dehri–On-Sone | 543 |
| 9 | BUB | Bissau | 186 | 9 | SSM | Sasaram | 561 |
| 10 | CUR | Churu | 198 | 10 | MGS | Mugal Sarai Jn | 661 |
| 11 | RTGH | Ratangarh Jn | 241 | 11 | MZP | Mirzapur | 725 |
| 12 | RJR | Rajaldesar | 259 | 12 | ALD | Allahabad Jn | 814 |
| 13 | SDGH | Sri Dungargarh | 305 | 13 | FTP | Fatehpur | 930 |
| 14 | SDF | Sudsar | 329 | 14 | CNB | Kanpur Centre | 1008 |
| 15 | NPS | Napasar | 352 | 15 | ETW | Etawah Jn | 1145 |
| 16 | BKN | Bikaner Jn | 379 | 16 | AF | Agra Fort | 1260 |
| **Merta to Bikaner** | | | | 17 | AH | Achhanera Jn | 1287 |
| 1 | MTD | Merta Road | 0 | 18 | BTE | Bharatpur | 1314 |
| 2 | NGO | Nagaur | 57 | 19 | JP | Jaipur | 1501 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | NOK | Nokha | 108 | 20 | KMNC | Kuchaman City | 1607 |
| 4 | DSO | Deshnok | 140 | 21 | MKN | Makrana Jn | 1621 |
| 5 | BKN | Bikaner | 189 | 22 | DNA | Degana Jn | 1665 |
| **Jaipur to Sriganganagar** | | | | 23 | JU | Jodhpur | 1814 |
| 1 | JP | Jaipur | 0 | **Ajmer to Bandra Terminus** | | | |
| 2 | DKBJ | Daharkabalaji | 4 | 1 | AII | Ajmer | 0 |
| 3 | QMRS | Kayamsar | 167 | 2 | BJNR | Bijai Nagar | 66 |
| 4 | SDLP | Sadalpur Jn | 156 | 3 | BHL | Bhilwara | 132 |
| 5 | SDMK | Sidmukh | 292 | 4 | COR | Chittaurgarh | 186 |
| 6 | TSD | Tahsil Bhadra | 321 | 5 | NMH | Nimach | 242 |
| 7 | NHR | Nohar | 361 | 6 | RTM | Ratlam Jn | 375 |
| 8 | ENB | Ellenabad | 392 | 7 | BRC | Vadadara Jn | 637 |
| 9 | TLI | Tulwara Jhil | 402 | 8 | ST | Surat | 766 |
| 10 | TIBI | Tibi | 411 | 9 | VAPI | Vapi | 858 |
| 11 | HMO | Hanumangarh Town | 429 | 10 | BVI | Borivali | 998 |
| 12 | HMH | Hanumangarh Jn | 435 | 11 | BDTS | Bandra Terminus | 1017 |
| 13 | SDS | Sadul Shahr | 473 | **Ahmedabad to Chennai Central** | | | |
| 14 | SGNR | Sriganga Nagar | 502 | 1 | ADI | Ahmedabad | 0 |
| **Bhuj to Bandra Terminus** | | | | 2 | AKV | Ankleshwar | 180 |
| 1 | BHUJ | Bhuj | 0 | 3 | ST | Surat | 229 |
| 2 | AJE | Anjar | 42 | 4 | UDN | Udhna | 233 |
| 3 | AI | Adipur | 49 | 5 | ND | Nandurbar | 389 |
| 4 | GIMB | Gandhidham BG | 58 | 6 | DDE | Dondaicha | 424 |
| 5 | BCOB | Bhachau BG | 95 | 7 | AN | Amalner | 485 |
| 6 | SIOB | Samakhiali BG | 111 | 8 | JL | Jalgaon Jn | 540 |
| 7 | MALB | Maliya miyana | 152 | 9 | BSL | Bhusawal Jn | 564 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | HVD | Halvad | 197 | 10 | MKU | Malkapur | 614 |
| 9 | DHD | Dhrangdhra | 228 | 11 | NN | Nandura | 642 |
| 10 | VG | Viramgam Jn | 294 | 12 | SEG | Shegaon | 667 |
| 11 | ADI | Ahmedabad Jn | 359 | 13 | AK | Akola | 704 |
| 12 | MAN | Maninagar | 362 | 14 | MZR | Murtijapur | 742 |
| 13 | ND | Nadiad Jn | 405 | 15 | BD | Badnera | 783 |
| 14 | ANND | Anand Jn. | 423 | 16 | DMN | Dhamangao | 828 |
| 15 | BRC | Vadodara Jn | 459 | 17 | WR | Wardha Jn | 878 |
| 16 | VS | Vishwamitri | 462 | 18 | SGT | Hinganghat | 912 |
| 17 | MYG | Miyagam Karjan | 488 | 19 | CD | Chandrapur | 997 |
| 18 | PLG | Palej | 504 | 20 | BPQ | Balharshah | 1010 |
| 19 | BH | Bharuch Jn | 529 | 21 | SKZR | Sirpur | 1080 |
| 20 | AKV | Ankleshwar Jn | 538 | 22 | WL | Warangal | 1255 |
| 21 | KSB | Kosamba Jn | 556 | 23 | KMT | Khamman | 1362 |
| 22 | ST | Surat | 588 | 24 | BZA | Vijaywada | 1463 |
| 23 | NVS | Navsari | 617 | 25 | TEL | Tenali Jn | 1495 |
| 24 | BIM | Billimora Jn | 638 | 26 | CLX | Chirala | 1552 |
| 25 | BL | Valsad | 656 | 27 | OGL | Ongole | 1602 |
| 26 | VAPI | Vapi | 680 | 28 | NLR | Nellore | 1718 |
| 27 | DRD | Dahanu Road | 731 | 29 | GDR | Gudur Jn | 1756 |
| 28 | BVI | Borivali | 820 | 30 | MAS | Chennai Central | 1894 |
| 29 | BDTS | Bandra Terminus | 839 | | | | |
| **Indore to Mumbai Central** | | | | **Ajmer to Jodhpur** | | | |
| 1 | INDB | Indore Jn | 0 | 1 | AII | Ajmer | 0 |
| 2 | DWX | Dewas | 39 | 2 | BER | Beawar | 52 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | UJN | Ujjain Jn. | 80 | 3 | SEU | Sendra | 66 |
| 4 | UNL | Unhel | 117 | 4 | SOD | Sojat Road | 119 |
| 5 | NAD | Nagda Jn | 135 | 5 | MJ | Marwar Jn | 140 |
| 6 | AUH | Khachrod | 148 | 6 | RKZ | Rajkiawas | 151 |
| 7 | RTM | Ratlam Jn | 176 | 7 | BOM | Bomadra | 160 |
| 8 | THDR | Thandla Road | 248 | 8 | PMY | Pali Marwar | 171 |
| 9 | MGN | Meghnagar | 256 | 9 | KAI | Kairla | 186 |
| 10 | DHD | Dahod | 289 | 10 | PRDH | Pirdulesha Halt | 190 |
| 11 | GDA | Godhra Jn | 364 | 11 | RT | Rohat | 198 |
| 12 | BRC | Vadadara Jn | 438 | 12 | LUNI | Luni Jn | 212 |
| 13 | BH | Bharuch Jn. | 508 | 13 | HWT | Hanwant | 219 |
| 14 | AKV | Ankleshwar Jn | 517 | 14 | SZ | Salawas | 228 |
| 15 | ST | Surat | 567 | 15 | BANE | Basni | 238 |
| 16 | NVS | Navsari | 596 | 16 | BGKT | Bhagat-ki-kothi | 241 |
| 17 | BL | Valsad | 635 | 17 | JU | Jodhpur | 244 |
| 18 | BCT | Mumbai Central | 829 | | | | |
| **Bhuj to Bareilly** | | | | **Ahmedabad To Jammu Tawi** | | | |
| 1 | BVJ | Bhuj | 0 | 1 | ADI | Ahmedabad | 0 |
| 2 | AJE | Anjar | 42 | 2 | MJ | Marwar Jn. | 356 |
| 3 | AI | Adipura | 49 | 3 | PMY | Pali Marwar | 387 |
| 4 | GIMB | Gandhidham BG | 58 | 4 | LUNI | Luni Jn | 428 |
| 5 | BCOB | Bhachau BG | 95 | 5 | JU | Jodhpur | 460 |
| 6 | SIOB | Samakhiali BG | 111 | 6 | PPR | Pipar Road Jn | 507 |
| 7 | HVD | Halvad | 197 | 7 | GOTN | Gotan | 544 |
| 8 | DHG | Dhrangdhra | 228 | 8 | MTD | Merta Road Jn | 564 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | VG | Viramgam Jn | 294 | 9 | MDW | Marwar Mundwa | 603 |
| 10 | ADI | Ahmedabad | 359 | 10 | NGO | Nagaur | 621 |
| 11 | MSH | Mehsana | 432 | 11 | NOK | Nokha | 672 |
| 12 | PNU | Palanpur | 497 | 12 | DSO | Deshnok | 704 |
| 13 | ABR | Abu Road | 550 | 13 | BKN | Bikaner | 737 |
| 14 | FA | Falna | 648 | 14 | LGH | Lalgarh Jn | 740 |
| 15 | MJ | Marwar Jn | 715 | 15 | LKS | Lunkaransar | 816 |
| 16 | BER | Beawar | 803 | 16 | SOG | Suratgarh Jn | 918 |
| 17 | AII | Ajmer | 855 | 17 | PGK | Pilibangan | 943 |
| 18 | KSG | Kishangarh | 884 | 18 | HMH | Hanumangarh Jn | 968 |
| 19 | FL | Phulera Jn. | 935 | 19 | SGRA | Sangaria | 995 |
| 20 | JP | Jaipur | 989 | 20 | MBY | Mandi dabawali | 1025 |
| 21 | GADJ | Gandhinagar JPR | 995 | 21 | BTI | Bhatinda Jn | 1061 |
| 22 | DO | Dausa | 1051 | 22 | GJUT | Gangasar Jaitu | 1087 |
| 23 | BKI | Bandikui Jn | 1080 | 23 | KKP | Kot-Kapura | 1103 |
| 24 | RHG | Rajgarh | 1104 | 24 | FDK | Faridkot | 1116 |
| 25 | MKH | Malakhera | 1121 | 25 | KXH | Kapurthala | 1245 |
| 26 | AWR | Alwar | 1140 | 26 | JUC | Jalandhar City | 1265 |
| 27 | KRH | Khairthal | 1167 | 27 | PTK | Pathankot | 1381 |
| 28 | RE | Rewari | 1214 | 28 | JAT | Jammu Tawi | 1476 |
| 29 | PTRD | Pataudi Road | 1236 | **Jodhpur to Jaisalmer** | | | |
| 30 | GGN | Gurgaon | 1266 | 1 | JU | Jodhpur Jn | 0 |
| 31 | DEC | Delhi Cant | 1283 | 2 | RKB | Raikabagh | 3 |
| 32 | DEE | Delhi S. Rohilla | 1292 | 3 | MMY | Marwar Mathanya | 34 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | DLI | Delhi | 1297 | 4 | OSN | Osiyan | 65 |
| 34 | GZB | Gaziabad | 1317 | 5 | STSN | Shaitansingh Nagar | 126 |
| 35 | HPU | Hapur | 1354 | 6 | PLC | Phalodi | 137 |
| 36 | AMRO | Amroha | 1427 | 7 | RDRA | Ramdevra | 184 |
| 37 | MB | Moradabad | 1458 | 8 | POK | Pokran | 195 |
| 38 | RMU | Rampur | 1485 | 9 | AQG | Ashapur Gomat | 198 |
| 39 | BE | Bareilly | 1548 | 10 | SBLT | Shribdrya Lathi | 237 |
| **Barmer to Kanpur** | | | | 11 | JSM | Jaisalmer | 301 |
| 1 | BME | Barmer | 0 | **Indore to Katni** | | | |
| 2 | BLT | Balotra Jn | 97 | 1 | INDB | Indore Jn | 0 |
| 3 | SMR | Samdhari Jn | 130 | 2 | DWX | Dewas | 39 |
| 4 | LUNI | Luni Jn | 178 | 3 | UJN | Ujjain Jn | 80 |
| 5 | JU | JodhpurJn | 210 | 4 | SJP | Shujalpur | 183 |
| 6 | MTD | Merta Road Jn | 314 | 5 | BPL | Bhopal Jn | 263 |
| 7 | MKN | Makrana Jn | 403 | 6 | BHS | Vidisha | 316 |
| 8 | KMNC | Kuchaman city | 417 | 7 | VAQ | Ganj Basoda | 356 |
| 9 | JP | Jaipur | 522 | 8 | BINA | Bina Jn | 402 |
| 10 | BTE | Bharatpur Jn | 709 | 9 | KYE | Khurai | 423 |
| 11 | AH | Achhnera Jn | 737 | 10 | SGO | Saugor | 476 |
| 12 | AF | Agra Fort | 763 | 11 | DMO | Damoh | 553 |
| 13 | TDL | Tundla Jn | 786 | 12 | KTE | Katni | 664 |
| 14 | CNB | Kanpur Central | 1015 | **Indore to Howrah** | | | |
| **Ahmedabad to Veraval** | | | | 1 | IND | Indore | 0 |
| 1 | ADI | Ahmedabad | 0 | 2 | MYR | Maihar | 727 |
| 2 | VG | Viramgam Jn | 66 | 3 | STA | Satna | 763 |
| 3 | SUNR | Surendranaga | 131 | 4 | MKP | Manikpur | 840 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | THAN | Than Jn | 179 | 5 | SRJ | Shankargarh | 895 |
| 5 | WKR | Wankaner Jn | 206 | 6 | ALD | Allahabad | 940 |
| 6 | RJT | Rajkot Jn | 247 | 7 | MZP | Mirzapur | 1030 |
| 7 | BKNG | Bhaktinagar | 253 | 8 | CAR | Chunar | 1061 |
| 8 | GDL | Gondal | 288 | 9 | MGS | Mugalsarai Jn | 1081 |
| 9 | VRR | Virpur | 305 | 10 | BBU | Bhabua Road | 1134 |
| 10 | NUD | Navagarh | 319 | 11 | SSM | Sasaram | 1181 |
| 11 | JLR | Jeitalsar Jn | 324 | 12 | GAYA | Gaya | 1284 |
| 12 | JND | Junagarh Jn | 350 | 13 | PNME | Parasnath | 1436 |
| 13 | KSD | Keshod | 386 | 14 | GMO | Gomoh Jn | 1454 |
| 14 | MLHA | Maliyahatina | 402 | 15 | DHN | Dhanbad | 1483 |
| 15 | CVR | Chorwad Road | 414 | 16 | DGR | Durgapur | 1584 |
| 16 | VRL | Veraval | 432 | 17 | HWH | Howrah Jn | 1754 |

## Abbreviation for different type of Coaches (No. C.436/0 RD's Policy)

| Class | Existing abbreviation | Proposed abbreviation | Remarks |
|---|---|---|---|
| Ist AC | H | H | No change |
| AC 2 tier | A | A | No change |
| AC 3 tier | AS | B | Change |
| AC Chair car | C | C | No change |
| 2 S class/ Day journey Reserved IInd class coaches of Intercity train | S or SC | D | Change |
| Executive class | EC | E | Slight change |
| FC | F | F | No change |
| Garib Rath AC 3 tier | G | G | No change |
| Garib Rath Chair car | GC | J | Change |
| Sleeper | S | S | No change |

For making composite Coach the Abbreviation can be changed for example –

- ⇨ Ist AC cum 2nd AC – HA
- ⇨ Ist AC cum AC 3 tier - HB
- ⇨ AC2 tier cum AC3 tier – AB

# 16 रेल दुर्घटना के समय वाणिज्य कर्मचारियों की ड्यूटियाँ

## दुर्घटना के समय कार्य के उद्देश्य

- मानव जाति की जिंदगी बचाना
- सम्पत्ति की रक्षा करना
- दुर्घटना के शिकार हुए यात्रियों की मदद करना तथा नुकसान का अंदाजा लगाना
- दुर्घटना स्थल पर व्यक्तियों एवं सामग्रियों को भेजना :
    - एआरएमई/एआरटी के लिए सायरन बजे पर 50 टीटीई/टीसी एवं 50 लाइसेंसयुक्त कुलियों को वर्दी पहने हुए इकट्ठा करें एवं एआरटी में तुरंत दुर्घटना स्थल की ओर भेजे।
    - दूसरी व तीसरी विशेष गाड़ियों में जो कि दोनों सिरों से बची हुई आवश्यक सहायता लेकर जा रही हो उसमें और टीटीई/टीसी भेजे जा सकते है।

## दुर्घटना के समय चेकिंग स्टाफ की ड्यूटियां

- पीने के पानी तथा नाश्ते की समुचित व्यवस्था करना सुनिश्चित किया जाये।
- यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखा जाये।
- यात्रियों के लिए शीघ्रता से परिवहन की व्यवस्था की जाए।
- दुर्घटना होने के कारण जानने के लिए यात्रियों के बयान दर्ज करने चाहिये।
- आर.पी.एफ. कर्मचारियों को सुरक्षा में मदद करनी चाहिये।
- जिन यात्रियों को चिकित्सा सहायता प्रदान की गई हो उनका नाम व पता दर्ज करना चाहिये।
- दुर्घटना होने के कारणों को प्रकाश में लाने की कार्यवाही दुर्घटना स्थल पर ही की जाये।
- दुर्घटना वाले वैगन/पार्सल/लगेज वान में से प्रेषणों को उतारने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाये।

- दुर्घटनाग्रस्त वैगनों/यानों के प्रेषणों को गंतव्य स्टेशनों पर पहुँचाने की शीघ्र व्यवस्था की जाये।
- खान–पान विभाग के वेंडर पर्याप्त संख्या में मौजूद होने चाहिये जिससे समय पर निःशुल्क नाश्ता–भोजन आदि दिया जा सकेगा।
- कुलियों व टिकट कलेक्टरों की मदद से घायल एवं मृत यात्रियों का सामान पहचान कर अलग किया जाये व इसकी सूची तैयार की जाये।
- जिन यात्रियों की मृत्यु हो गई हो या घायल हुए हों उसमें निम्न विवरण भी एकत्रित करें –
    - ⇨ यात्रियों के नाम पते
    - ⇨ टिकट नम्बर व श्रेणी
    - ⇨ कोच नम्बर व इंजन से स्थिति
    - ⇨ चोट की प्रकृति (मामूली/साधारण/गम्भीर)
    - ⇨ यात्रियों के सामान का विवरण
    - ⇨ मृत्यु के मामले में जीआरपी को यात्रियों के सामान को सौंपना एवं पावती लेना तथा
    - ⇨ पुलिस अधिकारी के हस्ताक्षर करवाये जायें तथा प्रैस रिपोर्टरों को सही सूचना दी जाये व सूचना प्राप्त करने में उनकी मदद की जाये।
    - ⇨ जो यात्री साक्ष्य देने के लिए तैयार हो उनके नाम, पते एवं टेलीफोन नम्बर का रिकॉर्ड रखें
- लाइसेंस पॉर्टर व अन्य रेल कर्मचारी रेलवे डॉक्टर को सहायता प्रदान करें।
- मृत देह को पुलिस को सौंपा जाये।
- जो माल क्षतिग्रस्त हुआ हो उसका विवरण नोट कर उसकी सूची बनाई जाये।
- दुर्घटना प्रबंधक के सम्पर्क में रहना चाहिये तथा उसे समय–समय पर किये गये कार्यों की सूचना देते रहना चाहिये।
- अनुग्रह राशि के वितरण करने की व्यवस्था करनी चाहिये।
- सामान्य जनता को समय–समय पर सही सूचना देते रहना चाहिये।
- यात्रियों को किराया वापस करने की व्यवस्था करनी चाहिये।
- यात्रियों को व उनके सामान को गंतव्य स्टेशन पर पहुँचाने के लिये बस आदि का उचित प्रबंध शीघ्रता से करना चाहिये।

- दुर्घटना में मारे गए/घायल यात्रियों के निकट सम्बंधियों को सूचना भेजी जानी चाहिय।
- दुर्घटना में फंसे यात्रियों के लिये आरक्षण की समुचित व्यवस्था करनी चाहिये। इस हेतु सीसीएम को सूचना दी जाये।
- पूरक पास जारी करना।
- उन सभी मृत व्यक्तियों के निकटतम संबंधियों (अधिकतम दो) व जिनका दुर्घटना के कारण इलाज चल रहा है व अस्पताल से छुट्टी दे दी गई हो, के लिये पूरक पास जारी किये जायें।
- मृत व घायल यात्रियों के रिश्तेदारों को तार द्वारा सूचित करना – ये तार निःशुल्क भेजे जायेंगे।
- **अनुग्रह राशि** – रेल दुर्घटना या असामान्य घटना में यात्री की मृत्यु हो जाने या घायल हो जाने पर निम्न अनुग्रह राशि प्रदान की जायेगी–

| परिस्थिति | अनुग्रह राशि |
|---|---|
| मृत्यु | ` 15000/– |
| गम्भीर चोट | ` 5000/– 30 दिन तक अस्पतालिकरण<br>` 1000/– प्रति सप्ताह प्रथम 6 माह तक अस्पतालिकरण<br>` 500/– प्रति सप्ताह बाद के 6 माह तक अस्पतालिकरण<br>इस प्रकार कुल 13 माह तक राशि दी जायेगी |
| साधारण चोट | ` 500/– |
| मामूली चोट | कुछ नहीं |

**मैन्ड लेवल क्रॉसिंग गेट** पर सड़क उपयोगकर्ता की मृत्यु होने या घायल हो जाने पर निम्न अनुग्रह राशि प्रदान की जाती है –

| परिस्थिति | अनुग्रह राशि |
|---|---|
| मृत्यु | ` 6000/– |
| गंभीर चोट | ` 2500/– |
| साधारण चोट | कुछ नहीं |

- **क्षतिपूर्ति –** रेल दुर्घटना या असामान्य घटना में यात्री की मृत्यु हो जाने या घायल हो जाने पर या या मैन्ड लेवल क्रॉसिंग गेट पर सड़क उपयोग कर्ता

की मृत्यु हो जाने या घायल हो जाने पर, 'रेल दुर्घटना (प्रतिकर) नियम, 1990 (1994)' के अनुसार निम्न क्षतिपूर्ति प्रदान की जायेगी:

| परिस्थिति | क्षतिपूर्ति |
|---|---|
| मृत्यु | ` 4 लाख |
| चोट की प्रकृति के अनुसार | ` 32,000 से लेकर 3,60,000/– तक |

- **पूछताछ कक्ष (हेल्प लाइन) शुरु करना :**
  - ⇨ दुर्घटना स्थल के नजदीक पूछताछ कक्ष शुरु करना चाहिये।
  - ⇨ पूछताछ कक्ष नजदीक के रेलवे स्टेशन, जंक्शन स्टेशन, गाड़ी के प्रारम्भिक व गंतव्य स्टेशन पर भी खोलना चाहिये तथा हेल्प लाइन काउंटर :
    - ☑ प्रारम्भिक एवं गन्तव्य मंडलों के मंडल मुख्यालयों पर
    - ☑ प्रारम्भिक एवं गन्तव्य क्षेत्रीय रेलवे के क्षेत्रीय मुख्यालयों पर
    - ☑ किसी अन्य स्टेशन पर जैसा कि निर्धारित किया गया हो, खोलना चाहिये।
  - ⇨ पूछताछ कक्ष पर तैनात अधिकारी को निम्न जानकारी पूछताछ करने वाले को देनी चाहिये –
    - ☑ उन यात्रियों के नाम जिन्हें प्राथमिक उपचार देकर छोड़ दिया गया हो
    - ☑ उन यात्रियों के नाम जो गम्भीर रूप से घायल हुए हों व उन्हें कौनसे अस्पताल मे भर्ती करवाया गया है उसका नाम व स्थान।
    - ☑ मृत यात्रियों के नाम तथा उनकी मृत देह को कहाँ रखा गया है।
    - ☑ दुर्घटना स्थल से चलने वाली सभी गाड़ियों व जाने वाली सभी गाड़ियों का विवरण।
  - ⇨ जो अधिकारी पूछताछ कक्ष पर मनोनीत किये गये हों उनके द्वारा उपरोक्त जानकारी को नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाना चाहिये जैसे मृत व घायलों के नाम, आने जाने वाली गाड़ियों का समय तथा अन्य उपलब्ध जानकरी जो यात्रियों के लिए उपयोगी हो। पूछताछ कक्ष में नियुक्त अधिकारी व कर्मचारी द्वारा समय–समय पर उद्घोषणा करनी चाहिये कि राहत कार्य किया जारहा है। रिलीफ ट्रेन कहाँ जा रही है,

कहाँ तक पहुँची है, रास्ते में खड़ी है तो क्यों खड़ी है, कब तक चलेगी। रिलीफ वर्क की क्या प्रौग्रेस है आदि।

⇨ धन वापसी : दुर्घटना के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में यात्री अपनी यात्रा आरम्भ या पूरी नहीं कर पाये तो उन्हें धन वापसी के लिए स्टेशन पर बुकिंग काउंटर पर्याप्त संख्या में खोले जाने चाहिये और यात्रियों की सहायता करनी चाहिये।